वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023 - 2024

आईएसपीआरएल
ISPRL

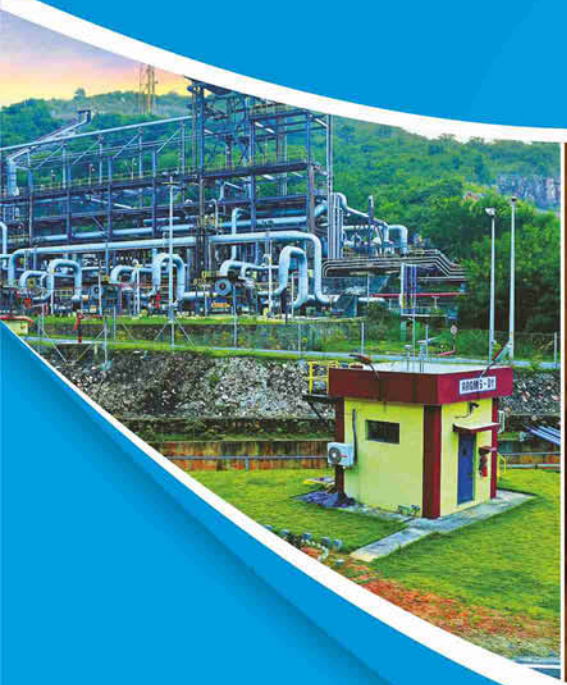

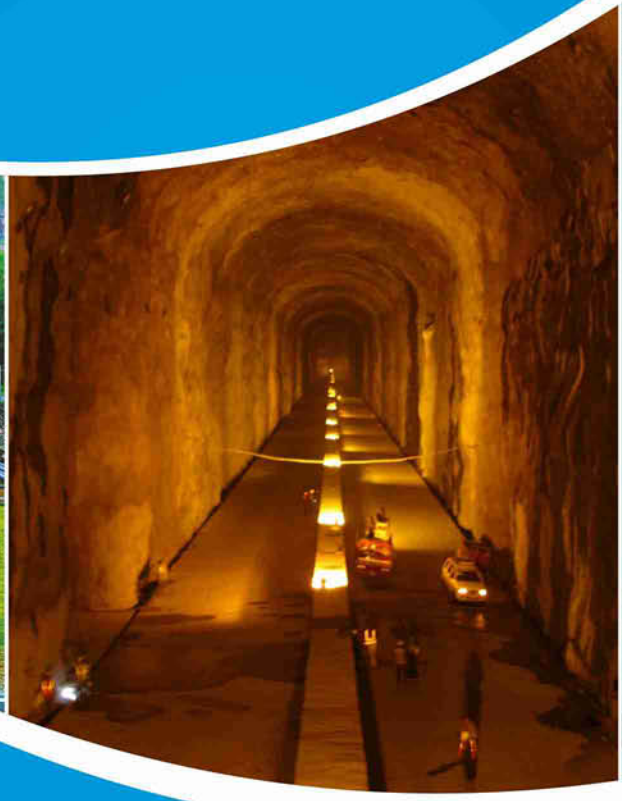

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited
(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India

आईएसपीआरएल के अध्यक्ष श्री पंकज जैन को मैंगलोर साइट पर आईटीबीपी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुआ

आईएसपीआरएल की वार्षिक सामान्य बैठक का दृश्य

आईएसपीआरएल
ISPRL

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023-24

विषय सूची / CONTENTS

क्रं. सं./ No.	विषय/SUBJECT	पृष्ठ संख्या/PAGE No.
1.	निदेशक मंडल Board of Director	11 102
2.	निदेशकों की रिपोर्ट Director's Report	13 110
3.	स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	37 134
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां Comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG)	54 151
5.	सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट Secretarial Audit Report	55 152
6.	वार्षिक लेखे 2023–24 Annual Accounts 2023-24	60 157
7.	कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Corporate Information & Significant Accounting Policies	94 191

पंकज जैन
सचिव
Pankaj Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110 001
Government of India
Ministry of Petroleum and Natural Gas
Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001
Tel. : 011-23383501, 011-23383562
Fax : 011-23070723
E-mail : sec.png@nic.in

नवंबर 28, 2024

मैं निदेशक मंडल की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

आईएसपीआरएल को किसी अप्रत्याशित व्यवधानों के विरुद्ध राष्ट्र की ऊर्जा की आवश्यकता एवं उसकी सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। भारत सरकार के अटूट समर्थन और हमारे हितधारकों के विश्वास के साथ आईएसपीआरएल निरंतर एक गतिशील संगठन के रूप में उभर रहा है।

चरण-I के अंतर्गत मौजूद मजबूत अवसंरचना में तीन महत्वपूर्ण स्थलों विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में 5.33 एमएमटी कच्चे तेल की भंडारण क्षमता शामिल है, जिसने भारत की आपात स्थिति से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ किया है।

वर्ष 2021 में आंशिक व्यावसायीकरण हेतु मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, आईएसपीआरएल ने परिवर्तन के एक नए युग में प्रवेश किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस यात्रा के एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में विशाखापत्तनम में एक 300 टीएमटी की क्षमता वाले एक कैवर्न को पट्टे पर देने के लिए एचपीसीएल के साथ समझौता किया गया है। इस व्यावसायिक प्रयास से राजस्व की प्राप्ति 19 जनवरी, 2024 से शुरू हुई जो इस संगठन की ऐतिहासिक उपलब्धि है।

हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने आईएसपीआरएल की एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। मैंगलोर में कैवर्न-ए को भरने के लिए 2018 में एडनोक (ADNOC) के साथ किए गए समझौते को डीजीएफटी की अधिसूचना के माध्यम से और भी सुदृढ़ किया गया है, जिसमें मैंगलोर में एडनोक (ADNOC) से कच्चे तेल को पुन:आयात करके भंडारण करने की अनुमति प्रदान की है। यह विकास आईएसपीआरएल और इसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच आपसी विश्वास और साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।

चरण-II के तहत अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाने के प्रयास में, आईएसपीआरएल ने पीपीपी मॉडल के माध्यम से डीबीएफओटी आधार पर कर्नाटक के पादुर में 2.5 एमएमटी क्षमता के विकास के लिए 21 फरवरी, 2024 को एक अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी किया। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया उन्नत चरण में है, जबकि चांदीखोल में भूमि आवंटन के लिए ओडिशा सरकार के साथ सक्रिय कार्रवाई की जा रही है, जिसका व्यवहार्यता अध्ययन पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, भंडारण का और विस्तार करने के लिए, आईएसपीआरएल ने मैंगलोर के एमएसईजेडएल क्षेत्र में हाल ही में अधिगृहीत भूमि पर 1.5 एमएमटी क्षमता वाले एसपीआर विकसित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया है।

राष्ट्रीय सीमाओं से परे अपने दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए, आईएसपीआरएल ओमान, जो कि अत्यधिक भू-राजनीतिक और परिचालन महत्व का स्थान है, जहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की स्थापना की संभावनाएं तलाश रहा है। जून 2023 में ओटको (OTTCO) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, अब व्यवहार्यता अध्ययन चल रहे हैं जो हमारे संचालन में वैश्विक स्ट्रेटेजिक साझेदारी को एकीकृत करने की हमारी आकांक्षा को दर्शाता है।

परिचालन उत्कृष्टता आईएसपीआरएल की पहचान बनी हुई है। उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) मानकों के प्रति हमारे अटूट अनुपालना ने हमारी सभी साइटों पर शून्य हानि समय दुर्घटनाएं (एलटीए) सुनिश्चित की है। यह उपलब्धि नोएडा, विशाखापत्तनम, मैंगलोर, पादुर और भुवनेश्वर में कार्य कर रहे हमारे असाधारण टीमों के समर्पण और सतर्कता का प्रमाण है।

मैं अपने सम्मानित शेयरधारकों, बोर्ड के सहकर्मियों और सभी हितधारकों का उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अन्य सरकारी और राज्य प्राधिकरणों को भी उनके अमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

जैसे-जैसे आईएसपीआरएल अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, हम भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और लचीलेपन को मजबूत करने, राष्ट्र के लिए एक सुरक्षित एवं टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं।

पं. जै.

[पंकज जैन]

अध्यक्ष

श्री पंकज जैन

श्री पंकज जैन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको राष्ट्रीय और राज्य सरकारों में शासन के साथ–साथ नीति निर्माण और क्रियान्वयन में व्यापक अनुभव प्राप्त है। इसमें तेल और प्राकृतिक गैस, वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग और संस्थागत वित्त), उद्योग, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी, आजीविका और एमएसएमई के क्षेत्र शामिल हैं।

आपको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र, बैंकों, विकास वित्त संस्थानों, बीमा कंपनियों, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों, बीमा कंपनियों, गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, एक गारंटी कंपनी और विनियामक/पर्यवेक्षी निकायों में बोर्ड में अध्यक्ष/निदेशक के रूप में व्यापक अनुभव प्राप्त है।

निदेशक

श्री प्रवीण एम. खनूजा

श्री प्रवीण एम. खनूजा वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आप केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स में एम.टेक हैं। आप भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईए एंड एएस) के 1994 बैच से हैं और आपने रक्षा लेखा परीक्षा, रेलवे लेखा परीक्षा, राज्य सरकार लेखा और लेखा परीक्षा में बहुत–से क्षेत्रों और सीएजी मुख्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

आपने एफएओ, रोम; डब्ल्यूआईपीओ, जिनेवा; डब्ल्यूटीओ, स्पेन; जीएफएमडी, जिनेवा और यूनिटैड, जिनेवा की अनुपालन और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा भी आयोजित की हैं। आप वर्ष 2018–2019 के दौरान जापान, थाईलैंड और तुर्की में विभिन्न एशियाई देशों के एसएआई अधिकारियों के लिए आईटी लेखापरीक्षा में मेंटॉर भी रहे हैं। आपने नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत के सीएजी/भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है।

आपने पूर्व में विभिन्न प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियोजन समनुदेशों पर राजस्व विभाग और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए निदेशक (वित्त); स्टेट ऑडिट इंस्टीट्यूट, ओमान सल्तनत, मस्कट में विशेषज्ञ, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में अपर महानिदेशक और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

निदेशक

सुश्री कामिनी चौहान रतन

सुश्री कामिनी चौहान रतन, वर्ष 1997 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। आप जेडीएमसी से कॉमर्स में स्नातक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.कॉम (पी) पाठ्यक्रम में टॉपर हैं। आपने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से एलएलबी और भोज ओपन यूनिवर्सिटी, भोपाल से एलएलएम भी किया है।

सेवा के शुरुआती वर्षों में आप आगरा, अयोध्या और लखनऊ में सब डिविजनल/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रह चुकी हैं। आपने मेरठ में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य किया है और जिले में कई विकास गतिविधियों की शुरुआत की है। अंतर–राज्यीय कैडर प्रतिनियुक्ति पर, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में सेवा की और महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। आपने सुल्तानपुर, बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत और मेरठ में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है। आपको भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

आप उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त, महानिरीक्षक (पंजीकरण) एवं स्टाम्प आयुक्त, आयुक्त (वाणिज्यिक कर) एवं आयुक्त (मनोरंजन कर) के पद पर विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।

आपने उत्तर प्रदेश राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव, सचिव (वित्त) और सचिव (ग्रामीण विकास) के रूप में कार्य किया है। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को प्रधान स्टॉफ अधिकारी के रूप में भी सहायता प्रदान की है।

आपने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा) के रूप में कार्य किया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आप वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर रही हैं।

आप भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य कर रही हैं।

निदेशक

सुश्री ईशा श्रीवास्तव

सुश्री ईशा श्रीवास्तव, 2004 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। आप वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग की संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय के अलावा, आप थिम्पू, पेरिस में भारतीय दूतावास, कोलंबो में भारतीय उच्चायोग और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं।

सुश्री श्रीवास्तव, लेडी श्री राम कॉलेज, नई दिल्ली की पूर्व छात्रा हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता भी हैं।

आपका विवाह श्री कार्तिक पांडे से हुआ है, जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी हैं। आपके दो बच्चे हैं।

आप ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के बोर्ड में निदेशक के पद पर भी कार्यरत हैं। आप ओवीएल में परियोजना मूल्यांकन समिति की अध्यक्ष और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता (सीएसआरएंडएस) समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सदस्य हैं।

निदेशक

सुश्री वर्षा सिन्हा

सुश्री वर्षा सिन्हा एमए (राजनीति शास्त्र) और आपके पास पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा, लोक प्रशासन में पीजी डिप्लोमा और एम.फिल (सामाजिक विज्ञान) की उपलब्धियां हैं।

भारत सरकार में सेवाभार ग्रहण करने से पहले, आपने लगभग चार वर्षों की अवधि के लिए पटना दूरदर्शन में उद्घोषक और कम्पेयर के रूप में कार्य किया। सुश्री सिन्हा ने ओडिसी नृत्य में नृत्य विशारद और नृत्य शिरोमणि भी प्राप्त किया है।

सुश्री वर्षा सिन्हा केंद्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी हैं। अपने ढाई दशक से अधिक के कैरियर के दौरान, आपने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपको भारत सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय (विदेश व्यापार महानिदेशालय) और दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। ओआईडीबी में सेवाभार ग्रहण करने से पहले, आप भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थीं और स्थापना अधिकारी प्रभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य संभाल रही थीं।

आपने 1 दिसंबर, 2022 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तेल उद्योग विकास बोर्ड में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और आईएसपीआरएल के बोर्ड में निदेशक, डीजीएच की प्रशासनिक परिषद के सदस्य, पीपीएसी, ओआईएसडी, सीएचटी की शासी परिषद/निकाय में सदस्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य कर रही हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

श्री एल. आर. जैन

श्री एल.आर. जैन 31 अक्टूबर, 2022 से इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ और एमडी) हैं। आईएसपीआरएल भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक विशेष प्रयोजन व्हीकल है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ओआईडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे विशेष रूप से देश के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के निर्माण और संचालन के लिए बनाया गया है।

आप बीआईटीएस पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एसपीजेआईएमआर से एमबीए (पीजीईएमपी) हैं और आप भारत की प्रमुख तेल विपणन कंपनी बीपीसीएल में परियोजनाओं के निष्पादन, क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों और पीओएल अधिष्ठापनों की खरीद और संचालन में चार दशकों से अधिक का विशाल अनुभव रखते हैं।

आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, आप प्रभारी कार्यकारी निदेशक के रूप में बीपीसीएल के विपणन प्रभाग की इंजीनियरिंग और परियोजना (ईएंडपी) इकाई का नेतृत्व कर रहे थे और देश भर में ग्रीन फील्ड एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स/विमानन स्टेशन/पीओएल टर्मिनल/तटीय क्रायोजेनिक सुविधाओं/2जी/1जी इथेनॉल रिफाइनरी सहित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार थे।

श्री जैन ने वर्ष 2019 से कांडला–गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन लगाने के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के संयुक्त उद्यम मैसर्स आईएचबी के निदेशक का पद भी संभाला और इस परियोजना का नेतृत्व किया, जो भली–भांति प्रगति पर है।

बीपीसीएल में आपके द्वारा संभाले गए अन्य नेतृत्व पदों में कार्यकारी निदेशक (सीपीओ) के रूप में बीपीसीएल के विपणन प्रभाग के केंद्रीय खरीद संगठनों का नेतृत्व करना शामिल है, जो इथेनॉल सहित लगभग ₹ 8000 करोड़ मूल्य के गैर–हाइड्रोकार्बन माल और सेवाओं की खरीद के लिए जिम्मेदार है। आपने बीपीसीएल के पाइपलाइन प्रभाग का भी नेतृत्व किया, जो बीपीसीएल के लगभग 3000 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क के संचालन और विभिन्न ग्रीनफील्ड क्रॉस कंट्री पाइपलाइन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है।

निदेशक मंडल

श्री पंकज जैन	अध्यक्ष	**(20.01.2022 से)**
श्री प्रवीण एम. खनूजा	निदेशक	**(17.02.2023 से)**
सुश्री कामिनी चौहान रतन	निदेशक	**(21.12.2022 से)**
सुश्री ईशा श्रीवास्तव	निदेशक	**(22.12.2021 से)**
सुश्री वर्षा सिन्हा	निदेशक	**(15.12.2022 से)**
श्री एल. आर. जैन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	**(31.10.2022 से)**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

श्री एल. आर. जैन

कंपनी सचिव

सुश्री शिल्पी मोहंती

सांविधिक लेखा परीक्षक

प्रसाद आजाद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

सचिवालीय लेखा परीक्षक

पीजी एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव

बैंकर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110 001

पंजीकृत कार्यालय

301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110 001
दूरभाषः 011–23412278

प्रशासनिक कार्यालय

ओआईडीबी भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष : 91–120–2594661, फैक्स नंबर : 91–120–2594643
वेबसाइट : www.isprlindia.com
ईमेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापत्तनम परियोजना कार्यालय
लोवागार्डन, एचएसएल फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गांधीग्राम डाकघर, विशाखापत्तनम – 530 005

मैंगलोर परियोजना कार्यालय
चंद्रहास नगर, कलावर डाकघर, बाजपे वाया,
मंगलुरु–574 142

पादुर परियोजना कार्यालय

डाकघरः पादुर, वाया कापू, जिला उडुपी – 574 106, कर्नाटक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकरण पर 20वीं वार्षिक रिपोर्ट, और उसके साथ लेखापरीक्षित लेखा विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

I. वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	सकल अचल परिसंपत्ति (मूर्त और अमूर्त)	3,73,773.71	3,73,759.79
	घटाएँ: – संचित मूल्यह्रास	68,404.72	58,502.71
निवल अचल परिसंपत्ति		**3,05,368.99**	**3,15,257.08**
2	कुल गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	27,007.06	29,892.89
3	कुल चालू परिसंपत्तियाँ	34,798.82	5,113.85
कुल परिसंपत्ति (1+2+3)		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**
4	संचित हानि सहित कुल इक्विटी	3,06,967.08	3,15,837.02
5	कुल गैर–चालू देयताएँ	582.04	572.08
6	कुल चालू देयताएँ	59,625.75	33,854.72
कुल देयताएं (4+5+6)		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**
लाभ और हानि खाते की मदें			
क्रम सं.	**विवरण**	**31 मार्च, 2024**	**31 मार्च, 2023**
1	प्रचालन से राजस्व	1,047.74	205.81
2	अन्य आय	14,532.98	14,966.21
(क) कुल आय (1+2)		**15,580.72**	**15,172.02**
3	मूल्यह्रास और परिशोधन	9,902.36	9,943.14
4	व्यय (मूल्यह्रास को छोड़कर)	14,548.30	14,930.26
(ख) कुल व्यय (1+2)		**24,450.66**	**24,873.40**
अवधि के लिए निवल हानि (क–ख)		**-8,869.94**	**-9,701.38**
चरण II (प्राप्तियां और व्यय)			
क्रम सं.	**विवरण**	**31 मार्च, 2024**	**31 मार्च, 2023**
1	**परियोजना–पूर्व गतिविधि के लिए :–** वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान (निवल आधार पर)	298.81	शून्य
2	संदेय राशि के प्रावधान सहित वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	शून्य	314.15

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
3	**भूमि खरीद हेतु :–** वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान (निवल आधार पर)	शून्य	शून्य
4	संदेय राशि के प्रावधान सहित वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	7,821.29	4.17
मैंगलोर एमएसईजेड में चरण-I विस्तार (प्राप्तियां और व्यय)			
क्रम सं.	**विवरण**	**31 मार्च, 2024**	**31 मार्च, 2023**
1	**भूमि खरीद हेतु :–** भूमि के लिए अग्रिम सहित वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान (निवल आधार पर)	4,000.00	शून्य
2	वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	**2,069.39**	**200.00**

II. कार्य–निष्पादन विवरण

क. प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) ने देश की ऊर्जा सुरक्षा के स्ट्रेटेजिक उद्देश्य को पूरा करने के हित में, 7 जनवरी, 2004 को तीन स्थानों पर 5 एमएमटी के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (एसपीआर) बनाने का निर्णय लिया और कच्चे तेल के स्ट्रेटेजिक भंडार के निर्माण और संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) बनाने का गठन किया। चूंकि भारत विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और अपने नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए इन एसपीआर की परिकल्पना, विशेष रूप से बाहरी कारणों से आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बफर के रूप में की गई थी। असाधारण परिस्थितियों में, कच्चे तेल के बफर स्टॉक का उपयोग वैश्विक तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए किया जा सकता है।

एसपीवी, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का गठन आरम्भ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में किया गया था, जो 09.05.2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

पादुर के भूमिगत कच्चे तेल भंडारण का रॉक कैवर्न का दृश्य

5.03 एमएमटी क्षमता के एसपीआर के निर्माण की प्रारंभिक लागत का वित्तपोषण ओआईडीबी द्वारा किया गया था और आईएसपीआरएल की इक्विटी की समतुल्य राशि ओआईडीबी को अंतरित की गई थी। विशाखापत्तनम में 0.3 एमएमटी क्षमता की अतिरिक्त कैवर्न का निर्माण किया गया था, जिसे एचपीसीएल द्वारा वित्तपोषित किया गया था। विशाखापत्तनम (1.03 + 0.03 एमएमटी), मैंगलोर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) में कैवर्न का निर्माण वर्ष 2015–2017 के दौरान पूरा किया गया था। ये सुविधाएं वर्ष 2015 से 2018 के दौरान चालू की गईं।

एसपीआर में कच्चे तेल (4.28 एमएमटी) को भरने के लिए भारत सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराई गईं और एसपीआर के वार्षिक संचालन और अनुरक्षण (ओएंडएम) के लिए अनुदान भी दिया गया।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 फरवरी, 2019 को इन एसपीआर को राष्ट्र को समर्पित किया।

ख. एडनोक के साथ करार

अवसंरचना संबंधी समिति (सीसीआई) और सीसीईए के निर्देशों के अनुसार, एसपीआर में भरे जाने वाले कच्चे तेल की आंशिक लागत के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक मॉडल तलाशने के प्रयास किए गए। 25 जनवरी, 2017 को आईएसपीआरएल और एडनोक के बीच तेल भंडारण और प्रबंधन पर एक नियत करार पर हस्ताक्षर किए गए। करार के अनुसार, एडनोक द्वारा मैंगलोर के कैवर्न–ए को 5.86 मिलियन बैरल डीएएस ग्रेड कच्चे तेल से भरा गया। एडनोक को आईएसपीआरएल द्वारा स्ट्रेटेजिक उपयोग के लिए न्यूनतम 50% भंडारण क्षमता बनाए रखना आवश्यक है। शेष 50% भंडारण क्षमता एडनोक के पास वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।

डीजीएफटी द्वारा 23 मार्च, 2024 को आईएसपीआरएल मैंगलोर कैवर्न–ए से कच्चे तेल के पुनः निर्यात की अनुमति देते हुए अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार एएमआई (एडनोक मार्केटिंग इंटरनेशनल (इंडिया) आरएससी लिमिटेड इंडिया) को एसटीई शर्तों से छूट दी गई है और उन्हें मैंगलोर एसपीआर में अपने वाणिज्यिक भंडार से अपने स्वयं के खर्च पर कच्चे तेल का पुनः निर्यात करने की अनुमति है। इसके बाद, मैसर्स एडनोक को पुनः निर्यात की अनुमति देने के लिए मैसर्स एडनोक के साथ एक साइड लेटर करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ग. आंशिक व्यवसायीकरण

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2021 को आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान आईएसपीआरएल के व्यावसायीकरण का अनुमोदन दिया, जिसमें आईएसपीआरएल को एसपीआर कार्यक्रम के चरण–I के तहत कैवर्न में संग्रहीत कच्चे तेल के साथ आंशिक वाणिज्यिक गतिविधियां करने की अनुमति दी गई, जिसमें आईएसपीआरएल को एसपीआर क्षमता का 30% किराए/पट्टे पर देने और एसपीआर क्षमता का 20% कच्चे तेल की बिक्री/खरीद के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई।

आंशिक व्यावसायीकरण की दिशा में पहले कदम के रूप में, आईएसपीआरएल ने 19 जनवरी, 2024 से विशाखापत्तनम में एचपीसीएल को 300 टीएमटी (2.17 मिलियन बीबीएल) कैवर्न क्षमता किराए पर देने के लिए एचपीसीएल के साथ एक करार किया है। 7 फरवरी, 2024 को गोवा में आईईडब्ल्यू 2024 में आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक तथा एचपीसीएल के कार्यकारी निदेशक (आईटी) द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव, आईडीबी के सचिव, एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा आईएसपीआरएल एवं एचपीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति में एक औपचारिक करार पर हस्ताक्षर किए गए। पट्टे पर दी गई क्षमता का उपयोग एचपीसीएल द्वारा बसरा मीडियम क्रूड ऑयल के भंडारण के लिए किया जाएगा। किसी आपात स्थिति में, इस कच्चे तेल के उपयोग पर भारत सरकार का पहला अधिकार होगा। इसके साथ ही आईएसपीआरएल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम उठाते हुए राजस्व अर्जित करना शुरू कर दिया है।

07.02.2024 को आईईडब्ल्यू गोवा में एचपीसीएल के साथ कैवर्न–ए विशाखापत्तनम को किराए पर देने के लिए करार पर हस्ताक्षर

घ. एसपीआर के प्रचालन

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में एसपीआर के संचालन और अनुरक्षण के संबंध में मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

i. विशाखापत्तनम (भंडारण क्षमता: 1.33 एमएमटी)

विशाखापत्तनम कैवर्न को वर्ष 2015 में चालू किया गया था। इस सुविधा में दो कम्पार्टमेंट – कैवर्न ए (1.03 एमएमटी) और कैवर्न बी (0.3 एमएमटी) हैं। कैवर्न ए स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल के लिए है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से भरा जाता है। एचपीसीएल ने आनुपातिक लागत साझाकरण के आधार पर कैवर्न बी को स्वयं अध्यासित कर लिया है। इसका उपयोग एचपीसीएल द्वारा विशाखापत्तनम में अपने रिफाइनरी संचालन के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है।

इस वर्ष कोई एलटीए (लॉस टाइम एक्सीडेंट) की सूचना नहीं मिली। एसपीआर पर जल आच्छादन स्तर की निरंतर निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर के 24/7 संचालन को सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण स्टेशन में बोरहोल लॉग की हाइड्रोलॉजिकल निगरानी की गई। निवारक अनुरक्षण गतिविधियाँ तय समय के अनुसार आयोजित की गईं। आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए आईएसपीआरएल द्वारा आपसी सहायता सदस्यों और वैधानिक प्राधिकरणों के साथ मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जिला अधिकारियों के समन्वय और उप अग्निशमन मुख्य निरीक्षक विशाखापत्तनम की उपस्थिति में 2 फरवरी, 2024 को आपदा नियंत्रण प्रबंधन योजना (डीसीएमपी) मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम को 19.01.2024 को कैवर्न ए में 300 टीएमटी क्षमता को पट्टे/किराए पर देने के लिए एचपीसीएल के बसरा मीडियम क्रूड की पहली खेप प्राप्त हुई।

आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम में आपदा नियंत्रण प्रबंधन मॉक ड्रिल का दृश्य

- येरदा समुद्रतट पर "स्वच्छता पखवाड़ा विशेष अभियान 3.0" समुद्रतट सफाई के लिए विशाल गतिविधि का आयोजन किया गया
- आईएसपीआरएल, विशाखापत्तनम परिसर के अंदर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से "रक्तदान शिविर" का आयोजन किया गया।
- आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम में सुरक्षा प्रदान करने वाले आईटीबीपी के जवानों को आवास के लिए आरआईएनएल विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के टाउनशिप क्वार्टर में स्थानांतरित किया गया। इससे पहले उन्हें पट्टा किराए के आधार पर पुराने कॉलेज भवन में आवास दिया जा रहा था। आवास के इस स्थानांतरण के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष किराये के भुगतान में लगभग 50 लाख की बचत हुई है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर संसदीय स्थायी समिति ने माननीय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी की अध्यक्षता में 16.01.2024 को आईएसपीआरएल, विशाखापत्तनम साइट का दौरा किया। समिति के सदस्यों ने आईएसपीआरएल संयंत्र सुविधाओं का दौरा किया और आईएसपीआरएल टीम के समर्पित प्रयासों की सराहना की।

16.01.2024 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति का दौरा का दृश्य

आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम में संसदीय स्थायी समिति के सदस्य का दृश्य

विशाखापत्तनम में आईएसपीआरएल की टीम का दृश्य

ii. गैंगलोर (भंडारण क्षमता: 1.5 एमएमटी)

मैंगलोर कैवर्न सुविधा मैंगलोर एसईजेड क्षेत्र में स्थित है। सुविधा में 0.75 एमएमटी क्षमता की दो कैवर्न हैं।

मैंगलोर कैवर्न–बी को अक्टूबर, 2016 माह में चालू किया गया था। मैंगलोर के कैवर्न–ए को भरने के लिए एडनोक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैंगलोर के लिए कच्चे तेल की पहली वीएलसीसी शिपमेंट को 12 मई, 2018 को माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा अबू धाबी से हरी झंडी दिखाई गई और 19 मई, 2018 को आईएसपीआरएल मैंगलोर में प्राप्त किया गया।

इस वर्ष कोई एलटीए (हानि समय दुर्घटना) की सूचना नहीं मिली। एसपीआर पर जल आच्छादन स्तर की लगातार निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर का 24/7 संचालन सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए नियमित हाइड्रोजियोलॉजिकल निगरानी और बोर होल से पानी का नमूना लिया गया। निवारक अनुरक्षण गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं।

आईएसपीआरएल टीम ने 42'' क्रूड पाइपलाइन के लगभग 90 मीटर आरओयू की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया है, जो वर्ष 2023 के मानसून के दौरान मैंगलोर में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था।

आईएसपीआरएल मैंगलोर ने लघु उद्योग श्रेणी में राज्य स्तरीय सुरक्षा पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

- 4 मार्च से 10 मार्च, 2024 राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान–2024 तक चलाया गया।
- 11 से 17 जनवरी, 2024 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान मनाया गया।

- सभी कर्मचारियों के लिए सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, पोस्टर मेकिंग और सुरक्षात्मक ड्राइविंग तकनीक प्रशिक्षण जैसी जागरूकता प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का दृश्य

आईएसपीआरएल मैंगलोर में डीसीएमपी ड्रिल

iii. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी)

पादुर परियोजना के लिए, उडुपी जिले के पादुर गांव में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलेपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह आईएसपीआरएल द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी परियोजना है और इसे दिसंबर, 2018 में चालू किया गया था।

चालू वर्ष के दौरान :–

- पादुर टीम ने फरवरी, 2024 में बाह्य सुरक्षा लेखापरीक्षा (संयंत्र सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा) सफलतापूर्वक पूरा की।
- विद्युत सुरक्षा सप्ताह (जून, 26 से जुलाई, 2, 2023) के दौरान आईएसपीआरएल पादुर साइट पर सभी संयंत्र कर्मचारियों के लिए विद्युत सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- पादुर टीम ने घरेलू संसाधनों के माध्यम से बाढ़ के दौरान जलमग्न दो प्रमुख डीवाटरिंग मोटरों की ओवरहालिंग का कार्य पूरा किया। आउटसोर्सिंग लागत बचाने के लिए मरम्मत कार्य आंतरिक ओ एंड एम इलेक्ट्रिकल टीम द्वारा किया गया।

इस वर्ष कोई एलटीए (हानि समय दुर्घटना) की सूचना नहीं मिली। एसपीआर पर जल आच्छादन स्तर की लगातार निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर का 24/7 संचालन सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोजियोलॉजिकल और बोर होल की निगरानी की गई। निवारक अनुरक्षण गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं।

पादुर कैवर्न में निष्क्रिय परिवेश बनाए रखने के लिए प्रयुक्त नाइट्रोजन वाहिकाएं

ङ. इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) 2024, गोवा

आईएसपीआरएल ने 11 से 14 फरवरी, 2024 तक गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) में भाग लिया। आईएसपीआरएल ने पहली बार आईईडब्ल्यू कार्यक्रम में अपना स्वयं का स्टॉल लगाया। भारत और दुनिया भर में विभिन्न तेल कंपनियों और संबद्ध विक्रेताओं के कई वरिष्ठ प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने आईएसपीआरएल स्टॉल का दौरा किया और एसपीआर के उद्देश्य और प्रक्रिया को समझने में रुचि ली। एसपीआर का एक मॉडल वर्चुअल थ्री डी वॉकथ्रू के साथ प्रदर्श–पटल पर रखा गया था, जिसे आगंतुकों ने काफी सराहा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन का आईएसपीआरएल स्टॉल आईईडब्ल्यू 2024, गोवा में स्वागत

सुश्री ईशा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आईईडब्ल्यू 2024, गोवा में आईएसपीआरएल स्टॉल का दौरा

आईईडब्ल्यू 2024, गोवा में आईएसपीआरएल स्टॉल पर माननीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली

आईईडब्ल्यू 2024, गोवा में आईएसपीआरएल की टीम

च. माननीय राज्य मंत्री, श्री रामेश्वर तेली का आईएसपीआरएल मुख्यालय, नोएडा का दौरा

माननीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली का क्रूड ऑयल कैवर्न के मॉडल से परिचय

ओआईडीबी भवन में योग दिवस समारोह का दृश्य

छ. आईएसपीआरएल की जारी परियोजनाओं की स्थिति

i. पादुर, जिला उडुपी, कर्नाटक में चरण–II के तहत 2.5 एमएमटी का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार

पादुर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए, आईएसपीआरएल ने नवंबर 2020 में केआईएडीबी को भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता प्रस्तुत की। केआईएडीबी ने 22 फरवरी, 2023 को 214.79 एकड़ पादुर भूमि के लिए अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी की है और इसे 24 मार्च, 2023 को प्रेस में प्रकाशित किया गया है। भूमि के लिए आईएसपीआरएल द्वारा केआईएडीबी को कुल ₹176 करोड़ का भुगतान किया गया है। केआईएडीबी डीसी, उडुपी के परामर्श से आर एंड आर पैकेज और भूस्वामियों को मुआवजे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

पादुर में एसपीएम के लिए समुद्री सर्वेक्षण, मॉडलिंग और अपतटीय पाइपलाइन मार्ग सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। पादुर में एसपीएम के लिए डीएफआर का कार्य पूरा हो गया है।

मैसर्स डेलॉइट टौचे को आरएफपी तैयारी के लिए लेनदेन सलाहकार और पीपीपी मॉडल के लिए आवश्यक चरण II के रियायती करार की तैयारी के लिए कानूनी सलाहकार मैसर्स एजेडबी साझेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड डीबीएफओ आधार पर पादुर चरण II के लिए आरएफपी 21 फरवरी, 2024 को जारी किया गया था।

ii. चांदीखोल, जिला जाजपुर, ओडिशा में चरण–II के तहत 4.0 एमएमटी का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स

ईआईएल द्वारा डीएफआर अध्ययन पूरा होने के बाद, 4 एमएमटी क्षमता की एसपीआर सुविधाएं स्थापित करने के लिए चांदीखोल में 400 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए आईएसपीआरएल द्वारा 30 सितंबर, 2019 को एक आवेदन ओडिशा सरकार को प्रस्तुत किया गया था। भूमि आवेदन के मूल्यांकन के बाद ओडिशा सरकार ने आईएसपीआरएल को चांदीखोल, ओडिशा के पास एक वैकल्पिक स्थान की संभावना तलाशने की सलाह दी।

वैकल्पिक साइटों का मूल्यांकन करने के लिए 23 और 24 मई, 2023 को ईआईएल और आईएसपीआरएल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा साइट का एक संयुक्त दौरा किया गया।

आईएसपीआरएल ने मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डेस्कटॉप अध्ययन किया और सेटेलाइड चित्रों की समीक्षा की और जाजपुर के पास माझीफाड़ा पहाड़ियों के पास स्थान की पहचान की। उपरोक्त स्थान के लिए एएसआई सर्वेक्षण किया गया है और रिपोर्ट ओडिशा सरकार को सौंपी गई है।

iii. मैंगलोर में चरण–I विस्तार के लिए एमएसईजेडएल में भूमि अधिग्रहण

डेलिगेटेड इंवेस्टेड बोर्ड (डीआईबी) ने 17.02.2023 को मैंगलोर एमएसईजेडएल में एसपीआर और संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमएसईजेडएल) से इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा भूमि (154.9 एकड़) के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आईएसपीआरएल ने 17 मार्च, 2023 को एमएसईजेडएल क्षेत्र मैंगलोर में 154.90 एकड़ भूमि के प्लॉट आकार के लिए एमएसईजेडएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ईआईएल को उपरोक्त साइट के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। स्थलाकृति और हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और मैंगलोर में 1.5 से 2 एमएमटी क्षमता वाले कैवर्न्स के चरण I विस्तार की स्थापना के लिए डीएफआर के लिए डाटा एकत्र किया गया है।

iv. नई परियोजनाओं के लिए पीएफआर/डीएफआर

बीकानेर में कच्चे तेल के भंडारण के लिए साल्ट कैवर्न्स के निर्माण के लिए डीएफआर अध्ययन, बीना में सामरिक भंडार के लिए पीएफआर तथा मैंगलोर और पादुर में भूमि के ऊपर भंडारण टैंक के लिए पीएफआर अध्ययन करने की परिकल्पना की गई है। आईएसपीआरएल और ईआईएल अधिकारियों की एक टीम ने फरवरी, 2024 में बीकानेर के पास संभावित साल्ट कैवर्न्स के लिए साइट का दौरा किया।

ज. ओटीटीसीओ के साथ समझौता–ज्ञापन

25 जून, 2023 को भूमि के ऊपर भंडारण टैंकों के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए आईएसपीआरएल द्वारा ओटीटीसीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

III. लाभांश

आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की है।

IV. आरक्षित निधियों का अंतरण

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान हुई हानि को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है।

V. सार्वजनिक जमा

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक जनता से किसी भी सावधि जमा को आमंत्रित, स्वीकार या नवीनीकृत नहीं किया है और तदनुसार, उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

VI. लेखापरीक्षा समिति

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. श्री प्रवीण एम. खनूजा, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/निदेशक, आईएसपीआरएल : अध्यक्ष
2. सुश्री कामिनी चौहान रतन, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/निदेशक, आईएसपीआरएल : सदस्य
3. सुश्री ईशा श्रीवास्तव, जेएस (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/निदेशक, आईएसपीआरएल : सदस्य
4. सुश्री वर्षा सिन्हा, सचिव, ओआईडीबी/निदेशक, आईएसपीआरएल : सदस्य
5. श्री एल. आर. जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल : सदस्य

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तारीखें, जिसमें प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या को दर्शाया गया है, **अनुलग्नक–क** में दी गई है।

VII. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी की एक सीएसआर नीति है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कोई धनराशि व्यय नहीं की है क्योंकि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2023–24 में सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार सीएसआर समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

1. सुश्री ईशा श्रीवास्तव, जेएस (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/निदेशक, आईएसपीआरएल : अध्यक्ष
2. श्री एल. आर. जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल : सदस्य

VIII. वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के साथ पठित धारा 92(3) के प्रावधान के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी इसकी वेबसाइट https://isprlindia.com/annual-report.asp उपलब्ध कराई गई है।

IX. बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कंपनी के निदेशक मंडल की निम्नलिखित पांच बैठकें आयोजित की गईं:

1. 21 अप्रैल, 2023
2. 08 मई, 2023
3. 30 जून, 2023
4. 26 सितंबर, 2023
5. 14 दिसंबर, 2023

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तारीखें, जिसमें प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या को दर्शाया गया है, **अनुलग्नक–क** में दी गई है।

X. व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान व्यवसाय के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

XI. कार्मिकों का विवरण

कंपनी के पास ऐसा कोई कार्मिक नहीं है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

XII. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

XIII. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की निरंतर सफलता के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास कंपनी के प्रचालन से जुड़े जोखिम की पहचान करने और जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी से जुड़े प्रमुख जोखिम कच्चे तेल की प्राप्ति और भंडारण और डिलीवरी से संबंधित हैं। मानक संचालन प्रक्रियाओं और पर्याप्त बीमा कवर को अपनाकर इन जोखिमों को कम किया जाता है।

XIV. शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इक्विटी शेयर पूंजी जारी नहीं की है।

XV. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे :

क)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक	श्री एल. आर. जैन
ख)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री गोपेश्वर कुमार सिंह (14.05.2024 तक)
ग)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री अजय दशोरे (15.05.2024 से 09.06.2024 तक)
घ)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री दीपक कुमार (10.06.2024 से)
ङ)	कंपनी सचिव	सुश्री शिल्पी मोहंती (06.06.2023 से)
च)	कंपनी सचिव	श्री अरुण तलवार (15.05.2023 तक)

XVI. पारिश्रमिक

आईएसपीआरएल के बोर्ड में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के सिवाय, सभी निदेशक गैर–कार्यकारी निदेशक हैं, जिन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा नामित किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित गैर–कार्यकारी निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक आईएसपीआरएल बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा एजीएम में स्वीकृत उनके रोजगार की शर्तों के अनुसार है।

कंपनी के प्रमुख पदों पर तेल पीएसई से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी कार्यरत हैं, जिन्हें उनकी संबंधित मूल कंपनियों की नीतियों के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है।

इसके अलावा, मैंगलोर में 12 कार्मिकों की नियुक्ति की गई है, जिनकी भूमि आईएसपीआरएल ने परियोजना के लिए अधिग्रहित की थी। इन कार्मिकों को ओआईडीबी नीतियों के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है।

XVII. वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, जिससे तुलन–पत्र संबंधित है, तथा रिपोर्ट की तारीख के बाद कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

XVIII. भविष्य में कंपनी का चालू रहने की स्थिति और कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेशों का ब्यौरा

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे भविष्य में कंपनी की चालू रहने की स्थिति और प्रचालन पर कोई प्रभाव पड़े।

XIX. सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं है।

XX. लेखापरीक्षक

(i) सांविधिक लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने मैसर्स प्रसाद आजाद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (डीई0029), 1207, सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली– 110001 को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था, जिसने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर अपनी रिपोर्ट **(अनुलग्नक–ख)** प्रस्तुत की। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित योग्य राय प्रदान की गई है:–

''चरण–II के लिए प्राप्त अनुदान में से, सक्षम प्राधिकारी/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमोदन के बिना मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड को भूमि के अधिग्रहण के लिए पट्टा प्रीमियम के चरण–I के विस्तार के लिए वर्ष के दौरान ₹2069.39 लाख की राशि का भुगतान और उपयोग किया गया था। जिसके कारण वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'नकदी और नकदी समकक्ष' कम हैं और 'अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां' उसी सीमा तक अधिक हैं।''

शेयरधारकों को दी गई अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ और उस पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर **अनुलग्नक–ग** के रूप में संलग्न है।

(ii) सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के तहत सीएंडएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। वित्तीय विवरणों पर सीएंडएजी की कोई महत्वपूर्ण टिप्पणियां **(अनुलग्नक–घ)** नहीं हैं।

(iii) सचिवीय लेखापरीक्षा

वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड ने मेसर्स पीजी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, 106, महागुन मॉर्फियस, ई–4, सेक्टर–50, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश को कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था, ताकि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सचिवीय लेखापरीक्षा की जा सके। सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **(अनुलग्नक–ङ)** के रूप में संलग्न है। शेयरधारकों के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई आपत्ति नहीं है।

(iv) लागत लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, कंपनी को लागत लेखाकार से अपने लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है।

XXI. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, अनुसंधान एवं विकास तथा निर्यात एवं विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

कंपनी ने विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर कैवर्न्स को चालू किया है। विद्युत की बचत और लागत में कमी के एक हिस्से के रूप में, इन–हाउस ओएंडएम इलेक्ट्रिकल टीम (जून, 2023–अगस्त, 2023) के माध्यम से सभी भवन सुविधाओं में संयंत्र की मौजूदा सीएफएल/पारंपरिक लाइटिंग को नई एलईडी लाइटिंग सिस्टम से बदलने की पहल की गई।

कंपनी को वर्ष के दौरान ₹303.71 लाख की विदेशी मुद्रा प्राप्ति हुई। साथ ही, समीक्षाधीन अवधि के दौरान इसकी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विदेशी मुद्रा उपयोग शून्य रहा।

XXII. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किया है।

XXIII. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए कंपनी की शून्य–सहिष्णुता की नीति है। कंपनी ने 'महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी ने इस अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, उक्त अधिनियम के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

XXIV. बोर्ड का मूल्यांकन

बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य–निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन आईएसपीआरएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड कार्य–निष्पादन मूल्यांकन नीति के अनुसार किया गया है।

XXV. लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

XXVI. ऋण, गारंटी या निवेशों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185/186 के प्रावधानों के तहत वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई ऋण/गारंटी नहीं दी गई है या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं।

XXVII. संबंधित पक्षकार लेन–देन

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत संबंधित पक्षकार लेनदेन, आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक को प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान था। संबंधित पक्षकार के साथ लेन–देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं और आर्म्स लेंथ आधार पर हैं।

XXVIII. सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का कंपनी द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है।

XXIX. निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ग) के तहत यथा–अपेक्षित, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यह उल्लेख और पुष्टि की जाती है :

(क) कि वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;

(ख) कि निदेशकों ने लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2024 को कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके;

(ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए "चालू संस्था" के आधार पर लेखा तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

XXX. निदेशक मंडल

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार आपके निदेशक मंडल में पांच अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशक और एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1.	श्री पंकज जैन (डीआईएन – 00675922)	सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष (20.01.2022 से);
2.	श्री प्रवीण एम खनूजा (डीआईएन – 09746472)	अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (17.02.2023 से नियुक्ति);
3.	सुश्री कामिनी चौहान रतन (डीआईएन – 09831741)	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (21.12.2022 से नियुक्ति);
4.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव (डीआईएन – 08504560)	संयुक्त सचिव (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (22.12.2021 से);
5.	सुश्री वर्षा सिन्हा (डीआईएन – 09825811)	सचिव, ओआईडीबी – निदेशक (नियुक्ति 15.12.2022 से);
6.	श्री एल. आर. जैन (डीआईएन – 08505199)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (नियुक्ति 31.10.2022 से)।

अभिस्वीकृति

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(एल. आर. जैन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन#08505199)

हस्ता./–
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
(डीआईएन#08504560)

दिनांक : 24.09.2024
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक–क

बोर्ड समितियों और बोर्ड की बैठकों का विवरण तथा उन बैठकों की संख्या, जिनमें निदेशकों ने भाग लिया:

लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक 23.06.2023, 25.09.2023, 14.12.2023 और 21.03.2024 को चार बैठकें आयोजित कीं।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठक में निदेशक की उपस्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	उन बैठकों की संख्या, जिनमें वित्तीय वर्ष 2023–24 में भाग लिया
1	श्री प्रवीण एम. खनूजा	अध्यक्ष	4
2	सुश्री कामिनी चौहान रतन	सदस्य	3
3	सुश्री ईशा श्रीवास्तव	सदस्य	4
4	सुश्री वर्षा सिन्हा	सदस्य	3
5	श्री एल. आर. जैन	सदस्य	4

निदेशक मंडल :

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कंपनी के निदेशक मंडल की निम्नलिखित पांच बैठकें आयोजित की गईं :

1. 21 अप्रैल, 2023
2. 08 मई, 2023
3. 30 जून, 2023
4. 26 सितंबर, 2023
5. 14 दिसंबर, 2023

वित्त वर्ष 2023–24 में बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	उन बैठकों की संख्या, जिनमें वित्तीय वर्ष 2023–24 में भाग लिया
1.	श्री पंकज जैन (20.01.2022 से)	अध्यक्ष	5
2.	श्री प्रवीण एम. खनूजा (17.02.2023 से)	निदेशक	5
3.	सुश्री कामिनी चौहान रतन (21.12.2022 से)	निदेशक	2
4.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव (22.12.2021 से)	निदेशक	3
5.	सुश्री वर्षा सिन्हा (15.12.2022 से)	निदेशक	5
6.	श्री एल. आर. जैन (31.10.2022 से)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	5

अनुलग्नक–ख

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण युक्त जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव के सिवाय, उपरोक्त वित्तीय विवरण यथापेक्षित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा यथा–अपेक्षित जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, (''इंड एएस'') और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (''दि इंड एएस'') के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ, नकदी प्रवाह और उसकी इक्विटी में परिवर्तन का विवरण का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य राय का आधार

चरण–II के लिए प्राप्त अनुदान में से, वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी/पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के अनुमोदन के बिना मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड को भूमि अधिग्रहण के लिए लीज प्रीमियम के लिए चरण–I के विस्तार के लिए ₹2069.39 लाख का भुगतान और उपयोग किया गया। जिसके कारण वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'नकदी और नकदी समकक्ष' कम हैं और 'अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां' उसी सीमा तक अधिक हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। **इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां अनुभाग में वर्णित की गई हैं।** हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (''दि आईसीएआई'') द्वारा जारी आचार संहिता के साथ नैतिक अपेक्षाओं, जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संगत है, के अनुसरण में कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी योग्य राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार होता है। अन्य जानकारी में बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी शामिल है, किंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

हमारी राय में वित्तीय विवरणों पर अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, हम इस बात का ध्यान रखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारे अंकेक्षण के क्रम में या अन्यथा प्राप्त जानकारी को भौतिक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

यदि हम अपने द्वारा किए गए इस कार्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी है, तो हमें ऐसे तथ्य की रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट किए जाने योग्य कोई तथ्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन का प्रभार संभालने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित इंड एएस और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अन्य व्यापक आय, कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख का रखरखाव, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेख की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, शामिल हैं, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी को एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने के लिए कंपनी की योग्यता और क्षमता का आकलन करने, यथा लागू प्रकटीकरण, सुनाम प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए आधार का उपयोग करने के लिए तब तक जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन का इरादा या तो कंपनी को परिसमाप्त करने या ऑपरेशन को रोकने का नहीं है या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है।

यह निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होता है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा उस महत्वपूर्ण गलत विवरण का हमेशा पता लगाएगा, जो मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है तो उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है।

लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उन्हें निष्पादित करना, और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिण ामस्वरूप वास्तविक मिथ्यबयानी के पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, टकराव, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के जारी प्रतिष्ठान के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता है जो कंपनी की एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करना होता है, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वास्तु का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारियों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने अपनी स्वायत्तता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा ऐसे सभी सम्बन्ध और मामले जो हमारी स्वायत्तता पर प्रभाव डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी उनसे संवाद करते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियागक अपेक्षाओं सम्बन्धी रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम **अनुलग्नक–क** में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू हो, एक विवरण देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने सभी ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी उचित जानकारी और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   (ख) जहाँ तक लेखा–बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून अनुसार यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

   (ग) इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के सम्बन्ध में ब्यौरे दिए गए हैं, वे लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   (घ) **हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के लिए आधार में वर्णित गामलों के प्रभाव के सिवाय,** हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियामवली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस के अनुरूप हैं।

   (ङ) निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिए गए 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में **''अनुलग्नक ख''** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम उल्लेख करते हैं कि लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियामवली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह सूचित करते हैं कि :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी संख्या 31.2(क) देखें)।

ii. कंपनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं है, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानियां थी – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 40(xxxix) देखें।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए कोई राशि अपेक्षित नहीं थी – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 40(xl) देखें।

iv. (क) कंपनी के प्रबंधन ने सूचित किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 40(xxx)(क) में प्रकटीकरण किया गया है, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 40(xxx)(ख) में प्रकटीकरण किया गया है, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ग) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी है।

v. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, तदनुसार नियम 11 (एफ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपनी लेखा बहियों [भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों के प्रत्युत्तर में नीचे पैरा 3(i) में उल्लिखित मदों को छोड़कर] को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए पूरे वर्ष क्रियाशील रहा है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क्र. सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक का उत्तर
(i)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन की प्रोसेसिंग के निहितार्थ बताए।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है, जिसमें कच्चे तेल की बिक्री के लिए बिलिंग, पंपिंग शुल्क, एडनोक और एमआरपीएल से प्रचालन आय, एचपीसीएल के साथ ओ एंड एम व्यय का बंटवारा, कैवर्न्स के पट्टे/किराये से आय और संबंधित आय, रॉक बिक्री, संपत्ति संयंत्र और उपकरण अभिलेख, छुट्टी अभिलेख, पेरोल, अनुदान रिकॉर्ड शामिल हैं, जिनके लिए लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग का कोई निहितार्थ नहीं है और कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा गया है।
(ii)	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट दी गई/बट्टे खाते में डाला गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होगा)।	कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केंद्रीय/राज्य सरकारों या इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को योजना की शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची प्रदान करें।	चरण–II के लिए प्राप्त अनुदान में से ₹2069.39 लाख की राशि को सक्षम प्राधिकारी/पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के अनुमोदन के बिना मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड को भूमि अधिग्रहण के लिए लीज प्रीमियम के रूप में चरण–I के विस्तार के लिए उपयोग करने के सिवाय केंद्र/राज्य सरकार से इसकी एजेंसियों की विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उनकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया है।

कृते प्रसाद आजाद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 001009एन

हस्ता/–
(के. एम. आजाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125
यूडीआईएन: : 24005125BKMEVN7716

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जुलाई, 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक – क"

[31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** के सदस्यों को हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक–क]

हमने जो जांच उचित समझी, उसके आधार पर तथा लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों (पाइपलाइनों के लिए आरओयू) का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मैंगलोर इकाई, पादुर इकाई और मुख्यालय में बाहरी एजेंसी के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से और विशाखापत्तनम इकाई में आंतरिक रूप से भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रकृति को देखते हुए उचित है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गई।

(ग) नीचे दिए गए मामले के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2 में प्रकट की गई अचल परिसंपत्तियों (उपयोगाधिकार परिसंपत्तियां) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं, **[वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 40(xix) देखें]**:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपये में)	किसके नाम पर धारित	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
उपयोग का अधिकार – मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि (104.73 एकड़)	8492.50	मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड और कंपनी के बीच 7 मार्च, 2017 को हुआ पट्टा करार कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं है।	नहीं	भूमि के कब्जे की तिथि से 26 जनवरी, 2060 तक पट्टा। रिकॉर्ड में उपलब्ध 100.02 एकड़ के लिए आवंटन की तारीख 23.11.2009 है और 4.71 एकड़ के लिए 11.04. 2018 है। हालाँकि, कब्ज़ा लेने की तारीख का दस्तावेज़ कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है।	जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पट्टा विलेख के पंजीकरण के लिए मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड से संपर्क कर रही है।

(घ) हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोगाधिकार सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2024 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन ने स्वतंत्र सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से उचित अंतराल पर भारत सरकार की ओर से मैंगलोर में कैवर्न बी और कैवर्न ए में एडनोक तथा भारत सरकार की ओर से विशाखापत्तनम और पादुर में रखे गए कच्चे तेल के भंडार का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में, कच्चे तेल की प्रकृति और स्थान को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित मानी जाती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के किसी भी समय कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा संस्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iii) (क) से (च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण की प्रकृति में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है जिसके लिए अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान लागू होते हैं।

vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत की केंद्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vii) (क) कंपनी के जांचे गए अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य सांविधिक बकाया सहित अविवादित सांविधिक बकाया राशि को उचित प्राधिकरणों को जमा करने में नियमित रही है। नीचे बताए गए अपवादों को छोड़कर, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई भी अविवादित बकाया सांविधिक देय नहीं है:

छह माह से अधिक समय से बकाया सांविधिक देय का विवरण

क्रम सं.	सांविधि का नाम	देय का प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	वह अवधि, जिससे राशि संबंधित है	देय तारीख	भुगतान की तारीख	अभ्युक्ति, यदि कोई हों
1.	आयकर अधिनियम, 1961	धारा 143(3) के तहत किए गए निर्धारण पर मांग	70.86	वि.व. 2015–16 (नि.व. 2016–17)	कंपनी की अभ्युक्तिः कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान विवाद से विश्वास योजना के तहत मांग का भुगतान पहले ही कर दिया है, हालांकि कर विभाग द्वारा समायोजन लंबित है क्योंकि यह राशि आयकर पोर्टल पर बकाया के रूप में दिखाई दे रही है।		
2.	आयकर अधिनियम, 1961	धारा 143(3) के तहत किए गए निर्धारण पर मांग	31.78	वि.व. 2016–17 (वि.व. 2017–18)	कंपनी की अभ्युक्तिः कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान विवाद से विश्वास योजना के तहत मांग का भुगतान पहले ही कर दिया है, हालांकि कर विभाग द्वारा समायोजन लंबित है क्योंकि यह राशि आयकर पोर्टल पर बकाया के रूप में दिखाई दे रही है।		

(ख) हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, निम्नलिखित के सिवाय माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य कोई भी सांविधिक बकाया नहीं है, **जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया होः**

विवादित देय का विवरण

क्रम सं.	सांविधि का नाम	देय का प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	वह अवधि, जिससे राशि संबंधित है	वह मंच, जहां मामला लंबित है	अभ्युक्ति, यदि कोई हों
1.	आंध्र प्रदेश लघु खनिज रियायत नियम 1996	रॉयल्टी	11,795.03	31.03.2018 तक	खदान एवं भूविज्ञान निदेशालय, आंध्र प्रदेश	—
2.	आयकर अधिनियम, 1961	धारा 154 के तहत किए गए निर्धारण पर मांग	0.34	वि.व. 2017–18 (नि.व. 2018–19)	आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील के अधीन	—
3.	आयकर अधिनियम, 1961	धारा 143(3) के तहत किए गए निर्धारण पर मांग	257.81	वि.व. 2021–22 (नि.व. 2022–23)	आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील के अधीन	—

4.	माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	फॉर्म डीआरसी–01 में जीएसटी की मांग	13.90	वि.व. 2017–18 से वि.व. 2018–19	जीएसटी प्राधिकरण	—
5.	माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	फॉर्म डीआरसी–01 में जीएसटी की मांग	105.25	वि.व. 2019–20 से वि.व. 2022–23	जीएसटी प्राधिकरण	—
6.	कर्नाटक राज्य में प्रवेश कर	कर्नाटक राज्य में प्रवेश कर	74.64	वि.व. 2010–11 और 2011–12	माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय	—

viii) हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, ऐसा कोई लेन–देन नहीं था, जो लेखा–बही में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया हो।

ix) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है, इस प्रकार कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार की चुकौती या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी के जांचे गए अभिलेखों और हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई निधियां नहीं जुटाई गई हैं। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से निधियां नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xi) (क) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा पद्धतियों के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी लेखापरीक्षा, जांच के दौरान तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत प्रपत्र एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के समक्ष दाखिल नहीं की गई है।

(ग) हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii) (क), (ख) और (ग) – हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xiii) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहाँ लागू हो, के अनुपालन में हैं। संबंधित पक्षकरों के साथ सभी लेन–देन का विवरण वित्तीय विवरणों में लागू भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित रूप से प्रकट किया गया है [वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पमी संख्या 32 देखें]।

xiv) (क) कंपनी के जांचे गए अभिलेखों और हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है, **हालांकि, कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप इसे बनाने के लिए इसके दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, हमने आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट की गई नीचे दी गई गैर–अनुपालन/विसंगतियों का संज्ञान लिया है :**

(क) आईएसपीआरएल और एचपीसीएल के बीच पट्टा करार में किराये के भुगतान में देरी के लिए कोई शास्ति खंड नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है और संभावित उपायों की हानि होती है;

(ख) प्रत्येक मांग के लिए कर्मचारी का वेतन पिछले माह की उनकी उपस्थिति के आधार पर संसाधित किया जाता है;

(ग) कोई मानव संसाधन नीति तैयार नहीं की गई है जिसमें (क) भर्ती नीति, (ख) उपस्थिति नीति, (ग) मूल्यांकन नीति, (घ) अलगाव/निकास नीति, (ङ) हितों के टकराव शपथपत्र; शामिल हों;

(घ) (क) धोखाधड़ी विरोधी नीति, (ख) व्हिसल ब्लोअर नीति, (ग) आचार संहिता के संबंध में कोई इकाई स्तर नियंत्रण नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष पर असंतोषजनक अनुकूलन, नियंत्रणों के प्रबंधन का अतिव्यापन, कर्तव्यों का अनुचित पृथक्करण और निवारक की तुलना में जासूसी नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भरता है;

(ङ) कंपनी के डाटा को संग्रहीत करने, स्थानांतरित करने या एक्सेस करने के लिए पेन ड्राइव के उपयोग के कारण प्रधान कार्यालय में सूचना और सुरक्षा नीति का अनुपालन न करने से डाटा हानि, चोरी और मैलवेयर संक्रमण का खतरा होता है;

(च) टैली सॉफ्टवेयर में किसी भी अवधि में किसी भी लेखांकन प्रविष्टियों को संशोधित करने, जोड़ने और हटाने के लिए टैली उपयोगकर्ता को प्रतिबंधित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है;

(छ) टैली में कोई लॉक इन अवधि नहीं है जो कर्मचारियों को पिछली तारीख पर प्रविष्टियों को संशोधित करने और हटाने की अनुमति देती है।

(ख) हमने कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है जो आज तक जारी की गई हैं और लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए हमें उपलब्ध कराई गई हैं।

xv) कंपनी के जांचे गए अभिलेखों तथा हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–झक के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दिए गए अभ्यावेदनों के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ग) और (घ) कंपनी के जांचे गए रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदनों के अनुसार, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है और न ही समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी है। तदनुसार, आदेश के इन खंडों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तुरंत पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं उठाया है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांवधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी महत्वपूर्म अनिश्चितता मौजूद है जो यह इंगित करती है कि कंपनी तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, तुलन–पत्र की तारीख पर मौजूद अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देयताओं को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

xx) (क) और (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कंपनी पर लागू नहीं हैं। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xxi) आदेश के इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते प्रसाद आजाद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 001009एन

हस्ता./–
(के. एम. आजाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125
यूडीआईएन: : 24005125BKMEVN7716

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जुलाई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय ववरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समदिनांकित रिपोर्ट का "अनुलग्नक–ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ उसी तिथि को कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में निदेशात्मक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, अधिनियम के तहत यथाआवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) और अधिनियम की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट लेखांकन मानक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा परीक्षा का आयोजन और निष्पादन यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है तथा ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू प्रचलित है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा की योग्य राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जिनसे उस कंपनी की परिसम्पत्तियों के लेनदेन और प्रवृति की सटीक और निष्पक्ष तथ्य यथोचित विवरण के साथ प्रस्तुत करती है; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसम्पत्तियों; जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या प्रबंधन के अनुचित नियंत्रण की सम्भावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण मिथ्याबयानी हो सकती हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, आगामी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक नियंत्रण संबंधी निम्नलिखित खामियों की पहचान की गई है :

(i) कंपनी ने सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समय के भीतर कर चालान जारी नहीं किए हैं;

(ii) परिसंपत्तियों की बिक्री, कर्मचारियों को अग्रिम देने, कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति, पुरानी शेष राशि को बट्टे खाते में डालने/प्रतिलेखित करने के लिए कोई नीति नहीं है;

(iii) लेखा वाउचर पर तृतीय पक्ष के पेरोल (संविदाकार) के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है;

(iv) वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एमसीए/आरओसी फॉर्म डीपीटी–3 अभी तक कंपनी द्वारा दाखिल नहीं किया गया है;

(v) कंपनी के पास वर्ष के दौरान 10 से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन कंपनी ने ईएसआईसी अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है और इसके प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी में वर्ष के दौरान 20 से अधिक कर्मचारी (तृतीय पक्ष संविदाकारों के माध्यम से कर्मचारियों सहित) हैं, लेकिन कंपनी ने ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है और इसके प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

(vi) कंपनी द्वारा (परामर्शदाता के माध्यम से) किए गए परीक्षण में पिछले कुछ वर्षों में कुछ नियंत्रण खामियों की बार–बार रिपोर्ट की जा रही है, जिन्हें कंपनी द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।

"महत्वपूर्ण कमजोरी" वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में खामी या खामियों का एक संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना होती है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में, इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षण की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर अभिचिह्नित और बताई गई महत्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है और ये महत्वपूर्ण कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते प्रसाद आजाद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. : 001009एन

हस्ता/–
(के. एम. आजाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125
यूडीआईएनः : 24005125BKMEVN7716

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जुलाई, 2024

अनुलग्नक–ग

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

<table>
<tr><th>लेखापरीक्षक टिप्पणी संख्या</th><th>लेखापरीक्षा की टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>चरण–II के लिए प्राप्त अनुदान में से, वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमोदन के बिना मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड को भूमि अधिग्रहण के लिए पट्टा प्रीमियम के लिए चरण–I के विस्तार के लिए ₹2069.39 लाख का भुगतान किया गया और उसका उपयोग किया गया। जिसके कारण वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'नकदी और नकदी समकक्ष' कम हैं और 'अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां' उसी सीमा तक अधिक हैं।</td></tr>
<tr><td>प्रबंधन का उत्तर</td><td>पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में योजना (चरण–II के अंतर्गत कैवर्न्स का निर्माण) से नई योजना ''भूमि के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान'' के लिए निधियों का पुर्नआबंटन प्रगति पर है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 2 में प्रकट की गई अचल परिसंपत्तियों (उपयोगाधिकार परिसंपत्तियां) के स्वागित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं, सिवाय नीचे दिए गए मामले के [वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 40(xix) देखें]
<table>
<tr><th>संपत्ति का विवरण</th><th>सकल वहन मूल्य (लाख रुपये में)</th><th>किसके नाम पर धारित</th><th>प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी</th><th>धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें</th><th>कंपनी के नाम पर न होने का कारण</th></tr>
<tr><td>उपयोग का अधिकार – मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि (104.73 एकड़)</td><td>8492.50</td><td>मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड और कंपनी के बीच 7 मार्च, 2017 को हुआ पट्टा करार कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं है।</td><td>नहीं</td><td>भूमि के कब्जे की तिथि से 26 जनवरी, 2060 तक पट्टा। रिकॉर्ड में उपलब्ध 100.02 एकड़ के लिए आवंटन की तारीख 23.11.2009 है और 4.71 एकड़ के लिए 11.04.2018 है। हालाँकि, कब्ज़ा लेने की तारीख का दस्तावेज़ कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है।</td><td>जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पट्टा विलेख के पंजीकरण के लिए मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड से संपर्क कर रही है।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>प्रबंधन का उत्तर</td><td>उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय के दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के पत्र के अनुसार, आईएसपीआरएल ने एमएसईजेडएल के साथ पट्टा विलेख पंजीकरण के लिए 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है।

आईएसपीआरएल ने बाजपे नगर पंचायत से खाता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। परमूडे और बाला पंचायत से फॉर्म 9 और 11 प्राप्त कर लिया गया है, हालांकि जोकट्टे ग्राम पंचायत से यह लंबित है। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है।

सभी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद, पट्टा विलेख पंजीकृत किया जाएगा।</td></tr>
</table>

3.	**आईएसपीआरएल और एचपीसीएल के बीच पट्टा करार में किराये के भुगतान में देरी के कारण नकदी प्रवाह पर प्रभाव और संभावित उपचार की हानि के लिए कोई शास्ति खंड नहीं है;**
प्रबंधन का उत्तर	ईओआई में किसी शास्ति संबंधी प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, एचपीसीएल के भुगतान में देरी एसएपी प्लेटफॉर्म पर उनके संक्रमण के कारण हुई है। भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा चल रही है।
4.	**प्रत्येक माह के लिए कर्मचारी का वेतन पिछले माह की उनकी उपस्थिति के आधार पर संसाधित किया जाता है;**
प्रबंधन का उत्तर	आईएसपीआरएल अपने कर्मचारियों को माह के आखिरी दिन वेतन का भुगतान करता है। इसलिए वेतन भुगतान के लिए पिछले माह की उपस्थिति के रिकॉर्ड पर विचार किया जाता है। यह उद्योग परिपाटी अनुरूप है।
5.	**(क) भर्ती नीति, (ख) उपस्थिति नीति, (ग) मूल्यांकन नीति, (घ) पृथक्करण/निकास नीति, (ङ) हितों के टकराव संबंधी शपथपत्र को कवर करने वाली कोई मानव संसाधन नीति तैयार नहीं की गई;**
प्रबंधन का उत्तर	आईएसपीआरएल की मानव संसाधन नीति का मसौदा आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
6.	**(क) धोखाधड़ी विरोधी नीति, (ख) व्हिसिल ब्लोअर नीति, (ग) आचार संहिता के संबंध में कोई इकाई स्तर नियंत्रण नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष पर असंतोषजनक अनुकूलन, नियंत्रणों के प्रबंधन का अतिव्यापन, कर्तव्यों का अनुचित पृथक्करण और निवारक की तुलना में जासूसी नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भरता है;**
प्रबंधन का उत्तर	ओआईडीबी के तहत एक एसपीवी आईएसपीआरएल लागू होने पर शासन नीतियां तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम विभिन्न नीतियों की आवश्यकता की समग्र समीक्षा कर रहे हैं और उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा।
7.	**कंपनी डाटा को संग्रहीत करने, स्थानांतरित करने या उस तक पहुंचने के लिए पेन ड्राइव के उपयोग के कारण मुख्यालय में सूचना और सुरक्षा नीति का अनुपालन न करने से डाटा हानि, चोरी और मैलवेयर संक्रमण का खतरा होता है;**
प्रबंधन का उत्तर	कंपनी की अपनी आईटी नीति है। आईटी नीति बिना किसी उचित स्वीकृति के कंपनी डाटा को संग्रहीत करने, स्थानांतरित करने या एक्सेस करने के लिए पेन ड्राइव के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। प्रधान कार्यालय में पेन ड्राइव के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।
8.	**टैली सॉफ्टवेयर में किसी भी अवधि में किसी भी लेखांकन प्रविष्टि को संशोधित करने, जोड़ने और हटाने के लिए टैली उपयोगकर्ता को प्रतिबंधित करने की कोई प्रणाली नहीं है;**
प्रबंधन का उत्तर	कंपनी ने टैली में आवश्यक सुरक्षा सुविधा लागू की है, जहां कोई भी उपयोगकर्ता (एडमिन की स्वीकृति के अलावा) लेखांकन प्रविष्टियों में कोई संशोधन, विलोपन नहीं कर सकता है।
9.	**टैली में कोई लॉक–इन अवधि नहीं है, जो कर्मचारियों को पिछली तिथि पर प्रविष्टियों को संशोधित करने और हटाने की अनुमति देती है।**
प्रबंधन का उत्तर	कंपनी ने टैली में आवश्यक सुरक्षा सुविधा लागू की है, जिसके तहत केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए ही बैक डेटेड प्रविष्टि को टैली सॉफ्टवेयर में पोस्ट करने की अनुमति होगी।
10.	**कंपनी ने सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समय के भीतर कर चालान जारी नहीं किया है;**
प्रबंधन का उत्तर	अधिकांश चालान निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए गए। भविष्य में आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11.	**परिसंपत्तियों की बिक्री, कर्मचारियों को अग्रिम राशि देने, कर्मचारी प्रतिपूर्ति, पुरानी शेष राशि को बट्टे खाते में डालने/प्रतिलेखित करने के लिए कोई नीति नहीं है;**

प्रबंधन का उत्तर	संशोधित लैम को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें ये टिप्पणियां शामिल होंगी। कर्मचारियों को अग्रिम राशि देने की नीति को मानव संसाधन नीति के मसौदे में शामिल किया गया है।
12.	**लेखांकन वाउचर पर तीसरे पक्ष के पेरोल (संविदाकार) के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अनुमोदन नहीं दिया जाता है;**
प्रबंधन का उत्तर	संविदा कर्मचारियों को लेखा वाउचर, बीआरएस आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
13.	**वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एमसीए/आरओसी फॉर्म डीपीटी–3 कंपनी द्वारा अभी तक दाखिल नहीं किया गया है;**
प्रबंधन का उत्तर	डीपीटी–3 को सरकारी कंपनी द्वारा दाखिल करना आवश्यक नहीं है। तकनीकी रूप से, हम एक सरकारी कंपनी नहीं हैं, इसलिए सुशासन परिपाटी और अनुपालन के अनुसार, डीपीटी–3 फॉर्म वित्त वर्ष 2021–22 तक दाखिल किया गया है, जिसमें कंपनी की श्रेणी को गैर–सरकारी कंपनी के रूप में चुना गया था और इसे सफलतापूर्वक दाखिल किया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, एमसीए वी3 पोर्टल ने एक त्रुटि संदेश दर्शाया कि, कंपनी की श्रेणी" – ''इस फॉर्म में सरकारी कंपनी के अलावा अन्य कंपनी'' के रूप में चयनित किया गया है'', हालांकि, कंपनी एमसीए रिकॉर्ड के अनुसार एक सरकारी कंपनी है"। दो राय सामने आईं – एक राय यह थी कि फॉर्म को सरकारी कंपनी के रूप में भरें और फॉर्म के साथ स्पष्टीकरण टिप्पणी संलग्न करें। दूसरी राय जो सामने आई, वह यह थी कि पहले एमसीए पोर्टल पर स्थिति को अदयतन करें और उसके बाद एमसीए डाटाबेस के साथ सहमति से कंपनी की श्रेणी के साथ फॉर्म डीपीटी–3 दाखिल करें ताकि भविष्य में किसी भी तरह से गैर–अनुपालन से बचा जा सके। यह विवेकपूर्ण और पर्याप्त सावधानी के तौर पर माना गया कि आईएसपीआरएल सबसे पहले अपने एमओए और एओए में संशोधन करेगा और एमसीए पोर्टल पर स्थिति को संरेखित करेगा और उसके बाद वित्त वर्ष 2022–23 के लिए फॉर्म डीपीटी–3 दाखिल करेगा।
14.	**वर्ष के दौरान कंपनी के पास 10 से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन कंपनी ने ईएसआईसी अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है और इसके प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कंपनी के पास 20 से अधिक कर्मचारी (तृतीय पक्ष के संविदाकारों के माध्यम से कर्मचारियों सहित) हैं, लेकिन कंपनी ने ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है और इसके प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**
प्रबंधन का उत्तर	**ईएसआई:–** चूंकि, आईएसपीआरएल कर्मचारियों का वेतन अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक है, इसलिए ईएसआई के साथ पंजीकरण नहीं किया गया था। इस मामले पर उप निदेशक ईएसआई से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया था। हालांकि, जैसा कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने उल्लेख किया है, ईएसआई प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। **पीएफ:–** चूंकि कंपनी में 20 से कम कर्मचारी हैं, इसलिए पीएफ का प्रावधान लागू नहीं है। हालांकि, जैसा कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने उल्लेख किया है, पीएफ प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं।
15.	**कंपनी द्वारा (परामर्शदाता के माध्यम से) पिछले कुछ वर्षों में किए गए परीक्षणों में कुछ नियंत्रण संबंधी कमजोरियों की बार–बार रिपोर्ट की जा रही है, जिन्हें कंपनी द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।**
प्रबंधन का उत्तर	आईएफसीओआर लेखा परीक्षक की सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है और उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार लागू किया जाएगा।

अनुलग्नक–घ

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उल्लेख किया गया है कि यह कार्य उनके द्वारा 16 जुलाई 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कतिपय लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जाँच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और की ओर से

हस्ता./–
बीरेन दिनेशचंद्र परमार
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक, मुंबई

स्थानः मुंबई
दिनांकः 20 सितंबर, 2024

अनुलग्नक–ङ

फॉर्म एमआर–3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में]

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
तृतीय तल, बाबर रोड
नई दिल्ली–110001

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड CIN U63023DL2004GOI126973, (जिसे इसमें आगे ''कंपनी'' कहा गया है), द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और विकसित निगमित पद्धतियों के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से संचालित की गई है की हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का एक तर्कसंगत आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी की बही, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और कंपनी द्वारा दायर विवरणियों एवं बनाए गए अन्य अभिलेखों तथा कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने **31 मार्च, 2024** को समाप्त वर्ष वाली लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास यहां रिपोर्ट किये गए तरीके तथा शर्तों के अध्यधीन उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र उपलब्ध हैं :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की बही, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों और अन्य अभिलेखों की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; **लागू नहीं**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015; **लागू नहीं**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमन, 2011; **लागू नहीं**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर निषेध) विनियमन, 1992; **लागू नहीं**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और अपेक्षाओं का प्रकटीकरण) विनियमन, 2018; **लागू नहीं**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ और स्वीट इक्विटी) दिशानिर्देश, 2021; **लागू नहीं**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण अभिकर्ता के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और क्लाइंट से निपटने से संबंधित;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियमन, 2021; **लागू नहीं**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियमन, 2018; **लागू नहीं**

(vi) हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की।

(vi) अन्य लागू कानून :

i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934;

ii) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884;

iii) महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(vii) पर्यावरण कानून :

i) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

ii) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

iv) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016

हमने कंपनी पर लागू अन्य कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विश्वास किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन किए गए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुछ बोर्ड बैठकें और समिति की बैठकें अल्पावधि नोटिस पर बुलाई गई, कार्यसूची के साथ–साथ कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां भी अल्पावधि नोटिस पर भेजी गई और निदेशकों से सहमति ली गई। बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए कार्यवृत्तों के अनुसार सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए हैं। बोर्ड के सदस्यों ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्यसूची की किसी भी मद पर कोई असहमतिपूर्ण विचार व्यक्त नहीं किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों को बड़े तौर पर प्रभावित करने वाली घटनाएँ/कार्रवाई नहीं की है।

कृते पीजी एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)
विशिष्ट कोड नंबर : S2004UP073600

हस्ता./-
सीएस प्रीति ग्रोवर
(प्रोपराइटर)
एफसीएस : 5862, सीपी सं. : 6065
पीयर रिव्यू नंबर: 772/2020

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.05.2024

यूडीआईएनः F005862F000418868

अनुलग्नक–क

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
तृतीय तल, बाबर रोड
नई दिल्ली–110001

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

लेखापरीक्षा के आधार पर, हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों का रखरखाव पर एक राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों सीएसएएस 1 से सीएसएएस 4 ("सीएसएएस") के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। इन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षक को सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए।

आंतरिक, वित्तीय और प्रचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ मिथ्याबयानी या महत्वपूर्ण गैर–अनुपालन का पता नहीं चल सकता है, भले ही लेखापरीक्षा सीएसएएस के अनुसार उचित रूप से योजनाबद्ध और निष्पादित की गई हो। हमारी समदिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है :

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारे निष्कर्ष/लेखापरीक्षा के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और इनके लिए हमने सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास किया है।
4. हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन, जहां कहीं आवश्यक हो, प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते, पीजी एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)
विशिष्ट कोड नंबर : S2004UP073600

हस्ता./-
सीएस प्रीति ग्रोवर
(प्रोपराइटर)
एफसीएस : 5862, सीपी सं. : 6065
पीयर रिव्यू नंबर: 772/2020

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.05.2024
यूडीआईएनः F005862F000418868

वार्षिक लेखे
2023-24

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

सीआईएन:-U63023DL2004GOI126973

विवरण		टिप्पणी संख्या	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
(I)	**परिसंपत्ति**			
	गैर चालू परिसंपत्ति			
	(क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	2	2,98,218.63	3,08,106.69
	(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2.1	-	-
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	3	7,150.36	7,150.39
	(घ) वित्तीय पूंजी			
	(i) ऋण	4	-	-
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	5,778.69	18,611.77
	(ङ) आयकर परिसंपत्ति	6	1,161.77	986.50
	(च) अन्य गैर – चालू परिसंपत्ति	7	20,066.60	10,294.62
	उप–योग		**3,32,376.05**	**3,45,149.97**
(II)	**चालू परिसंपत्ति**			
	(क) वित्तीय पूंजी			
	(i) व्यापार प्राप्तियां	8	69.59	-
	(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	9	10,287.90	1,883.76
	(iii) उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष	10	-	-
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	22,255.72	1,432.48
	(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	2,185.61	1,797.61
	उप–योग		**34,798.82**	**5,113.85**
	कुल परिसंपत्ति		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**
(I)	**इक्विटी और देयता**			
	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	3,79,005.47	3,79,005.47
	(ख) अन्य इक्विटी	14	(72,038.39)	(63,168.45)
	उप–योग		**3,06,967.08**	**3,15,837.02**
(II)	**देयताएं**			
	गैर–चालू देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	-	-	-
	(ia) पट्टा देयताएं	15	552.31	554.71
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16	22.28	17.37
	(ख) प्रावधान	17	7.45	-
	उप–योग		**582.04**	**572.08**
(III)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	18	-	-
	(ia) पट्टा देयताएं	19	4.15	3.77
	(ii) व्यापार देयताएं			
	(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को कुल बकाया राशि	20	346.95	204.41
	(ख) उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	20	1,812.49	1,687.20
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	21	27,141.04	22,092.40
	(ख) प्रावधान	22	0.87	-
	(ग) अन्य चालू देयताएं	23	30,320.25	9,866.94
	उप–योग		**59,625.75**	**33,854.72**
	कुल इक्विटी और देयताएं		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी — 1
लेखा संबंधी टिप्पणियां — 2- 40(iii)
उपर्युक्त उल्लिखित टिप्पणियां, वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

प्रसाद आज़ाद एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001009N

हस्ता./-
(के.एम. आज़ाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
(दीपक कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

हस्ता./-
(लखपत राय जैन)
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
(शिल्पी गोहंती)
कंपनी सचिव
ACS-19333

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
सीआईएन:-U63023DL2004GOI126973

विवरण	टिप्पणी संख्या	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
आय			
प्रचालन से राजस्व	24	1,047.74	205.81
अन्य आय (ओ एंड एम अनुदान सहित)	25	14,532.98	14,966.21
कुल आय		**15,580.72**	**15,172.02**
व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	1,254.51	1,230.74
वित्त लागत	27	344.93	885.43
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	9,902.36	9,943.14
अन्य खर्चों			
- - संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय	29.1	12,948.46	12,497.86
- - चरण II परियोजना के लिए व्यय	29.2	-	314.15
- - विविध व्यय	29.3	0.40	2.08
कुल व्यय		**24,450.66**	**24,873.40**
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**(8,869.94)**	**(9,701.38)**
कर व्यय:			
वर्तमान कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**(8,869.94)**	**(9,701.38)**
अन्य व्यापक आय		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)		**(8,869.94)**	**(9,701.38)**
प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रत्येक का सममूल्य ₹10/-)	30		
(i) बेसिक		(0.23)	(0.26)
(ii) तनुकृत		(0.23)	(0.26)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी — 1
लेखा संबंधी टिप्पणियां — 2-40(iii)
उपर्युक्त उल्लिखित टिप्पणियां, वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

प्रसाद आज़ाद एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001009N

हस्ता./-
(के.एम. आज़ाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
(लखपत राय जैन)
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
(दीपक कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

सीआईएन:-U63023DL2004GOI126973

क्रम संख्या	विवरण	₹ लाख में 31 को समाप्त वर्ष के लिए मार्च, 2024	₹ लाख में 31 को समाप्त वर्ष के लिए मार्च, 2023
(क)	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह विवरण**		
	कर–पूर्व निवल लाभ / (हानि)	(8,869.94)	(9,701.38)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन : –		
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	9,902.36	9,943.14
	निम्नलिखित को बट्टे खाते में डालने पर हानि	0.35	2.08
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	21.00
	व्यय / विपूंजीकरण में प्रभारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(2.38)	
	समायोजन / पूंजीकरण में प्रभारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	(0.01)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	344.93	885.43
	वित्त लागत ब्याज आय	(401.36)	(907.86)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**973.96**	**242.40**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन : –		
	वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(30,650.36)	3,647.82
	देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	21,484.20	(12,232.34)
	कार्यशील पूंजी में निवल वृद्धि / (कमी)	**(9,166.16)**	**(8,584.52)**
	प्रचालन से उत्पन्न नकदी	**(8,192.20)**	**(8,342.12)**
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान (प्रतिदाय के बाद निवल)	(175.28)	(86.11)
	प्रचालन से कुल नकदी प्रवाह (क)	**(8,367.48)**	**(8,428.23)**
(ख)	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(12.28)	(127.86)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर प्रतिफल	-	1.74
	सावधि जमा में निवेश (3 माह से अधिक)	10,248.99	6,844.17
	प्राप्त ब्याज	401.36	907.86
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)	**10,638.07**	**7,625.91**
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	ओआईडीबी से चरण II के लिए अनुदान से प्राप्तियां (रिफंड के बाद निवल)	298.82	-
	ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन	-	(314.15)
	भूमि के लिए भारत सरकार से अनुदान से प्राप्त आय	4,000.00	-
	वित्त लागत (इंड एएस 116)	(344.93)	(885.43)
	पट्टा देयताएं (इंड एएस 116)	(2.03)	(3.73)
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**3,951.86**	**(1,203.31)**
(घ)	**नकदी एवं नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)**	**6,222.45**	**(2,005.63)**
	नकदी और नकदी समकक्षों का प्रारंभिक शेष	**248.76**	**2,254.39**
	नकदी और नकदी समकक्षों का अंत शेष	**6,471.21**	**248.76**
	नकदी और नकदी समतुल्य के घटक		
	बैंकों के पास शेष राशि		
	--बचत खातों में	5,455.44	197.66
	--चालू खातों में	54.74	51.10
	--जमा खातों में		
	-- सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह तक)	961.03	-
	--हाथ में नकदी	-	-
	कुल	**6,471.21**	**248.76**

टिप्पणी :

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में इंड एएस 7 में निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के तहत तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकन नीति संबंधी जानकारी
लेखा संबंधी टिप्पणियां
उपर्युक्त उल्लिखित टिप्पणियां, वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

1
2- 40(liii)

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

प्रसाद आज़ाद एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001009N

हस्ता./-
(के.एम. आज़ाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
(दीपक कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

हस्ता./-
(लखपत राय जैन)
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
(शिल्पी गोहंती)
कंपनी सचिव
ACS-19333

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि (क) पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (ख)	3,79,005.47 -	3,79,005.47 -
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर् उल्लिखित शेष राशि (ग) = (क) + (ख)	**3,79,005.47**	**3,79,005.47**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (घ)	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (ङ) = (ग) + (घ)	**3,79,005.47**	**3,79,005.47**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि (क) लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ (ख)	(63,168.45) -	(53,467.07) -
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर् उल्लिखित शेष राशि (ग) = (क) + (ख)	**(63,168.45)**	**(53,467.07)**
प्रतिधारित आय में अंतरित (घ) वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (ङ)	(8,869.94) -	(9,701.38) -
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (च) = (ग) + (घ) + (ङ)	**(72,038.39)**	**(63,168.45)**

प्रसाद आज़ाद एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001009N

हस्ता./-
(के.एम. आज़ाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
(लखपत राय जैन)
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
(दीपक कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

टिप्पणी संख्या 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

₹ लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निस्तारण/ कटौती/ अंतरण/ पुनर्वर्गीकरण/उपयोगी काल का पुनर्अनुमान	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	निस्तारण/कटौती/ अंतरण/ पुनर्वर्गीकरण /उपयोगी काल का का पुनर्अनुमान	31 मार्च, 2024 तक कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
(क) भवन	18,447.51	-	-	18,447.51	2,972.06	511.92	-	3,483.98	14,963.53	15,475.45
(ख) सड़कें और पुलिया	3,165.30	-	-	3,165.30	2,079.91	178.68	-	2,258.59	906.71	1,085.39
(ग) संयंत्र और मशीनरी	1,26,738.73	1.90	-	1,26,740.63	30,264.74	5,176.87	-	35,441.61	91,299.02	96,473.99
(घ) कैवर्न्स	2,02,939.31	-	-	2,02,939.31	19,466.32	3,391.59	-	22,857.91	1,80,081.40	1,83,472.99
(ङ) फर्नीचर और फिक्स्चर	169.23	-	-	169.23	97.78	15.02	-	112.80	56.43	71.45
(च) परिवहन वाहन	151.23	-	-	151.23	89.55	13.96	-	103.51	47.72	61.68
(छ) कार्यालय उपकरण	474.43	7.06	-	481.49	415.00	13.63	-	428.63	52.86	59.43
(ज) कंप्यूटर	1,253.56	3.32	(0.71)	1,256.17	1,085.80	60.84	(0.35)	1,146.29	109.88	167.76
(झ) उपयोग का अधिकार इंड एएस 116)*	13,270.10	2.38	-	13,272.48	2,031.55	539.85	-	2,571.40	10,701.08	11,238.55
कुल	**3,66,609.40**	**14.66**	**(0.71)**	**3,66,623.35**	**58,502.71**	**9,902.36**	**(0.35)**	**68,404.72**	**2,98,218.63**	**3,08,106.69**

विगत वर्ष

₹ लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निस्तारण/ कटौती/ अंतरण/ पुनर्वर्गीकरण/उपयोगी काल का पुनर्अनुमान	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	निस्तारण/कटौती/ अंतरण/ पुनर्वर्गीकरण /उपयोगी काल का का पुनर्अनुमान	31 मार्च, 2023 तक कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
(क) भवन	18,447.51	-	-	18,447.51	2,460.10	511.96	-	2,972.06	15,475.45	15,987.41
(ख) सड़कें और पुलिया	3,165.30	-	-	3,165.30	1,855.40	224.51	-	2,079.91	1,085.39	1,309.90
(ग) संयंत्र और मशीनरी	1,26,754.35	-	(15.62)	1,26,738.73	24,999.61	5,275.03	(9.90)	30,264.74	96,473.99	1,01,754.74
(घ) कैवर्न्स	2,02,919.61	19.70	-	2,02,939.31	16,087.84	3,378.48	-	19,466.32	1,83,472.99	1,86,831.77
(ङ) फर्नीचर और फिक्स्चर	167.80	1.43	-	169.23	81.82	15.96	-	97.78	71.45	85.98
(च) परिवहन वाहन	131.41	19.82	-	151.23	73.29	16.26	-	89.55	61.68	58.12
(छ) कार्यालय उपकरण	456.78	26.09	(8.44)	474.43	402.67	9.03	3.30	415.00	59.43	54.11
(ज) कंप्यूटर	1,255.65	11.38	(13.47)	1,253.56	1,012.35	79.53	(6.08)	1,085.80	167.76	243.30
(झ) उपयोग का अधिकार इंड एएस 116)*	13,270.10	-	-	13,270.10	1,599.17	432.38	-	2,031.55	11,238.55	11,670.93
कुल	**3,66,568.51**	**78.42**	**(37.53)**	**3,66,609.40**	**48,572.25**	**9,943.14**	**(12.68)**	**58,502.71**	**3,08,106.69**	**3,17,996.26**

*टिप्पणी संख्या 31.1 और लेखा नीति संख्या 1.11 देखें

वित्तीय विवरण के संबंध में टिप्पणियाँ

टिप्पणी संख्या 2.1: पूंजीगत कार्य प्रगति पर

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 3: अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियाँ (पाइपलाइन के लिए आरओयू)

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में सकल ब्लॉक	7,150.39	7,100.95
वर्ष के दौरान अन्य परिसंपत्तियों से परिवर्धन / अंतरण	(0.03)	49.44
निपटान / कटौती / हस्तांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत तक सकल ब्लॉक	**7,150.36**	**7,150.39**
वर्ष के आरंभ में परिशोधन	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-
निपटान / कटौती / हस्तांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत तक परिशोधन	**-**	**-**
निवल ब्लॉक	**7,150.36**	**7,150.39**
टिप्पणी: पाइपलाइन के लिए आरओयू सतत आधार पर अधिगृहीत की जाती है, इसलिए कोई परिशोधन नहीं किया जा रहा है।		

टिप्पणी संख्या 4: ऋण

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 5: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
प्रतिभूति जमा	701.30	689.80
प्रवेश कर, कर्नाटक से वसूली योग्य (बीजी नकदीकरण के सापेक्ष)	74.64	74.64
सावधि जमा (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ)*		
[इसमें ₹0.34 लाख का उपार्जित ब्याज शामिल है (पिछले वर्ष ₹422.45 लाख)]	2.29	12,432.97
***गिरवी रखी गई जमाराशियों के विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 40(xvi) देखें**		
एचसीसी के मध्यस्थता मामले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जमाराशि [टिप्पणी संख्या 40 (xlii) देखें]	5,000.46	5,000.46
उडुपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास जमाराशि	-	410.84
कर्मचारियों को अग्रिम	-	3.06
कुल	**5,778.69**	**18,611.77**

टिप्पणी संख्या 6: आयकर परिसंपत्तियां

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2018–19)	14.16	14.16
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2019–20)	15.71	15.71
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2020–21)	38.13	38.13
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2021–22)	104.01	104.01
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2022–23)	728.39	728.39
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2023–24)	86.96	86.10
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2024–25)	174.41	-
कुल	**1,161.77**	**986.50**

टिप्पणी संख्या 7: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
(परिशोधित लागत पर शोध्य मानी गई अप्रतिभूत राशि)		
चरण II परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए केआईएडीबी को पूंजीगत अग्रिम	17,644.84	9,823.55
भूमि अधिग्रहण चरण I विस्तार भूमि के लिए एमएसईजेडएल को पूंजीगत अग्रिम	2,269.39	200.00
पूर्वदत्त व्यय	152.37	271.07
कुल	**20,066.60**	**10,294.62**

टिप्पणी संख्या 8: व्यापार प्राप्य

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
संबंधित पक्षकार से		
प्रतिभूत, शोध्य	-	-
अप्रतिभूत, शोध्य	-	-
संदिग्ध	-	-
अन्य से		
प्रतिभूति, शोध्य	-	-
अप्रतिभूत, शोध्य	69.59	-
संदिग्ध	-	-
कुल	**69.59**	**-**

व्यापार प्राप्य एजेइंग शेड्यूल

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया – वित्तीय वर्ष 2023–24

₹ लाख में

विवरण	6 माह से कम	6 माह– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य माने गए	69.59	-	-	-	-	**69.59**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-

व्यापार प्राप्य एजेइंग शेड्यूल

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया – वित्तीय वर्ष 2022–23

₹ लाख में

विवरण	6 माह से कम	6 माह– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 9: नकदी और नकदी समतुल्य

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
बैंकों के पास शेष राशि		
बचत खातों में	5,455.44	197.66
चालू खातों में	54.74	51.10
बैंक जमा में		
सावधि जमा (तीन माह तक की मूल परिपक्वता अवधि)	961.03	-
सावधि जमा (तीन माह से अधिक किन्तु एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता)	3,816.69	1,635.00
नकदी शेष:		
हाथ में नकदी	-	-
कुल	**10,287.90**	**1,883.76**

टिप्पणी संख्या 10: उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 11: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
(अप्रतिभूत को परिशोधित लागत पर शोध्य)		
एचपीसीएल से प्राप्य (ओ एंड एम व्यय)	631.13	746.46
एचपीसीएल से प्राप्य (ओ एंड एम के अलावा)	7.08	1.40
एडनोक से वसूल किए जाने योग्य प्रचालन एवं अन्य व्यय	63.41	170.91
विद्युत कंपनियों के पास प्रतिभूति जमा पर अर्जित ब्याज	28.31	19.35
कर्मचारियों को यात्रा अग्रिम	-	4.02
कर्मचारियों को अर्जित आय के लिए अग्रिम	3.06	5.95
जमा पूंजी	84.76	170.24
ओआईडीबी से प्राप्य राशि (पूर्व परियोजना व्यय चरण II)	15.34	314.15
भारत सरकार से प्राप्य राशि (चरण 1 विस्तार भूमि के लिए)	9,700.95	-
एस.के.ई.सी.–के.सी.टी. जे.वी. मामले के लिए भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्य	11,721.68	-
कुल	**22,255.72**	**1,432.48**

टिप्पणी संख्या 12: अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
(अप्रतिभूत जिन्हें शोध्य माना गया)		
ओआईडीबी से वसूल किए जाने योग्य व्यय	0.12	0.01
अन्य प्राप्य	22.28	-
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम राशि	384.58	227.42
आपूर्तिकर्ताओं को पूंजी अग्रिम	10.97	4.61
पूर्वदत्त व्यय	1,144.87	1,197.36
जीएसटी क्रेडिट प्राप्य	622.79	368.21
कुल	**2,185.61**	**1,797.61**

टिप्पणी संख्या 13: शेयर पूंजी

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
	शेयर की संख्या	मात्रा	शेयर की संख्या	मात्रा
इक्विटी शेयर पूंजी (क) अधिकृत ₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर।	3,832,560,000	3,83,256.00	3,832,560,000	3,83,256.00
(ख) निर्गत, अभिदत्त, पूर्ण संदत्त ₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर	3,790,054,670	3,79,005.47	3,790,054,670	3,79,005.47

टिप्पणियाँ:

(i) इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर		
प्रारम्भिक जमा	3,790,054,670	3,790,054,670
निर्गत इक्विटी शेयर का आरंभिक शेष	-	-
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर	-	-
अंत शेष	3,790,054,670	3,790,054,670

(ii) होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित शेयर:

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेय. रों में % हिस्सेदारी	धारित शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेयरों में % हिस्सेदारी
₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और इसके नामित सदस्य	3,790,054,670	100%	3,790,054,670	100%
कुल	**3,790,054,670**	**100%**	**3,790,054,670**	**100%**

(iii) 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण :

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेयरों में % हिस्सेदारी	धारित शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेयरों में % हिस्सेदारी
₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और इसके नामित सदस्य	3,790,054,670	100%	3,790,054,670	100%
कुल	**3,790,054,670**	**100%**	**3,790,054,670**	**100%**

(iv) प्रमोटर शेयरधारिता पैटर्न

वर्ष 2023–24 के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
तेल उद्योग विकास बोर्ड	3,790,054,670	100%	शून्य

वर्ष 2022–23 के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
तेल उद्योग विकास बोर्ड	3,790,054,670	100%	शून्य

(v) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका सममूल्य ₹10 प्रति शेयर है और धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को उनके पास मौजूद इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(vi) बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार पिछले पांच वर्षों की अवधि के लिए :

(क) नकदी भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा (संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः संदत्त शेयरों की संख्या और श्रेणी	शून्य
(ख) बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्णतः संदत्त शेयरों की श्रेणी की कुल संख्या; तथा	शून्य
(ग) शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी तथा वापस खरीदे गए शेयरों की श्रेणी	शून्य

टिप्पणी संख्या 14: अन्य इक्विटी

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
<u>प्रतिधारित आय का शेष :</u>		
पिछले वर्ष के खातों से अग्रेणीत शेष हानि	(63,168.45)	(53,467.07)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-
निर्गत इक्विटी शेयर पर स्टाम्प ड्यूटी	-	-
वर्ष के लाभ/(हानि)	(8,869.94)	(9,701.38)
कुल	**(72,038.39)**	**(63,168.45)**

टिप्पणी संख्या 15: पट्टा देयताएं

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
पट्टा देयताएं	552.31	554.71
कुल	**552.31**	**554.71**

टिप्पणी संख्या 16: अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों से जमा/प्रतिधारण राशि	22.28	17.37
कुल	**22.28**	**17.37**

टिप्पणी संख्या 17: प्रावधान

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
(क) अवकाश नकदीकरण	2.23	-
(ख) ग्रेच्युटी	5.22	-
कुल	**7.45**	**-**

टिप्पणी संख्या 18: उधारियां

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 19: पट्टा देयताएं

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
पट्टा देयताएं	4.15	3.77
कुल	**4.15**	**3.77**

टिप्पणी संख्या 20: व्यापार देयताएं

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	346.95	204.41
ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,812.49	1,687.20
कुल	**2,159.44**	**1,891.61**

व्यापार देयताओं की एजेइंग शेड्यूल

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया – वित्तीय वर्ष 2023–24

₹ लाख में

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	346.95	-	-	-	346.95
(ii) अन्य	1,779.38	33.04	0.07	-	1,812.49
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

व्यापार देयताओं की एजेइंग शेड्यूल

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया – वित्तीय वर्ष 2023–24

₹ लाख में

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	204.41	-	-	-	204.41
(ii) अन्य	1,687.06	-	0.14	-	1,687.20
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई		-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण	₹ लाख में 2023-24	₹ लाख में 2022-23
(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त रही बकाया राशि;		
मूलधन	346.95	203.96
ब्याज	-	0.45
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;	-	-
(ग) भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है) किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित और अदत्त ब्याज की राशि; तथा	-	0.45
(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, उस तारीख तक, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है, बकाया और आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि।.	-	-

टिप्पणी संख्या 21: अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
अन्य		
एमएसईजेडएल भूमि की खरीद के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निधियां	4,000.00	-
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त निधियां चरण II	21,000.00	21,000.00
प्रथम चरण के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के लिए भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम राशि	1,058.19	106.14
आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों से जमा राशि	1,082.85	986.26
कुल	**27,141.04**	**22,092.40**

टिप्पणी संख्या 22: प्रावधान

Particulars	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
(क) छुट्टी नकदीकरण	0.79	-
(ख) ग्रेच्युटी	0.08	-
कुल	**0.87**	**-**

टिप्पणी संख्या 23: अन्य चालू देयताएं

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देय	131.25	119.09
एचसीसी के मध्यस्थता मामले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करने हेतु भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निधियां [टिप्पणी संख्या 40(xlii) देखें]	5,000.46	5,000.46
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय (एपी जीजीएसटी)	406.25	150.58
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय (पादुर जीएसटी)	199.19	140.68
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय (अनुदान/अन्य निधि पर ब्याज और उस पर टीडीएस)	2,261.76	2,013.55
एचपीसीएल विशाखापत्तनम को देय	97.28	97.28
कानूनी मामले के लिए उडुपी जिला पंचायत के पास जमा करने हेतु भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निधि	-	410.84
चरण–I विस्तार भूमि के लिए एमएसईजेडएल को देय राशि	9,700.95	-
आरओयू की पाइपलाइन क्षतिपूर्ति के लिए एसएलएओ मैंगलोर को देय राशि	49.41	49.44
चरण I के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के लिए भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय राशि	651.22	1,701.50
भारत सरकार को देय ओ एंड एम व्यय (एडनोक व्यय)	63.41	170.91
भारत सरकार को देय प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय (एसडी/अग्रिम)	11.50	-
रॉक बिक्री पर टीसीएस के लिए संविदा/एमएसईजेडएल को देय राशि	13.28	-
कानूनी निर्णय के सापेक्ष एसकेईसी–केसीटीजेवी को देय	11,721.68	-
अन्य	12.61	12.61
कुल	**30,320.25**	**9,866.94**

टिप्पणी संख्या 24: प्रचालन से राजस्व

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
<u>सेवा का निर्यात</u>		
एउनोक से प्रचालन आय – अबिलीकृत आय	-	170.24
<u>घरेलू राजस्व</u>		
कैवर्न्स का पट्टा/किराए पर लेना	893.54	-
पट्टे/किराए के लिए पंपिंग शुल्क (अबिलीकृत आय सहित) ₹25.68 लाख (पिछले वर्ष : शून्य)	96.15	-
एमआरपीएल से प्रचालन आय (₹57.84 लाख रुपये की अबिलीकृत आय सहित (पिछले वर्ष : शून्य))	58.05	35.57
कुल	**1,047.74**	**205.81**

टिप्पणी संख्या 25: अन्य आय (ओ एंड एम अनुदान सहित)

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
भारत सरकार से ओ एंड एम अनुदान	13,076.14	12,914.20
व्यय की प्रतिपूर्ति	945.90	823.68
विद्युत कंपनियों के पास प्रतिभूति जमा पर ब्याज	31.46	21.51
बैंक जमा पर ब्याज	369.04	886.34
ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन (चरण प्प)	-	314.15
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	-	0.01
रॉक की बिक्री से आय	108.36	6.31
आयकर प्रतिदाय पर ब्याज	0.86	0.01
विनिमय दर में उतार–चढ़ाव	1.22	-
कुल	**14,532.98**	**14,966.21**

टिप्पणी संख्या 26: कर्मचारी हितलाभ व्यय

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
वेतन और मजदूरी	1,229.95	1,180.53
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	24.56	50.21
कर्मचारी कल्याण व्यय*	-	-
कुल	**1,254.51**	**1,230.74**

*कर्मचारी कल्याण व्यय को टिप्पणी संख्या 29.1 के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण व्यय में शामिल किया गया है।

टिप्पणी संख्या 27: वित्तीय लागत

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
पट्टा देयताओं पर ब्याज (इंड एएस 116)	41.59	41.12
अन्य ब्याज व्यय	303.34	844.31
कुल	**344.93**	**885.43**

टिप्पणी संख्या 28: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास	9,362.51	9,510.76
पट्टा किराये का परिशोधन (पट्टा भूमि)	539.85	432.38
कुल	**9,902.36**	**9,943.14**

टिप्पणी संख्या 29.1: संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ओ एंड एम व्यय		
उपभोज्य संबंधी व्यय	277.75	167.08
बीमा प्रीमियम	3,832.50	3,890.66
पट्टा किराया प्रभार	242.17	282.80
प्रचालन लागत	211.72	216.47
मरम्मत और अनुरक्षण	982.43	565.54
बैंक प्रभार	0.16	-
त्यौहारों संबंधी व्यय	5.99	6.10
कानूनी व्यय	214.30	753.29
कार्यालय व्यय	87.25	67.03
विशाखापत्तनम के एचसीसी मध्यस्थता मामले के लिए व्यय (टिप्पणी संख्या 40(xliii) देखें)	-	22.96
स्टेशनरी व्यय	5.22	3.23
टेलीफोन व्यय	23.02	24.53
पर्यटन एवं प्रशिक्षण	12.24	23.20
वाहन किराये पर लेने का व्यय	137.25	138.40
बिजली प्रभार	1,629.17	1,394.54
साफ–सफाई प्रभार	105.63	103.52
जनशक्ति – संविदात्मक और अन्य	2,063.36	1,992.73
एमएसईजेडएल ओ एंड एम व्यय	202.51	237.87
आवधिक सांविधिक व्यय	218.10	152.52
प्रतिभूति प्रभार	1,962.44	1,911.41
व्हारफेज/सर्वेयर प्रभार	27.20	210.28
हरित पट्टी विकास	49.16	42.70
एचओ व्यय	293.70	291.00
परियोजना पूर्व व्यय (पीएफआर/डीडीएफआर)–नई परियोजनाएं	365.19	-
कुल	**12,948.46**	**12,497.86**

टिप्पणी संख्या 29.2: चरण II परियोजना के लिए व्यय

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
चरण II के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) व्यय	-	314.15
कुल	-	**314.15**

टिप्पणी संख्या 29.3: विविध व्यय

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	₹ लाख में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक प्रभार	0.05	-
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के बट्टे खाते में डालने पर हानि	0.35	2.08
कुल	**0.40**	**2.08**

टिप्पणी संख्या 30: भारतीय लेखांकन मानक – 33 के तहत ईपीएस का प्रकटीकरण

टिप्पणी	विवरण	₹ लाख में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	₹ लाख में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	प्रति शेयर आय		
	बेसिक		
	इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(8,869.94)	(9,701.38)
	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	3,790,054,670	3,790,054,670
	प्रति शेयर सममूल्य	10.00	10.00
	सतत प्रचालन से प्रति शेयर हानि – बेसिक	(0.23)	(0.26)
(ii)	तनुकृत		
	इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(8,869.94)	(9,701.38)
	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – तनुकृत के लिए	3,790,054,670	3,790,054,670
	प्रति शेयर सममूल्य	10.00	10.00
	सतत प्रचालन से प्रति शेयर हानि – तनुकृत	(0.23)	(0.26)

टिप्पणी संख्या 31: पट्टे, प्रतिबद्धताएं और आकस्मिकताएं

31.1 पट्टे

(क) पट्टेदार के रूप में

(i) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2019 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2019 के माध्यम से इंड एएस 116 पट्टा को अधिसूचित किया है जो मौजूदा पट्टा इंड एएस 17 पट्टा और अन्य व्याख्याओं को प्रतिस्थापित करता है। इंड एएस 116 पट्टे में तुलन–पत्र पट्टा लेखांकन मॉड्यूल की शुरूआत की गई है।

01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके अपने पट्टों के लिए इंड एएस 116 को अपनाया है। पट्टा देयता को प्रारंभिक प्रयोज्यता की तिथि पर वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूटे हुए शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर नापा जाता है और उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति को पट्टा देयता के बराबर राशि और प्रारंभिक प्रयोज्यता, यदि कोई हो, की तिथि से पहले तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त पूर्वदत्त किराए के बराबर राशि पर मान्यता दी गई है। कंपनी ने अप्रैल 2019 के लिए ओआईडीबी (100% शेयरधारक होने के नाते) की ब्याज दर को अपनाया है। इसके अलावा, कंपनी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

i. कंपनी ने यह पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है कि प्रारंभिक प्रयोज्यता की तिथि पर कोई संविदा पट्टा, अर्थात 31 मार्च, 2019 को इंड एएस 17 के अनुसार पट्टे के रूप में वर्गीकृत संविदाएं है या नहीं।

ii. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टे के रूप में माना गया तथा उन संविदाओं पर मानक लागू नहीं होगा जिन्हें पहले इंड एएस 17 के अंतर्गत पट्टे के रूप में मान्य नहीं किया गया था।

iii. जिन पट्टों की अवधि प्रारंभिक प्रयोज्यता की तिथि से 12 माह के भीतर समाप्त हो जाती है, उन्हें अल्पकालीन पट्टों के रूप में माना गया है।

कंपनी ने भूमि से संबंधित पट्टा व्यवस्था में प्रवेश किया है। समीक्षाधीन अवधि के अंतर्गत कोई बिक्री और पट्टा वापसी लेनदेन व्यवस्था नहीं है।

पट्टा–धारित भूमि के लिए महत्वपूर्ण पट्टों का विवरण निम्नानुसार है :–

(क) विशाखापत्तनम में 37 एकड़ भूमि के लिए 30 वर्ष की अवधि (14.05.2038 तक) के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के साथ करार (टिप्पणी संख्या 40(xvii) भी देखें)।

(ख) मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ 50 वर्ष की अवधि (26.01.2060 तक) के लिए मैंगलोर में 104.73 एकड़ भूमि के लिए करार, जिसमें 33.0066 एकड़ हरित पट्टी क्षेत्र शामिल है (टिप्पणी संख्या 40 (xvii) देखें)।

(ग) पादुर में 138.57 एकड़ भूमि के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलेपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) के साथ 20 वर्ष की अवधि (101.815 एकड़) 28.05.2030 तक और 36.775 एकड़ 18.12.2031 तक) के लिए करार।

(घ) पादुर में 37.35 एकड़ भूमि के लिए 15 वर्ष की अवधि (14.11.2032 तक) के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलेपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) के साथ करार।

(ii) **लाभ और हानि का विवरण खाते में मान्य राशि या उपयोग के अधिकार की वहन राशि :**

₹ लाख में

	2023-24	2022-23
- उपयोग के अधिकार के रूप में पूंजीकृत पूर्वदत्त पट्टा किराया	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपयोग के अधिकार और पट्टा दायित्व में वृद्धि	2.38	शून्य
- उपयोग के अधिकार में वृद्धि पर मान्य मूल्यह्रास	15.74	15.11
- पूर्वदत्त पट्टा किराये पर मान्य मूल्यह्रास	524.11	417.27
- पट्टा दायित्व पर ब्याज	41.59	41.08
- वृद्धिशील उधार दर	7.94%	7.94%
- पट्टा किराया भुगतान	45.08	44.85

अंतर्निहित परिसंपत्तियों के वर्ग के अनुसार पट्टे पर धारित पीपीई में शामिल उपयोग के अधिकार का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

₹ लाख में

परिसंपत्ति की श्रेणी	31 मार्च, 2024 तक सकल ब्लॉक	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार संचित मूल्य ह्रास	31 मार्च, 2024 तक निवल वहन मूल्य
उपयोग का अधिकार	13272.48	2571.40	10701.08

31 मार्च, 2024 तक सकल ब्लॉक में 01 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए प्रचालन पट्टे शामिल हैं, जिनका निवल वहन मूल्य ₹12698.11 लाख है, जिन्हें 01 अप्रैल, 2019 (इंड एएस 116 के कार्यान्वयन पर) तक उपयोग के अधिकार के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया था।

भावी नकदी बहिर्वाह की मदों का विवरण, जिनका कंपनी को पट्टे के रूप में प्रकटन किया गया है, लेकिन पट्टा देयताओं के माप में परिलक्षित नहीं होता है, निम्नानुसार है :

(क) परिवर्तनीय पट्टा भुगतान

परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, जिसे पट्टा देयता के मापन में शामिल किया जाता है, हालांकि प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है। सामान्य उद्योग परिपाटियों के अनुसार, कंपनी विभिन्न परिवर्तनीय पट्टा भुगतान करती है जो किसी भी सूचकांक या दर (कवर किए गए केएमएस या बिक्री के प्रतिशत आदि के आधार पर परिवर्तनीय) पर आधारित नहीं होते हैं और उन्हें लाभ या हानि में मान्य किया जाता है और पट्टा देयता के मापन में शामिल नहीं किया जाता है।

(ख) विस्तार और समाप्ति विकल्प

कंपनी पट्टा व्यवस्था में केवल प्रचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए विस्तार विकल्प शामिल है। कंपनी प्रत्येक पट्टा प्रारंभण पर यह आकलन करती है कि क्या विस्तार विकल्पों का प्रयोग करना उचित रूप से निश्चित है और आगे यह पुनः आकलन करती है कि क्या उसके नियंत्रण में परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर विकल्प का प्रयोग करना उचित रूप से निश्चित है। हालाँकि, जहाँ कंपनी के पास संविदा को विस्तारित करने का एकमात्र विवेक है, वहाँ ऐसी पट्टा अवधि को पट्टा देयताओं की गणना के उद्देश्य से शामिल किया जाता है।

(iii) अवशिष्ट मूल्य गारंटी

इसमें कोई अवशिष्ट मूल्य की गारंटी नहीं है।

(iv) प्रतिबद्ध पट्टे, जिन्हें अभी प्रारंभ किया जाना है

मैंगलोर में चरण 1 विस्तार के लिए 154.90 एकड़ भूमि (28.11 एकड़ हरित पट्टी और 126.79 एकड़ पट्टा योग्य क्षेत्र) के अधिग्रहण के लिए एमएसईजेडएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आवश्यक भुगतान और भूमि के अध्यावास के बाद, पट्टा प्रारंभ हो जाएगा।

(v) 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट किए गए रद्द न करने योग्य प्रचालन पट्टा के प्रति भावी न्यूनतम पट्टा किराया प्रतिबद्धता और 1 अप्रैल, 2019 को दर्ज की गई पट्टा देयता के बीच का अंतर मुख्य रूप से पट्टे को रद्द करने योग्य अवधि के लिए पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य को शामिल करने के कारण है। इंड एएस 116 की आवश्यकता के अनुसार पट्टा देयताओं की छूट और उन पट्टों के लिए प्रतिबद्धताओं के वर्जन के कारण कमी आई है, जिनके लिए कंपनी ने मानक के अनुसार व्यावहारिक सुविधा लागू करने का विकल्प चुना है।

(vi) इस मानक के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए कर पूर्व हानि में ₹11.33 लाख की निवल वृद्धि हुई है (पिछले वर्षः – ₹11.38 लाख) अर्थात मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय और वित्त लागत में क्रमशः ₹57.33 लाख की वृद्धि (पिछले वर्ष ₹56.19 लाख) और अन्य आय में ₹46.00 लाख की वृद्धि (पिछले वर्ष ₹44.85 लाख)।

(ग) पट्टादाता

प्रचालनात्मक पट्टा

संबंधित करारों में उल्लिखित किराये के अनुसार इन विवरणों में आय के रूप में मान्य पट्टा किरायाः

		₹ लाख में
विवरण	2023-24	2022-23
वर्ष के दौरान आय के रूप में मान्य पट्टा किराया		
- परिवर्तनीय पट्टा	893.54	-
- अन्य	-	-

यह विशाखापत्तनम स्थान पर कैवर्न ए की 0.30 एमएमटी क्षमता से संबंधित है, जो एचपीसीएल को उनके कच्चे तेल के भंडारण के लिए दी गई है, तथा तेल की कमी की स्थिति में भारत सरकार के पास वापसी का पहला अधिकार है।

रिपोर्टिंग तिथि के बाद प्राप्त होने वाले बिना छूट वाले पट्टा भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण

		₹ लाख में
विवरण	2023-24	2022-23
एक वर्ष से कम	4,450.67	-
एक से दो वर्ष	4,450.67	-
दो से तीन वर्ष	3,553.35	-
तीन से चार वर्ष	-	-
चार से पांच वर्ष	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	12,454.68	-

31.2 आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और प्रतिबद्धताएं (जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है)

विवरण

(क) आकस्मिक देयताएं

कंपनी के सापेक्ष आकस्मिक देयताएं दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है, जिनकी राशि ₹60,833.70 लाख है (पिछले वर्षः ₹93,414.56 लाख) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं –

क) विशाखापत्तनम में खदान और भूविज्ञान विभाग द्वारा ₹11,795.03 लाख (पिछले वर्षः ₹11,795.03 लाख) रॉयल्टी की विवादित मांग।

ख) विभिन्न स्थलों पर किए गए परियोजनाओं के कारण संविदाकारों द्वारा किए गए ₹48,564.00 लाख (पिछले वर्षः ₹80,752.13 लाख) के विवादित दावों को ईआईएल द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके लिए मामले मध्यस्थ न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

ग) प्रवेश कर के संबंध में ₹74.64 लाख (पिछले वर्षः ₹74.64 लाख) की विवादित मांग। कंपनी ने प्रवेश कर के विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रवर्तित कर समाधान योजना का लाभ उठाया है। कंपनी के अनुसार कोई देयता नहीं है और कंपनी ने प्रवेश कर के लिए ₹74.64 लाख की जबरन वसूली के सापेक्ष रिट याचिका दायर की है और मामला माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

घ) पंचायत विकास अधिकारी (पादुर) द्वारा भवन, भूमि और विविध करों के कारण ₹शून्य (पिछले वर्षः ₹410.84 लाख) की विवादित मांगें, जिसके लिए मामला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित है।

ङ) मैंगलोर में पाइपलाइन आरओयू के संबंध में ₹22.73 लाख की विवादित मांगें (पिछले वर्षः 381.58 लाख) जिसके लिए मामला जिला न्यायालय, मैंगलोर के समक्ष लंबित है।

च) जीएसटी प्राधिकरण द्वारा आईएसपीआरएल की ओर से वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2022–23 तक की अवधि के लिए खदान एवं भूविज्ञान विभाग में संविदाकार द्वारा जमा की गई रॉयल्टी की राशि के लिए आरसीएम आधार पर देयता के लिए ₹119.15 लाख (पिछले वर्ष : शून्य) की राशि के नोटिस/सूचनाएं प्रदान की गईं। आईएसपीआरएल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए जीएसटी प्राधिकरण द्वारा उठाई गई अनुचित मांग को रद्द करने के लिए 06.11.2023 को कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.11.2023 के आदेश के तहत मांग के स्थगन पर रोक लगा दी है। वित्त वर्ष 2019–20 से 2022–23 के लिए, विभाग को उत्तर दायर किया गया है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने आईएसपीआरएल द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए जारी किए गए समान एससीएन के लिए निर्णय पर रोक लगाने का आदेश दिया है, इसलिए वित्त वर्ष 2019–20 से 2022–23 के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों पर निर्णय को वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के निपटारे तक स्थगित रखा जा सकता है।

छ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1043(3)/154 के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2022–23 के लिए उठाई गई ₹258.15 लाख (पिछले वर्षः ₹0.34 लाख) की मांग के लिए सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।

(ख) आकस्मिक परिसंपत्तियां -

एलएफपी से मैंगलोर/पादुर कैवर्न तक इंटरसीडिएट वाल्व स्टेशन (आईवीएस) के माध्यम से पाइपलाइन बिछाने के संविदा के संबंध में आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के मामले में आईएसपीआरएल के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय के लिए ₹126.79 लाख (पिछले वर्षः ₹शून्य)। मध्यस्थता निर्णय को आज तक अन्य पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

(ग) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

1. मैंगलोर में चरण 1 विस्तार भूमि के लिए पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित और प्रावधानरहित ₹11,803.41 लाख (पिछले वर्षः 22,950.38 लाख) का राशि।

2. कर्नाटक सरकार द्वारा 22 फरवरी, 2023 को पादुर में 214.79 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार केआईएडीबी से भूमि अधिग्रहण पर ₹17,644.84 लाख व्यय किए गए हैं। भूस्वामियों को पुनर्वास के लिए भुगतान के कारण पूंजी प्रतिबद्धता और कोई अन्य राशि, पुनर्वास समिति के निर्णय के बाद उत्पन्न होगी।

3. पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए अन्य पूंजीगत प्रतिबद्धता (अग्रिमों को छोड़कर) – ₹0.03 लाख (पिछले वर्षः 0.01 लाख)

(घ) अन्य प्रतिबद्धताएँः कंपनी द्वारा ₹3,710.69 लाख (पिछले वर्षः ₹544.21 लाख) के लिए महत्वपूर्ण संविदाओं के प्रति अपने संविदात्मक दायित्वों का संकलित विवरण।

टिप्पणी संख्या 32: संबंधित पक्षकार लेनदेन :–

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

विवरण

संबंधित पक्षकारों का विवरण :

संबंध का विवरण	संबंधित पक्षकारों के नाम
होल्डिंग कंपनी	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की कंपनी में 100% इक्विटी है
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	1. श्री एल. आर. जैन, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल 2. श्री एचपीएस आहुजा, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल (01.06.2022 तक) 3. श्री जी.के. सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, आईएसपीआरएल (04.05.2024 तक) 4. श्री अजय दशोरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक [(अतिरिक्त प्रभार) (15.05.2024 से 09.06.2024 तक)] और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक [(अतिरिक्त प्रभार) (17.06.2022 से 30.10.2022 तक)] 5. श्री दीपक कुमार, मुख्य वित्तीय अधिकारी, आईएसपीआरएल (10.06.2024 से) 6. श्री अरुण तलवार, कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल (15.05.2023 तक) 7. सुश्री शिल्पी मोहंती, कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल (06.06.2023 से)
	निदेशक मंडल (पदेन) 1. श्री पंकज जैन, अध्यक्ष 2. श्री प्रवीण एम. खनूजा, निदेशक 3. सुश्री कामिनी चौहान रतन, निदेशक 4. सुश्री ईशा श्रीवास्तव, निदेशक 5. सुश्री वर्षा सिन्हा, निदेशक 6. सुश्री यतिंदर प्रसाद, निदेशक (11.10.2022 से 21.11.2022 तक) 7. श्री गुड्डे श्रीनिवास, निदेशक (26.09.2022 तक) 8. डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, निदेशक (30.11.2022 तक)

(i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

₹ लाख में

पारिश्रमिक	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक*#	82.18	83.98
मुख्य वित्तीय अधिकारी *	91.32	84.77
कंपनी सचिव*	82.25	85.56
कुल	**255.75**	**254.31**

*संबंधित होल्डिंग कंपनी से प्राप्त डेबिट नोट्स के अनुसार।

उपरोक्त राशि में वर्ष के दौरान हस्तांतरित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य (पिछले वर्ष: ₹0.86 लाख) का अनुलाभ मूल्य शामिल नहीं है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से बिक्री पर प्रतिफल	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
श्री एचपीएस आहुजा	लागू नहीं	2.04
कुल	**लागू नहीं**	**2.04**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का हस्तांतरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
श्री एचपीएस आहुजा	लागू नहीं	0.79
सुश्री यतिंदर प्रसाद	लागू नहीं	0.66
कुल	**लागू नहीं**	**1.45**

**परिसंपत्ति के हस्तांतरण की तिथि पर बहियों के अनुसार डब्ल्यूडीवी की राशि।

(ii) होल्डिंग कंपनी (ओआईडीबी)

		₹ लाख में
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
व्यय की प्रतिपूर्ति	18.20	25.20
चरण II व्यय के लिए अनुदान (वर्ष के दौरान प्राप्त)	350.00	शून्य
चरण II के लिए अनुदान (प्राप्य)	15.34	314.15
ओआईडीबी की ओर से किया गया व्यय	0.12	0.25
चरण II के लिए अप्रयुक्त अनुदान की वापसी	51.19	शून्य

संबंधित पक्षकारों के पास बकाया शेषः

			₹ लाख में
		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधन निदेशक श्री एल.आर. जैन से वेतन पर टीडीएस वसूलीयोग्य	शून्य	0.63
(ii)	होल्डिंग कंपनी (ओआईडीबी)		
	उनकी ओर से किए गए व्यय के लिए ओआईडीबी से वसूली योग्य	0.12	0.01
	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ओआईडीबी को देय	18.20	25.20
	चरण II के लिए प्राप्य अनुदान	15.34	314.15

टिप्पणीः कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) और भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत 'संबंधित पक्षकार' नहीं हैं। तदनुसार, कंपनी द्वारा उनके साथ किए गए लेनदेन के लिए संबंधित अनुपालन, यदि कोई हो, किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी संख्या 33: खंड रिपोर्टिंग

1. कंपनी भारत सरकार के लिए कच्चे तेल के सरकारी भंडार के लिए भंडारण परिसंपत्तियां बना रही है और ऐसी परिसंपत्तियों का अनुरक्षण भी कर रही है। इसे एक ही प्राथमिक खंड माना जाता है।

2. भौगोलिक जानकारी लागू नहीं है क्योंकि कंपनी का सम्पूर्ण प्रचालन भारत के भीतर होता है।

टिप्पणी संख्या 34: वित्तीय लिखत

श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

1. प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकदी समकक्षों, अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों, व्यापार देयताओं, अल्पावधि उधारों और अन्य चालू वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य उनकी वहन राशि के लगभग बराबर है।

2. वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया जाता है जिस पर लिखत को बलात् या परिसमापन बिक्री के अलावा, इच्छुक पक्षकारों के बीच चालू लेनदेन में विनिमय किया जा सकता है।

3. उचित मूल्य पदानुक्रम के संबंध में उपरोक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है।

टिप्पणी संख्या 35: वित्तीय लिखत

1) वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियाँ इसे कई तरह के वित्तीय जोखिमोंः बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम – के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। कंपनी का प्राथमिक फोकस वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशितता का पूर्वानुमान लगाना और अपने वित्तीय

प्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। कंपनी के लिए प्राथमिक बाजार जोखिम ब्याज दर जोखिम है। कंपनी के संचालन और अनुरक्षण व्यय जीबीएस से पूरे किए जाते हैं, इसलिए यह किसी भी भौतिक ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय राशियाँ और प्रतिभूति जमा शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ और नकदी/नकदी समतुल्य शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं।

वर्तमान में कंपनी प्राकृतिक व्यावसायिक जोखिमों के साथ–साथ वित्तीय लिखतों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी वित्तीय जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है, जिसमें ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों से संबंधित बाजार जोखिम शामिल है। वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम अभिशासन ढांचे के साथ इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है।

2) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार की कीमतों में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं: मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधार, जमा, निवेश और डेरिवेटिव वित्तीय लिखत शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। वर्तमान में कंपनी की वित्तीय लिखत किसी भी भौतिक बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है।

3) ऋण जोखिम

ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक व्यावसायिक इकाई द्वारा किया जाता है, जो ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और नियंत्रण के अधीन है। ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का मूल्यांकन व्यापक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है और बकाया ग्राहक प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वर्तमान में कोई व्यापार प्राप्य नहीं हैं।

4) चलनिधि जोखिम

कंपनी अपनी निधियों के अभाव के जोखिम पर कड़ी निगरानी रखती है। कंपनी होल्डिंग कंपनी से अल्पकालिक उधारी तक पहुंच बनाए रखकर अपनी चलनिधि आवश्यकता का प्रबंधन करने का आशय रखती है।

नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान किया गया है।

₹ लाख में

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	-	-	-	-	-
व्यापार देयताएं	2,159.44	-	-	-	2,159.44
अन्य वित्तीय देयताएं	27,141.04	17.45	4.83	-	27,163.32
कुल	**29,300.48**	**17.45**	**4.83**	**-**	**29,322.76**

नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान किया गया है।

₹ लाख में

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	-	-	-	-	-
व्यापार देयताएं	1,891.61	-	-	-	1,891.61
अन्य वित्तीय देयताएं	22,092.40	17.10	0.27	-	22,109.77
कुल	**23,984.01**	**17.10**	**0.27**	**-**	**24,001.38**

टिप्पणी संख्या 36: पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु।

चरण I के अंतर्गत : पूंजी में निर्गत इक्विटी पूंजी और इक्विटी धारकों को आरोप्य सभी अन्य इक्विटी आरक्षित निधि शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है।

चरण I विस्तार के अंतर्गत : मैंगलोर में चरण–I विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु पूंजी का प्रबंधन भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जीबीएस के माध्यम से किया जाएगा।

चरण II परियोजना के अंतर्गत : भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी का प्रबंधन भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जीबीएस के माध्यम से किया जा रहा है।

टिप्पणी संख्या 37: विदेशी मुद्रा में भुगतान (भारतीय रुपया समतुल्य)

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा	शून्य	6.72
माल और सेवाओं के लिए भुगतान	शून्य	4,775.67
कुल	**0.00**	**4782.39**

टिप्पणी संख्या 38: विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां (भारतीय रुपया समतुल्य)

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
एडनोक से प्राप्ति	302.85	1,454.56
यात्रा अग्रिम का प्रतिदाय	0.86	शून्य
कुल	**303.71**	**1454.56**

टिप्पणी संख्या 39: कर्मचारी हितलाभ प्रकटीकरण

(i) भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) के अनुसार ग्रेच्युटी प्रकटीकरण विवरण

क. कंपनी द्वारा प्रदान की गई और गणना के लिए प्रयुक्त बीमांकिक धारणाएं नीचे सारणीबद्ध हैं:

अवधि	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार
छूट की दर	7.25 % प्रति वर्ष	7.50 % प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	12.00 % प्रति वर्ष	10.00 % प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
अपेक्षित प्रतिफल दर	7.25% प्रति वर्ष	0
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष

ख. मूल्यांकित हितलाभः

अवधि	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन
निहित अवधि	5 वर्ष की सेवा	5 वर्ष की सेवा
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	15/26 * वेतन * विगत सेवा (वर्ष)	15/26 * वेतन * विगत सेवा (वर्ष)
मृत्यु और विकलांगता के कारण समय से पहले नौकरी छोड़ने पर लाभ	जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिवाय इसके कि कोई निहित शर्तें लागू न हो	जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिवाय इसके कि कोई निहित शर्तें लागू न हो
सीमा	₹ 25,00,000	₹20,00,000

ग. प्रमुख परिणाम

अवधि	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	₹ 21,12,602	₹ 9,24,256
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	₹ 15,82,938	₹ 12,14,340
तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल देयता / (परिसंपत्ति)	₹ 5,29,664	(₹ 2,90,084)
वित्तपोषित स्थिति – अधिशेष / (घाटा)	(₹ 5,29,664)	₹ 2,90,084

घ. निवल देयता का विभाजन

अवधि	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार
चालू देयता (अल्पावधि)	₹ 7,948	0
गैर चालू देयता (दीर्घावधि)	₹ 5,21,716	0
कुल देयता	₹ 5,29,664	0

(ii) भारतीय लेखा मानक 19 (इंड एएस 19) के अनुसार अवकाश प्रकटीकरण विवरण

क. कंपनी द्वारा प्रदान की गई और गणना के लिए प्रयुक्त बीमांकिक धारणाएं सारणीबद्ध हैं:

अवधि	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार
छूट की दर	7.25 % प्रति वर्ष	7.50 % प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	12.00 % प्रति वर्ष	10.00 % प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
अपेक्षित प्रतिफल दर	7.25% प्रति वर्ष	0
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष

ख. मूल्यांकित हितलाभ :

अवधि	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	कंपनी के नियमों के अनुसार	कंपनी के नियमों के अनुसार
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	1/30 * वेतन * छुट्टियों की संख्या	1/30 * वेतन * छुट्टियों की संख्या
समय–पूर्व निकासी पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन
मृत्यु पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन

ग. प्रमुख परिणाम

अवधि	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	₹ 31,90,374	₹ 14,96,467
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	₹ 28,88,017	₹ 21,34,663
तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल देयता / (परिसंपत्ति)	₹ 3,02,357	(₹ 6,38,196)
वित्तपोषित स्थिति – अधिशेष / (घाटा)	(₹ 3,02,357)	₹ 6,38,196

घ. निवल देयता का विभाजन

अवधि	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार
चालू देयता (अल्पावधि)	₹ 79,498	0
गैर चालू देयता (दीर्घावधि)	₹ 2,22,859	0
कुल देयता	₹ 3,02,357	0

टिप्पणी संख्या 40: अन्य टिप्पणी

40. अन्य टिप्पणियां

i) विवाद से विश्वास के अंतर्गत निपटाए गए मामले :–

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत लाभ उठाया था और पिछले वर्षों में ₹663.47 लाख का कर चुकाया गया है। मांग का निपटारा कर दिया गया है और विभाग द्वारा फॉर्म–5 जारी कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सभी मामले बंद कर दिए गए हैं। फॉर्म 5 के प्रभावी होने का पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्रतीक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए, आयकर साइट पर कुल ₹1.03 करोड़ की मांग दिखाई दे रही है, जो विभाग द्वारा जारी किए गए फॉर्म 5 के आलोक में न तो लागू करने योग्य है और न ही सही है, जो स्वतः मामला समाप्त कर देता है और विभाग द्वारा आगे कोई कार्रवाई या मांग नहीं की जा सकती है।

ii) सॉवरेन क्रूड ऑयल रिजर्व को भारत सरकार की ओर से कंपनी के तीन स्थानों पादुर, मैंगलोर और विशाखापत्तनम में अभिरक्षक के रूप में रखा गया है। विशाखापत्तनम में कैवर्न बी का उपयोग एचपीसीएल द्वारा अपने संचालन के लिए किया जाता है और कच्चे तेल में परिसंपत्ति पूरी तरह से एचपीसीएल के स्वामित्व में है। मैंगलोर में कैवर्न ए का उपयोग एडनोक द्वारा आईएसपीआरएल के साथ करार के तहत अपने स्वयं के कच्चे तेल के भंडारण के लिए किया जाता है और कच्चे तेल में परिसंपत्ति पूरी तरह से एडनोक के स्वामित्व में है (डेड स्टॉक को छोड़कर जो भारत सरकार के स्वामित्व में है)।

कंपनी ने विशाखापत्तनम स्थान पर कैवर्न ए की 0.30 एमएमटी क्षमता को एचपीसीएल को किराये / पट्टे पर देने के लिए एचपीसीएल के साथ करार किया है और एचपीसीएल द्वारा संग्रहीत कच्चा तेल एचपीसीएल की परिसंपत्ति है, तथा तेल की कमी की स्थिति में भारत सरकार से इसे वापस लेने का पहला अधिकार है।

कंपनी ने सॉवरेन क्रूड ऑयल के लेखांकन के संबंध में आईसीएआई से विशेषज्ञ सलाहकार राय प्राप्त की है। आईसीएआई से प्राप्त राय के अनुसार तथा लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड को दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों में सॉवरेन क्रूड ऑयल का लेखांकन नहीं किया जा रहा है तथा केवल लेखा संबंधी टिप्पणियों में सॉवरेन क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का प्रकटीकरण किया जा रहा है (टिप्पणी संख्या 1.1 देखें)।

भारत सरकार – कच्चा तेल

विवरण	31 मार्च, 2024 (मात्रा मीट्रिक टन में)	31 मार्च, 2023 (मात्रा मीट्रिक टन में)
कच्चे तेल का प्रारंभिक स्टॉक (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार) (क)	30,16,903.67	30,10,938.75
जोड़ें :– वर्ष के दौरान अधिप्राप्त :		
लदान बिल के अनुसार (ख)	-	-
सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक (ग)	-	-
जोड़ें:– मैंगलोर में कार्वर्न ए में डेड स्टॉक (घ)	-	3,394.63
घटाएँ:– वर्ष के दौरान बिक्री / हस्तांतरित (ङ)	98,795.44	-
वर्ष के अंत तक वास्तविक के अनुसार निवल मात्रा (क+ग+घ)–(ङ)	29,18,108.23	30,14,333.38
वर्ष के अंत तक अभिरक्षा में कुल मात्रा (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार) (मैंगलोर में कैवर्न ए में 3,394.63 मीट्रिक टन के डेडस्टॉक सहित)	29,20,002.98	30,16,903.67

एडनोक – कच्चा तेल

विवरण	31 मार्च, 2024 (मात्रा मीट्रिक टन में)	31 मार्च, 2023 (मात्रा मीट्रिक टन में)
कच्चे तेल का प्रारंभिक स्टॉक (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार) (क)	4,21,775.48	3,512.61
जोड़ें:– वर्ष के दौरान अधिप्राप्त		
लदान बिल के अनुसार (ख)	-	4,33,099.00
सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक (ग)	-	4,22,602.24
घटाएँ :– मैंगलोर में कार्वर्न ए में डेड स्टॉक (घ)	-	3,394.63
घटाएँ :– वर्ष के दौरान एडनोक द्वारा हस्तांतरित (ङ)	-	-
वर्ष के अंत तक वास्तविक के अनुसार निवल मात्रा (क+ग) – (घ+ङ)	4,21,775.48	4,22,720.22
वर्ष के अंत तक अभिरक्षा में कुल मात्रा (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार) (मैंगलोर मेंकैवर्न ए में 3,394.63 मीट्रिक टन के डेडस्टॉक को छोड़कर)	4,21,588.49	4,21,775.48

टिप्पणी: हानियाँ स्वीकार्य उद्योग मानदंडों के भीतर हैं।

₹ लाख में

विवरण	2023-24	2022-23
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय (कच्चा तेल अनुदान)		
अवधि के आरंभ में भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय/प्रतिदेय	84.61	84.61
जोड़ें:– वर्ष के दौरान कच्चे तेल के लिए प्राप्त राशि	-	-
जोड़ें:– ब्याज, अन्य प्राप्तियां और समायोजन	-	-
घटाएँ:– वर्ष के दौरान खरीदा गया कच्चा तेल (स्थानांतरण के बाद निवल) (समाशोधन और अन्य व्यय सहित)	-	-
घटाएँ:– भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस की गई राशि	-	-
अवधि के अंत में भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय/प्रतिदेय	84.61	84.61
टिप्पणी: 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय/प्रतिदेय राशि आयकर विभाग से प्राप्य टीडीएस को दर्शाती है।		

iii) वित्त वर्ष 2022–23 तक, कंपनी ओएंडएम अनुदान और उससे संबंधित व्यय को कंपनी के लाभ और हानि विवरण के आधार पर निवल ऑफ आधार पर प्रस्तुत कर रही थी। कंपनी ने ओएंडएम अनुदान के लेखांकन/प्रस्तुति के संबंध में आईसीएआई से विशेषज्ञ सलाहकार राय प्राप्त की है। आईसीएआई से प्राप्त राय और लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड से अनुमोदन के अनुरूप, कंपनी वित्त वर्ष 2023–24 से कंपनी की आय और व्यय के रूप में ओएंडएम अनुदान और संबंधित व्यय/उपयोगिता दिखा रही है (वित्त वर्ष 2022–23 के लिए संबंधित राशियों को फिर से समूहीकृत किया गया है)।

iv) **(क) चरण II :**

8 जुलाई, 2021 को भारत सरकार ने चरण II के तहत ओडिशा के चांदीखोल (4 एमएमटी) और कर्नाटक के पादुर II (2.5 एमएमटी) में वाणिज्यिक सह स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के विकास और पीपीपी मोड के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर समर्पित एसपीएम और संबंधित पाइपलाइनों के विकास को मंजूरी दी थी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है और नीचे दी गई है:–

भूमि अधिग्रहण की स्थिति :

पादुर :

- आईएसपीआरएल ने नवंबर 2020 में पादुर में भूमि अधिग्रहण/आवंटन के लिए केआईएडीबी को आवेदन प्रस्तुत किया। केआईएडीबी द्वारा 22 फरवरी, 2023 को पादुर की 214.79 एकड़ भूमि के लिए अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। भूमि दर (अन्य प्रासंगिक प्रभारों सहित) और भूमि पर वन, बागवानी और स्थायी संरचना के लिए मुआवजे के निर्धारण के बाद मांग टिप्पणियों के आधार पर 31.03.2024 तक केआईएडीबी को कुल ₹176.44 करोड़ का भुगतान किया गया है।
- केआईएडीबी डीसी, पादुर के परामर्श से भूस्वामियों के लिए आरएंडआर पैकेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

चांदीखोल :

- ओडिशा के जिला जाजपुर के चांदीखोल में 400 एकड़ भूमि के लिए आवेदन सितंबर 2019 में ओडिशा सरकार को प्रस्तुत किया गया था। ओडिशा सरकार ने चांदीखोल परियोजना के लिए भूमि आवंटन के हमारे आवेदन पर विचार करते हुए दिसंबर 2022 में आईएसपीआरएल को एसपीआर के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थलों की तलाश करने की सलाह दी है।

- आईएसपीआरएल ने ओडिशा में वैकल्पिक स्थल की पहचान करने के लिए ईआईएल को नियुक्त किया। इसके बाद ईआईएल द्वारा डेस्कटॉप अध्ययन के बाद, वैकल्पिक स्थलों का मूल्यांकन करने के लिए एक संयुक्त दौरा किया गया। ईआईएल ने 6 जुलाई, 2023 को आईएसपीआरएल को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक वैकल्पिक स्थल की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एएसआई पुरी सर्कल की एक टीम माझी पाड़ा के पास वैकल्पिक स्थल पर पुरातत्व सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया में है।
- पुरातत्व विभाग से मंजूरी मिलने के बाद, आईएसपीआरएल भू–तकनीकी सर्वेक्षण आदि शुरू करने से पहले परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के लिए ओडिशा सरकार को अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) चरण I विस्तार :-

1. अतिरिक्त क्षमता की खोज के प्रयास में, आईएसपीआरएल ने एमएसईजेडएल के साथ चर्चा की और एमएसईजेडएल ने आईएसपीआरएल को ₹226.94 करोड़ के एकमुश्त गैर–वापसीयोग्य पट्टा प्रीमियम और ₹60,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वार्षिक पट्टा किराया प्रीमियम के भुगतान पर 154.90 एकड़ भूमि (126.79 एकड़ पट्टे योग्य भूमि है और शेष 28.11 एकड़ को हरित पट्टी के रूप में बनाए रखा जाना है) की पेशकश की।
2. डेलिगेटेड इंवेस्टमेंट बोर्ड (डीआईबी) की दिनांक 17 फरवरी, 2023 की मंजूरी आईएसपीआरएल को दिनांक 22 फरवरी, 2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आईसी22011/6/2017–आईसी–2 के माध्यम से सूचित कर दी गई है। अनुमोदन प्राधिकारी की मंजूरी के लिए पत्राचार 26 जून, 2023 को प्राप्त हुआ है।
3. आईएसपीआरएल ने मैंगलोर में पट्टे के आधार पर 154.90 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए 17.03.2023 को एमएसईजेडएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और 31.03.2024 तक एमएसईजेडएल को ₹22.69 करोड़ (एकमुश्त गैर–वापसी योग्य पट्टा प्रीमियम का 10%) का भुगतान किया है।
4. आईएसपीआरएल ने चरण–I विस्तार के तहत मैंगलोर परियोजना के लिए पूर्व परियोजना अध्ययन के लिए ईआईएल को परियोजना सलाहकार नियुक्त किया है। मैसर्स ईआईएल द्वारा डीएफआर तैयार किया जा रहा है। डीएफआर के आधार पर, मैंगलोर में अतिरिक्त कैवर्न्स के निर्माण का प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
5. भू–तकनीकी जांच और समोच्च सर्वेक्षण का कार्य क्रमशः मैसर्स सॉइलटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एक्सप्लोरर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है।

v) आईएसपीआरएल के मैंगलोर स्थल पर, 2 कैवर्न्स हैं, जिनका नाम कैवर्न्स ए और बी है। कैवर्न्स "ए" के लिए, तेल भंडारण और प्रबंधन के लिए 10.02.2018 को अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और (एडनोक) मार्केटिंग इंटरनेशनल (इंडिया) आरएससी लिमिटेड (एएमआई इंडिया) के साथ एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। करार के अनुसार, 1,20,000 अमेरिकी बैरल (15831 मीट्रिक टन) का मूल्य एएमआई इंडिया (एडनोक) को डेड स्टॉक हानि/कमीशनिंग हानि के लिए भुगतान किया जाना था और भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने डेड स्टॉक की प्रतिपूर्ति के लिए ₹7,000 लाख आवंटित किए थे। उत्पाद की वास्तविक निकासी पर, प्रचालन दक्षता के कारण डेड स्टॉक/कमीशनिंग हानि अनुमानित 1,20,000 बैरल के सापेक्ष 75,923 बैरल निर्धारित की गई है और इस आशय के मूल करार के लिए एक साइड लेटर दिनांक 18.04.2022 को हस्ताक्षरित किया गया है। कंपनी द्वारा 15.06.2022 को 75,923 बैरल के लिए ₹4,776.01 लाख का भुगतान एडनोक को किया गया है और शेष ₹2,223.99 लाख वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस कर दिए गए हैं।

पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि आईएसपीआरएल, हमेशा एएमआई इंडिया (एडनोक) में स्वामित्व हित बनाए रखेगा, जो 3,394.63 मीट्रिक टन (25,781 बैरल) तेल के डेड स्टॉक मात्रा के बराबर है। डेड स्टॉक का स्वामित्व भारत सरकार के पास है।

एएमआई इंडिया (एडनोक) के साथ करार से संबंधित भंडारण हानि और प्रचालन हानि के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान करार के पक्षकारों द्वारा परिमाणीकरण के बाद किया जाएगा। वर्ष के दौरान किसी भी हानि का परिमाणीकरण नहीं किया गया है।

vi) 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी का दैनिक कार्य विभिन्न तेल कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर आए 16 कर्मियों और बोर्ड द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक द्वारा संभाला जाता है। इसके अलावा, कंपनी में ओआईडीबी वेतनमान पर आईएसपीआरएल के नियमित रोल पर 12 कर्मचारी हैं। आईएसपीआरएल के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

vii) अन्य कंपनियों से प्राप्त होने वाली राशि सहित मूल्य के लिए नकदी या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम राशि, जिसमें कोई निदेशक निदेशक या सदस्य है, शून्य है (पिछले वर्ष–₹ शून्य)।

viii) वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कैबिनेट ने आईएसपीआरएल को निम्नलिखित तरीके से सुविधाओं और कच्चे तेल के व्यावसायीकरण की अनुमति दी है :-

क. कुल भंडारण क्षमता का 30% भारतीय या विदेशी कंपनियों को पट्टे/किराए पर देना। तथा

ख. कच्चे तेल की कुल भंडारण क्षमता के 20% की बिक्री/खरीद भारतीय कंपनियों को।

ग. कुल भंडारण क्षमता का शेष 50% सामरिक रहेगा।

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, 30% तक को पट्टे/किराए पर देने के माध्यम से वाणिज्यिक स्टॉक जारी करना और 20% तक कच्चे तेल की बिक्री खरीद का काम आईएसपीआरएल के बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। कच्चे तेल के 50% के सामरिक हिस्से में स्टॉक जारी करने का अधिकार अंतर–मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति के पास रहेगा।

पट्टे पर दी जाने वाली 30% भंडारण क्षमता के लिए कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त आय भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी। साथ ही, सॉवरेन क्रूड ऑयल की बिक्री/खरीद को कंपनी के लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्य नहीं किया गया है (टिप्पणी संख्या 1.1 देखें)। 20% कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त राजस्व आईएसपीआरएल की आय का हिस्सा बनेगा।

19 जनवरी, 2024 से एचपीसीएल को विशाखापत्तनम स्थान पर कैवर्न ए की 0.30 एमएमटी क्षमता को किराए पर/पट्टे पर देने के लिए एचपीसीएल के साथ करार किया है।

आईएसपीआरएल ने 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार 30% क्षमता से 1.298 एमएमटी सॉवरेन क्रूड ऑयल की बिक्री की है और इसकी आय भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापिस कर दी गई है। बेचे गए सॉवरेन क्रूड ऑयल में से 0.099 एमएमटी सॉवरेन क्रूड ऑयल चालू वर्ष के दौरान बेचा गया है।

सॉवरेन क्रूड ऑयल की बिक्री और भुगतान का विवरण	₹ लाख में
31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय राशि (तेल कंकंपनियों द्वारा कच्चे तेल की बिक्री पर काटा गया टीडीएस)	491.72
जोड़ें: वर्ष के दौरान की गई बिक्री में से वर्ष के दौरान प्राप्त वसूली	46,091.07
घटाएँ: आईएसपीआरएल के बांडेड स्टॉक पर एचपीसीएल द्वारा भुगतान किए गए सीमा शुल्क के लिए समायोजित राशि	15.44
घटाएँ: वर्ष के दौरान भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस की गई राशि	46,029.54
31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार तक भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय राशि (तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल की बिक्री पर काटा गया टीडीएस)	537.81
टिप्पणी: तेल कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार पंपिंग चार्ज पर टीडीएस की कटौती के रूप में ₹3.76 लाख रुपये की राशि बकाया है। चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल की बिक्री पर कोई पंपिंग शुल्क प्राप्त/प्राप्य नहीं है और तदनुसार 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को ₹3.76 लाख रुपये की राशि देय है।	

ix) मैंगलोर और पादुर से उत्खनित रॉक अभी भी साइट पर पड़े हुए हैं। पादुर में चट्टान के मलबे के लिए ई–नीलामी मिनरल स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) के माध्यम से आयोजित की गई थी। सफल बोलीदाता ने पादुर से 2 लाख मीट्रिक टन रॉक के मलबे को उठाने के लिए ₹106/मीट्रिक टन और 10 लाख मीट्रिक टन रॉक के मलबे के लिए ₹108/मीट्रिक टन की कीमत उद्धृत की है। इन निविदाओं में से, 31.03.2024 तक 85,582.67 मीट्रिक टन रॉक (अर्थात् 31.03.2023 तक 5,882.22 मीट्रिक टन और चालू वर्ष के दौरान 79,700.45 मीट्रिक टन) की बिक्री गई है।

एमएसईजेडएल के साथ दिनांक 22.03.2012 की बैठक के विवरण के अनुसार, रॉक के मलबे की बिक्री से उत्पन्न मूल्य को आईएसपीआरएल और एमएसईजेडएल द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा। वर्ष के दौरान, एमएसईजेडएल ने बताया कि उनके द्वारा मंगलोर स्थान पर 37,449.95 मीट्रिक टन रॉक की बिक्री की गई है और बिक्री से प्राप्त ₹22,28,272/– की 50% राशि आईएसपीआरएल के साथ साझा की गई है।

x) **व्यय का मिलान (टिप्पणी संख्या 26 एवं 29.1 के अनुसार)**

	₹ लाख में	
	2023-24	**2022-23**
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से दावा किया गया प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय (यूसी के अनुसार)	14,341.38	15,667.90
घटाएँ:– पिछले वर्ष में दर्ज किया गया लेकिन वर्ष के दौरान दावा किया गया ओ एंड एम व्यय	1,770.06	3,413.65
जोड़ें:– वर्ष के दौरान दावा न किए गए अवधि के लिए दावा किए जाने वाले ओ एंड एम व्यय	2,139.35	1,791.10
घटाएँ:– दावा किया गया अतिरिक्त ओ एंड एम व्यय/पूर्वदत्त व्यय (पिछले वर्ष का निवल)	461.70	271.89
घटाएँ:– इंड एएस 116 के अनुसार पट्टा प्रभार खाता	46.00	44.85
वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया गया व्यय (टिप्पणी संख्या 26 और 29.1)	14,202.97	13,728.60

xi) **आस्थगित कर**

कर योग्य आय की अनुपस्थिति में, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा, आस्थगित कर परिसंपत्ति को भी मान्य नहीं किया गया है क्योंकि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सके।

xii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए बकाया 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹346.95 लाख (पिछले वर्ष ₹204.41 लाख) के रूप में निर्धारित किया गया है, इस तरह के पक्षकारों को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहचाना गया है'।

xiii) वेंडरों/संविदाकारों/सेवा प्रदाताओं से देय/वसूली योग्य राशि पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगी।

xiv) सभी उपभोग्य सामग्रियों/भंडारों/स्पेयर पार्ट्स को खरीदारी के समय संचालन एवं अनुरक्षण व्यय में शामिल किया जाता है।

xv) क) मैंगलोर एसईजेड/पादुर से रॉक हटाने पर रॉयल्टी का भुगतान एमएसईजेडएल/एमएसईजेडएल या आईएसपीआरएल द्वारा नियुक्त संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ख) कंपनी के फॉर्म 26एएस में दर्शाए जाने वाले स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का भुगतान संविदाकार अर्थात् रॉक के खरीदार (आईएसपीआरएल के पैन नंबर का उपयोग करके) द्वारा मैंगलोर और पादुर में खदान और भूविज्ञान विभाग को भुगतान की गई रॉयल्टी राशि पर आयकर प्राधिकरणों को किया जा रहा है। आईएसपीआरएल द्वारा 26एएस के आधार पर टीसीएस का क्रेडिट लिया जाता है और एमएसईजेडएल/संविदाकार के नाम पर संबंधित भुगतान योग्य बनाया जाता है। आयकर प्राधिकरणों से टीसीएस का प्रतिदाय प्राप्त होने पर ही एमएसईजेडएल/संविदाकार को उनके द्वारा किए गए दावे, यदि कोई हो, पर राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

ग) संविदाकार के साथ एमएसईजेडएल संविदा के अनुसार, रॉक हटाने के कारण कोई भी सांविधिक भुगतान संविदाकार द्वारा वहन किया जाना है। इसके अलावा, यदि संविदाकार कोई सांविधिक भुगतान जमा करने में विफल रहता है, तो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अनुसार एमएसईजेडएल पर इसका दायित्व उत्पन्न होगा और संविदाकार/एमएसईजेडएल द्वारा सीमा शुल्क के भुगतान में किसी भी चूक के कारण आईएसपीआरएल पर कोई दायित्व नहीं होगा। मैंगलोर एसईजेड क्षेत्र से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) तक रॉक हटाने पर सीमा शुल्क के भुगतान का मामला मुकदमेबाजी के अधीन है।

xvi) क. कंपनी ने वाणिज्यिक कर कार्यालय से केएसटी/सीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एसीसीटी, एलजीएसटीओ–260 (जीएसटी प्राधिकरण) के पक्ष में ₹50,000/– (पिछले वर्ष: ₹50,000/–) का बीजी दिया है। बीजी कंपनी द्वारा गिरवी रखी गई ₹50,000/– की राशि के सापेक्ष दी गई थी।

ख. कंपनी ने पत्थर खदान संविदा से संबंधित वित्तीय आश्वासन के लिए उप निदेशक, डीएमजी, मैंगलोर के पक्ष में ₹1,45,000/– (पिछले वर्ष: ₹1,45,000/–) की एफडी गिरवी रखी है।

ग. आईएसपीआरएल द्वारा विकास आयुक्त, एमएसईजेड मैंगलोर को ₹100.80 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹100.80 करोड) की राशि का बांड–सह–कानूनी शपथपत्र दिया गया है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 के नियम 25 के प्रावधानों के अनुसार माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त छूट, वापसी, उपकर और रियायतों के लाभों के संबंध में है।

xvii) (क) एमएसईजेडएल द्वारा आईएसपीआरएल को कुल 104.73 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) एसईजेड के अंतर्गत कार्य क्षेत्र के लिए 67.0134 एकड़ भूमि।

(ii) एसईजेड के अंतर्गत हरित पट्टी विकास के लिए 33.0066 एकड़ भूमि।

(iii) एसईजेड के बाहर बूस्टर पम्पिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 4.71 एकड़ भूमि।

ऊपर बताई गई कुल भूमि में से 33.0066 एकड़ भूमि एमएसईजेडएल द्वारा हरित पट्टी के विकास के लिए निःशुल्क सौंपी गई। हालांकि, आईएसपीआरएल को सौंपी गई कुल भूमि (अर्थात 104.73 एकड़) के लिए वार्षिक किराया देय है।

(ख) 30 एकड़ भूमि की सतह के नीचे भूमिगत रॉक कैवर्न (यूआरसी) तेल भंडारण सुविधा के निर्माण और अनुरक्षण के लिए लाइसेंस/अनुमति पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) द्वारा ईएनसी और आईएसपीआरएल के बीच 01 मई, 2007 को हुए समझौता ज्ञापन के तहत 99 वर्ष की अवधि के लिए ₹1.00 प्रति वर्ष की टोकन राशि पर प्रदान की गई थी।

भूमि का स्वामित्व और अध्यावास तथा भूमि की सतह और हवाई अधिकार ईएनसी के पास ही रहेगा। भूमि पर कोई अधिकार, शीर्षक या हित आईएसपीआरएल को नहीं दिया गया है।

xviii) लाभ और हानि का विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट) से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के अंतर्गत आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा और अन्य मदों पर किए गए व्यय से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं :

	₹ लाख में	
	2023-24	2022-23
सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	2.09	2.09
प्रमाणन (जीएसटी सहित)	शून्य	0.59
छिट–पुट व्यय	0.21	0.20
आंतरिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	0.23	0.23
अन्य सेवाएँ	1.07	2.24
सचिवीय लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	0.10	0.10

xix) कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्ति के स्वामित्व विलेख

तुलन–पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	परिसंपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ लाख में)	स्वामित्व/पट्टा विलेख किसके नाम पर है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	परिसंपत्ति, किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
उपयोग का अधिकार (इंड एएस 116)	मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र में पट्टाधारी भूमि (104.73 एकड़)	8492.5	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	नहीं	आवंटन पत्र की तिथि इस प्रकार है: क. 100.02 एकड़ के लिए तारीख 23.11.2009 है। ख. 4.71 एकड़ के लिए तारीख 11.04.2018 है। अध्यावास की तारीख 26 जनवरी, 2060 है।	पट्टा विलेख कंपनी के नाम पर है किंतु अभी तक पंजीकृत नहीं है। उद्योग और वाणिज्य निदेशालय से दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के पत्र के तहत, आईएसपीआरएल ने एमएसईजेडएल के साथ पट्टा विलेख पंजीकरण के लिए स्टॉम्प शुल्क से 100% की छूट का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। आईएसपीआरएल ने पंचायतों को फीस देकर परमुडे और बाला पंचायतों से फॉर्म 9 और 11 प्राप्त किया है। संपत्ति कर और खाता फीस का भुगतान करके बाजपे टाउन पंचायत से खाता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। एमएसईजेडएल ने फॉर्म 9 और 11 के लिए जोकाट्टे ग्राम पंचायत में आवेदन किया है और पंचायत कार्यालय से 9 और 11 फीस के भुगतान के लिए पंचायत मांग पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है।

xx) पीपीएंडई, अमूर्त परिसंपत्ति और निवेश परिसंपत्ति का मूल्यांकन –

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

xxi) बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण –

वर्ष के दौरान कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं मिला है।

xxii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) –

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है

xxiii) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां –

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार विकासाधीन कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है

xxiv) बेनामी परिसंपत्ति का ब्यौरा –

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी परिसंपत्ति रखने के लिए कंपनी के सापेक्ष कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

xxv) चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर ऋण और अग्रिम –

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं हैं।

xxvi)इरादतन चूककर्ता–

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

xxvii) कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रभारों का पंजीकरण या समाधान –

ऐसे कोई भी प्रभार या समाधान नहीं हैं जिन्हें सांविधिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना बाकी हो।

xxviii) कंपनियों के विभिन्न स्तरों का अनुपालन –

कंपनी ओआईडीबी की 100% सहायक कंपनी है और इसके अलावा कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xxix) व्यवस्था की अनुमोदित योजना(ओं) का अनुपालन –

कंपनी ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की है जिसका चालू या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन प्रभाव हो।

xxx) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग –

क) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को इस आशय से अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ :

क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या उसके द्वारा किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या

ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई सुविधा प्रदान करेगा।

ख) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्षकार) शामिल हैं, इस आशय (चाहे लिखित में दर्ज हो या अन्यथा) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी:

क. वित्तपोषण पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा, या

ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई सुविधा प्रदान करेगा।

xxxi) अघोषित आय –

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई कोई भी आय नहीं है, जिसे लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है।

xxxii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) –

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी सीएसआर व्यय नहीं किया है, क्योंकि नियमों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक नहीं था।

xxxiii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण –

कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

xxxiv) ऋण या अग्रिम राशि, ऋण के स्वरूप में, प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को या तो अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है, जो कि:

मांग पर या चुकौती की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना चुकौती योग्य है:

उधारकर्ता का प्रकार	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत
प्रमोटर	शून्य	शून्य
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
संबंधित पक्षकार	शून्य	शून्य

xxxv) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण –

₹ लाख में

हटाई गई कंपनी का नाम	हटाई गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशि	31.3.2023 तक की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशि	हटाई गई कंपनी के साथ यदि कोई संबंध है तो उसका प्रकटीकरण किया जाना चाहिए
	प्रतिभूतियों में निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
	प्राप्तियां	शून्य	शून्य	शून्य
	देय	शून्य	शून्य	शून्य
	अटकी हुई कंपनी द्वारा रखे गए शेयर	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाना है)	शून्य	शून्य	शून्य

xxxvi) वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	अनुपात	मीटर	भाजक	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	% विचरण	कारण
(क)	चालू अनुपात (समय में)	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	0.58	0.15	286.37%	1. 31.03.2024 को भारत सरकार से ₹40 करोड की पूंजी अनुदान प्राप्त करने के परिणामस्वरूप बैंक शेष में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। 2. पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अल्पावधि एफडी (1 वर्ष तक) में ₹31.43 करोड की वृद्धि हुई है।
(ख)	ऋण–इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
(ग)	ऋण चुकौती कवरेज अनुपात (समय में)	ऋण चुकौती के लिए उपलब्ध आय	ऋण चुकौती	शून्य	शून्य	शून्य	
(घ)	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) अनुपात (% में)	कर पश्चात् निवल लाभ	शेयरधारकों की औसत इक्विटी	-2.85%	-3.03%	-5.84%	
(ङ)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंट्री	शून्य	शून्य	शून्य	
(च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत खाता प्राप्य	3,011.26	शून्य	100.00%	किराया/पट्टे पर देने की आय चालू वर्ष से शुरू हुई।
(छ)	व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देयताएं	7.01	8.22	-14.70%	
(ज)	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल बिक्री	कार्यशील पूंजी	-0.04	-0.01	489.34%	चालू वर्ष से किराया/पट्टे पर देने की आय के परिणामस्वरूप निवल बिक्री में वृद्धि हुई।
(झ)	निवल लाभ अनुपात (% में)	कर पश्चात् निवल लाभ	निवल बिक्री	-846.58%	-4713.80%	-82.04%	चालू वर्ष से किराया/पट्टे पर देने की आय के परिणामस्वरूप निवल बिक्री में वृद्धि हुई।
(ञ)	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (% में)	ब्याज और कर पूर्व अर्जन	नियोजित पूंजी	-3.07%	-3.26%	-5.94%	
(ट)	निवेश पर प्रतिलाभ (% में)	निवेश से उत्पन्न आय	औसत निवेशित निधियां	3.92%	5.07%	-22.73%	
टिप्पणी 1. उपरोक्त अनुपातों का प्रकटीकरण कंपनी पर लागू सीमा तक किया गया है, क्योंकि यह ऊर्जा सुरक्षा प्रचालनों को बढाने के लिए भारत सरकार की ओर से संचालन कर रही है।							

xxxvii) परिसंपत्ति की क्षतिग्रस्तता –

इंड एएस 36 "परिसंपत्ति की क्षतिग्रस्तता" के अनुपालन में, कंपनी ने कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, क्षतिग्रस्तता हानि,, यदि कोई हो, के संकेत के लिए वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों की समीक्षा की है। चूंकि क्षतिग्रस्तता का कोई संकेत नहीं है, इसलिए वर्ष के दौरान कोई क्षतिग्रस्तता हानि नहीं देखी गई है।"

xxxviii) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूले जाने पर, तुलन–पत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

xxxix) कंपनी के पास डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई भी दीर्घकालिक संविदा नहीं है, जिसके कारण कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो सकती है।

xl) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना आवश्यक था।

xli) कंपनी ने ओ एंड एम अनुदान के लेखांकन/प्रस्तुति के संबंध में आईसीएआई से विशेषज्ञ सलाहकार राय प्राप्त की है। आईसीएआई से प्राप्त राय के अनुरूप, वर्ष के दौरान कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त ओ एंड एम अनुदान, व्यय की प्रतिपूर्ति और भारत सरकार की ओर से बैंक जमा पर ब्याज आय की प्रस्तुति की पद्धति में परिवर्तन किया है, तथा पिछले वर्ष तक ओ एंड एम व्यय से निवल कटौती दर्शाने के बजाय इसे वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि विवरण के मुखपृष्ठ पर आय और व्यय के रूप में दर्शाया है। प्रस्तुतिकरण में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप "अन्य आय" में ₹14,325.39 लाख की वृद्धि हुई (पिछले वर्ष : ₹14,582.19 लाख), "व्यय" में ₹14,325.39 लाख की वृद्धि हुई (पिछले वर्ष : ₹14,582.19 लाख) जिससे प्रस्तुतिकरण पद्धति में परिवर्तन के कारण कंपनी के लाभ और हानि विवरण पर निवल प्रभाव ₹ शून्य (पिछले वर्षः ₹ शून्य) रहा।

xlii) कंपनी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से ₹ 5000.46 लाख की राशि एचसीसी मध्यस्थता मामले, पादुर के मामले में मध्यस्थता निर्णय के सापेक्ष दायर अपील के लिए रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पास अग्रिम जमा के रूप में जमा कर दी है। यह राशि चरण I के व्यावसायीकरण से आईएसपीआरएल की आय से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस की जानी है।

xliii) हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) बनाम आईएसपीआरएल के मामले में 26 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता निर्णय दिया गया है। कंपनी ने मध्यस्थता निर्णय को स्वीकार कर लिया है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से ओएंडएम अनुदान प्राप्त होने के बाद 11 अक्टूबर, 2022 को उच्च न्यायालय में ₹1887.04 लाख की राशि जमा कर दी है।

xliv) कंपनी ने पादुर में 179.2 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है, जिसमें से 175.92 एकड़ भूमि आईएसपीआरएल के नाम पर पंजीकृत की गई है। कंपनी शेष भूमि को पंजीकृत करने में असमर्थ है क्योंकि यह वन भूमि है और कर्नाटक सरकार द्वारा हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।

xlv) चरण II के लिए जनशक्ति व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ओ एंड एम अनुदान पर प्रभारित दिया गया है।

xlvi) कंपनी ने इंडएएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए पिछले वर्षों की पूर्व अवधि की मदों के समायोजन/सुधार के लिए समग्र आधार पर ₹15 करोड़ की सीमा तय की है।

xlvii) कंपनी की स्थिति को पब्लिक लिमिटेड और सरकारी कंपनी से बदलकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी और तेल उद्योग विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) में संशोधन को शेयरधारकों की मंजूरी के अध्यधीन बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। शेयरधारकों की मंजूरी के बाद एओए में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

xlviii) लाभ और हानि विवरण की टिप्पणी संख्या 29.1 में दर्शाए गए ओ एंड एम व्यय में ₹5.32 करोड़ का माल और सेवा कर (जीएसटी) शामिल है (पिछले वर्ष : ₹2.03 करोड़), जिसके लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) और कर्नाटक (पादुर) राज्यों के लिए आईटीसी का लाभ उठाया गया है। इसके अलावा, चूंकि प्राप्त ओ एंड एम अनुदान में से, किए गए ओ एंड एम व्यय (टिप्पणी 29.1 में) के बराबर राशि को टिप्पणी संख्या 25 के तहत लाभ और हानि विवरण में अन्य आय में लिया गया है, जिसमें वर्ष के दौरान प्राप्त आईटीसी की राशि ₹5.32 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹2.03 करोड़) शामिल है, जिसमें टिप्पणी संख्या 23 में अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत भारत सरकार को देय के रूप में एक संगत क्रेडिट है, लाभ और हानि विवरण पर इसका निवल प्रभाव शून्य (पिछले वर्ष : शून्य) है।

xlix) वर्ष के अंत में अबिलीकृत राजस्व पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की देयता का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, इस उपार्जित अबिलीकृत राजस्व पर जीएसटी की देयता बिलिंग के समय ही देय हो जाती है (अर्थात अगले वित्तीय वर्ष में)। इसके अलावा, प्रबंधन की राय में जीएसटी के इस गैर प्रावधान का वर्ष के लाभ/हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस तरह के उपार्जित अबिलीकृत राजस्व का उसी वर्ष में विधिवत लेखांकन किया गया है।

l) क. बाला गांव (चेनेज ~2 किमी) के पास भूस्खलन के कारण आईएसपीआरएल के आरओयू क्षेत्र में लगभग 100 मीटर लंबाई में 42" कच्ची पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ था, जिसके लिए आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक एहतियाती कार्रवाई की गई थी। घटना की सूचना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 07 जुलाई 2023 को दे दी गई है। आपातकालीन एहतियाती कार्रवाई के लिए ₹6.45 करोड़ (लगभग) के व्यय की सूचना बीमा गारंटीकर्ता को 27 जून, 2024 के ई–मेल के माध्यम से दी गई है। अंतिम दावा सर्वेयर को प्रस्तुत किया जाना बाकी है।

ख. बाला (चेनज 2) के पास उपरोक्त बहाल आरओयू (42" पाइपलाइन) क्षेत्र 27 जून, 2024 की सुबह भारी बारिश के कारण फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 01 जुलाई, 2024 को दे दी गई है।"

li) कर्नाटक के मैंगलोर और पादुर में कच्चे तेल के भंडारण के लिए सिविल भूमिगत रॉक कैवर्न के संविदा के लिए मेसर्स एसकेईसी–केसीटी संयुक्त उद्यम के मध्यस्थता निर्णय मामलों के सापेक्ष कंपनी द्वारा दायर ओएमपी संख्या–217/2022 और 238/2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 22.05.2024 का निर्णय प्राप्त हुआ है। आदेश के अनुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एलडी मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप न करने का उल्लेख किया। तदनुसार, मैसर्स एसकेईसी–केसीटी जेवी को देय ₹117.22 करोड़ (31.03.2024 तक ब्याज सहित) को टिप्पणी संख्या 23 (अन्य चालू देयता) में 'कानूनी निर्णय के सापेक्ष एसकेईसी–केसीटीजेवी को देय' के रूप में दर्शाया गया है, तथा संबंधित राशि को टिप्पणी संख्या 11 (अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां) में 'एसकेईसी–केसीटी जेवी मामले के लिए भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्य' के रूप में दर्शाया गया है।

lii) पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है तथा आंकड़ों को लाख के निकटतम पूर्णांक में रखा गया है।

liii) इन वित्तीय विवरणों को 16 जुलाई, 2024 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

प्रसाद आज़ाद एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001009N

हस्ता./-
(के.एम. आज़ाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
(लखपत राय जैन)
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
(दीपक कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(शिल्पी गोहंती)
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

टिप्पणी संख्या 1: महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

कॉर्पोरेट संबंधी जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

1. कॉर्पोरेट संबंधी जानकारी

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल द्वारा अपनी सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी की सम्पूर्ण शेयरधारिता 9 मई, 2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड ("ओआईडीबी") और उसके नामितों द्वारा अपने अधीन ले ली गई।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (कंपनी), ओआईडीबी की एक असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड, नई दिल्ली –110001 में स्थित है और प्रचालनात्मक/कार्यात्मक कार्यालय – ओआईडीबी भवन, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर – 73, नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

1. भारत सरकार के कच्चे तेल के मुख्य महत्वपूर्ण सॉवरेन रिजर्व या भारत सरकार द्वारा तय किए गए किसी अन्य निकाय के कच्चे तेल का भंडारण करना, जो निम्नलिखित के अध्यधीन और अनुपालन में होगा :

   कैवर्न्स से कच्चे तेल के महत्वपूर्ण प्रमुख भंडारों को निकालना और उनकी पुनःपूर्ति सरकार द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से की जाएगी। बशर्ते कि भारत सरकार के कच्चे तेल के महत्वपूर्ण प्रमुख भंडारों को गुणवत्ता की आवश्यकता या मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कच्चे तेल के संचलन के लिए भी निकाला जा सकता है।

2. भारतीय या विदेशी कंपनियों को कैवर्न्स की कुल तेल भंडारण क्षमता का 30% पट्टे/किराए पर देना, इस शर्त के साथ कि किसी भी आपात स्थिति में, कैवर्न्स में संग्रहीत पूरे कच्चे तेल पर पहला अधिकार भारत सरकार का होगा।

3. कैवर्न्स की कुल तेल भंडारण क्षमता का 20% भारतीय कंपनियों को विक्रय करना/खरीदना।

4. भंडारण, हैंडलिंग, शोधन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाता, दलाल और अभिकर्ता, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनर, संविदा व्हारफिंगर, गोदामपाल, उत्पादक, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार के तरल और उनके यौगिक, डेरिवेटिव, मिश्रण, तैयार और उत्पादों के डीलरों का व्यवसाय करना।

1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करते हुए चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं। कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए ऐतिहासिक लागत आधार अपनाया है। ऐतिहासिक लागत आम तौर पर संबंधित लेनदेन की तारीख पर माल और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

लेखांकन नीतियों को सतत रूप से लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के, जहां किसी नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता हो।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की प्रस्तुतिकरण और कार्यात्मक मुद्रा है और अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, सभी मूल्यों को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

सॉवरेन क्रूड ऑयल के लिए इंड एस 115 के अनुप्रयोग के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा लिया गया निर्णय;

कंपनी भारत सरकार की ओर से सॉवरेन क्रूड ऑयल खरीद रही है, उसका भंडारण कर रही है और उसकी बिक्री कर रही है। खरीदार को हस्तांतरित किए जाने से पहले कंपनी के पास क्रूड ऑयल पर स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता है और कंपनी

भारतीय लेखांकन मानक 115 के तहत लेखांकन के उद्देश्य से सॉवरेन क्रूड ऑयल के संबंध में केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही है, न कि प्रधान के रूप में और कंपनी का प्रदर्शन दायित्व भारत सरकार की ओर से सॉवरेन क्रूड ऑयल की खरीद, भंडारण और बिक्री का प्रबंधन करना है, न कि अपनी ओर से सॉवरेन क्रूड ऑयल खरीदना, भंडारण करना और विक्रय करना।

तदनुसार, कंपनी द्वारा अपने लेखाओं में सॉवरेन क्रूड ऑयल को "इन्वेंट्री" के रूप में मान्य नहीं किया गया है और सॉवरेन क्रूड ऑयल की बिक्री को कंपनी के लाभ और हानि विवरण में राजस्व के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदनुसार, कंपनी अपने लाभ और हानि विवरण में सॉवरेन क्रूड ऑयल की खरीद/बिक्री की वस्तुओं की लागत को मान्य नहीं कर रही है और कंपनी के कैवर्न में खरीदे गए, बेचे गए और संग्रहीत सॉवरेन क्रूड ऑयल की मात्रा का प्रकटीकरण केवल टिप्पणी संख्या 40(ii) में लेखा संबंधी टिप्पणियों में दिया गया है।

1.2 चालू और गैर–चालू संबंधी

कंपनी तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:-

- इसके सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो;
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो; या
- यह नकदी या नकदी समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह तक विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न लगाया गया हो।

कंपनी अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

देयता तब चालू–देयता होती है जब :

- इसके सामान्य प्रचालन चक्र में निपटाए जाने की उम्मीद हो;
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाया जाना हो; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई शर्तरहित अधिकार न हो। कंपनी अन्य सभी देयताओं को गैर–चालू देयता के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर–चालू परिसंपत्तियों और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन चक्र, प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी एवं नकदी समतुल्य में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है।

कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू और गैर–चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपना सामान्य प्रचालन चक्र बारह माह निर्धारित किया है।

1.3 राजस्व को मान्य करना

राजस्व का मापन

ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब माल का नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है या ग्राहक को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो उस राशि को दर्शाती है, जिसकी कंपनी उन माल या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो कि ग्राहकों के साथ संविदा के अनुसार छूट, प्रोत्साहन योजनाओं, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया गया प्रतिफल होता है। सरकार की ओर से ग्राहकों से एकत्र किए गए करों को राजस्व नहीं माना जाता है।

उत्पादों की बिक्री

उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण, आम तौर पर उत्पादों की डिलीवरी पर ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है। कंपनी इस बात पर विचार करती है कि क्या संविदा में ऐसे अन्य वादे हैं जो अलग–अलग प्रदर्शन दायित्व हैं जिनके लिए लेनदेन मूल्य का एक हिस्सा आवंटित किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए, माल ढुलाई और प्रोत्साहन योजनाएँ)। उत्पादों की बिक्री के लिए लेनदेन मूल्य निर्धारित करने में, कंपनी परिवर्तनशील प्रतिफल और ग्राहक को देय प्रतिफल (यदि कोई हो) के प्रभावों पर विचार करती है।

सीआईएफ (लागत बीमा भाड़ा) संविदाओं के लिए, राजस्व तब मान्य किया जाता है जब माल अंतिम गंतव्य पर पहुंच जाता है। एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) संविदाओं के लिए, राजस्व तब मान्य किया जाता है जब कंपनी माल को एक स्वतंत्र वाहक को सौंपती है।

प्रचालन सेवाओं से राजस्व

प्रचालन सेवाओं से राजस्व को वादा की गई सेवाओं के नियंत्रण को ग्राहकों को हस्तांतरित करने पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि पर मान्य किया जाता है, जो उस राशि को दर्शाता है जो कंपनी को उन सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है, जिनमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियाँ शामिल नहीं हैं (उदाहरण के लिए सरकार की ओर से एकत्र किए गए कर और शुल्क)। आम तौर पर निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर विचार किया जाता है और प्राप्य को तब मान्य किया जाता है जब यह शर्तरहित हो जाता है।

कैवर्न्स से प्राप्त पट्टे/किराये की आय को उपार्जन आधार पर आय के रूप में मान्य किया जाता है।

अन्य अर्जन

लाभांश, अन्य आय और बीमा दावों सहित अन्य दावों का लेखांकन तब किया जाता है जब अंतिम वसूली की लगभग निश्चितता हो।

ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके उपार्जन आधार पर मान्य किया जाता है।

1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति :

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में अधिग्रहण की लागत और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनके इच्छित उपयोग के लिए प्रचालन स्थिति में लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत शामिल है।

ii) अमूर्त परिसंपत्ति को तब मान्य किया जाता है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से होने वाला भावी आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन घटाकर दर्शाया जाता है।

iii) **पूंजीगत कार्य–प्रगति पर :**

पूंजीगत कार्य–प्रगति पर लागत पर मान्य किया जाता है। राजस्व व्यय विशेष रूप से परियोजनाओं के लिए प्रभार्य होता है और निर्माण अवधि के दौरान किए गए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

1.5 मूल्यह्रास/परिशोधन

i) मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी–अवधि के अनुसार ऋजु रेखा पद्धति पर किया जाता है, भूमिगत कैवर्न्स को छोड़कर जिसकी उपयोगी–अवधि स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर 60 वर्ष मानी गई है।

ii) ₹5,000/– तक की व्यक्तिगत लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को पूंजीकृत नहीं किया जा रहा है और अधिग्रहण के वर्ष में राजस्व व्यय/ओ एंड एम व्यय का प्रत्यक्ष हिस्सा बनती है।

iii) अनिश्चित उपयोगी–अवधि वाली उपयोग के अधिकार (आरओयू) का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन नकदी–उत्पादक इकाई स्तर पर हर वर्ष हानि के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। अनिश्चित उपयोगी–अवधि के मूल्यांकन की हर वर्ष समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अनिश्चित उपयोगी–अवधि निरंतर समर्थनीय है या नहीं। यदि नहीं, तो अनिश्चित से परिमित तक उपयोगी–अवधि में परिवर्तन भावी आधार पर किया जाता है।

iv) निश्चित उपयोगी–अवधि के साथ उपयोग का अधिकार (आरओयू) पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

1.6 परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

प्रबंधन समय–समय पर बाहरी और आंतरिक स्रोतों का उपयोग करके यह आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षतिग्रस्तता तब होती है जब वहन मूल्य परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके अंतिम निपटान से उत्पन्न होने वाले भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से अधिक होता है। क्षतिग्रस्तता हानि को लाभ और हानि के विवरण में इस सीमा तक मान्य किया जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, होती है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जिसे कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो कि धनराशि के समय मूल्य और परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

1.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i) कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

ii) विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को प्रारंभ में लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

iii) विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्राओं की समापन विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iv) गैर–मौद्रिक मदें जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापा जाता है, उन्हें लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

v) संपरिवर्तन या निपटान के समय विनिमय दरों में अंतर के कारण होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में लेखांकित किया जाता है।

1.8 वित्तीय लिखत

i) वित्तीय परिसंपत्तियां

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

ii) वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

iii) विमान्य करना

वित्तीय परिसंपत्ति तब विमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, या वित्तीय परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर और ऐसे हस्तांतरण विमान्य करने के लिए योग्य हो जाते हैं। वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का उन्मोचन कर दिया जाता है या यह समाप्त हो जाता है।

1.9 आय पर कर

आयकर में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को विवेकपूर्ण प्रतिफल के अध्यधीन समय–अंतर के भावी कर परिणामों के लिए मान्य जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके सापेक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

1.10 अनुदान

सरकारी अनुदान को तब मान्य किया जाता है जब यह उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा तथा सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

आय से संबंधित अनुदान (राजस्व अनुदान)

राजस्व अनुदान को लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्य किया जाता है जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्य करती है, जिसके लिए अनुदानों का उद्देश्य क्षतिपूर्ति करना होता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान (पूंजी अनुदान)

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों और पट्टे पर भूमि से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाइ जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे आमतौर पर अवधि के दौरान लाभ या हानि के विवरण में "अन्य आय" और उस अनुपात, जिसमें मूल्यह्रास/परिशोधन लगाया जाता है, के रूप में मान्य किया जाता है।

गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाइ जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे आमतौर पर लाभ या हानि के विवरण में उस अवधि के दौरान "अन्य आय" के रूप में मान्य किया जाता है, जो अनुदान की शर्तों, जैसे कि पूंजी अनुदान से प्राप्त भूमि पर बनाई गई कैवर्न्स के उपयोगी–अवधि के दौरान, के तहत दायित्वों को पूरा करने की लागत को वहन करती है।

शेयरधारकों से अनुदान

शेयरधारकों से प्राप्त राजस्व अनुदान को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्य किया जाता है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्य करती है, जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का आशय होता है।

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों और पट्टे पर भूमि से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाइ जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे आमतौर पर अवधि के दौरान लाभ या हानि के विवरण में "अन्य आय" और उस अनुपात, जिसमें मूल्यह्रास/परिशोधन लगाया जाता है, के रूप में मान्य किया जाता है।

गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाइ जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आमतौर पर लाभ या हानि के विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्य किया जाता है, जो अनुदान की शर्तों के तहत दायित्वों को पूरा करने की लागत वहन करती है।

अन्य अनुदान

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए वित्तीय सहायता या तो पूंजी अनुदान या प्रचालन राजस्व अनुदान के रूप में हो सकती है, जो परियोजना के वित्तीय समर्थन के लिए योजना पर निर्भर करता है। वीजीएफ को योजना के अनुसार लेखा बहियों में राजस्व या पूंजी के रूप में मान्य किया जाता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है।

किसी भी ब्याज छूट योजना के तहत मिलने वाला लाभ पूंजीगत व्यय या राजस्व व्यय के लिए ऋण हो सकता है। इसे निधि के उपयोग के अनुसार लेखा बहियों में राजस्व या पूंजी के रूप में मान्य किया जाएगा।

1.11 पट्टे

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार पट्टेदारों को पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करना होता है, जिसे पट्टे का विस्तार करने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसे विकल्प का उपयोग यथोचित रूप से निश्चित है। कंपनी पट्टा–दर–पट्टा आधार पर अपेक्षित पट्टे की अवधि का आकलन करती है और इस प्रकार यह आकलन करती है कि क्या यह यथोचित रूप से निश्चित है कि संविदा विस्तार करने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। भावी अवधि में पट्टे की अवधि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टे की अवधि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाती है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

क) कंपनी पट्टा आरंभ तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता को मान्य करती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक राशि शामिल होती है, जिसे आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान में कोई भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने और हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस स्थान पर वह स्थित है उसे पुनर्स्थापित करने की लागत के अनुमान के जोड़कर और प्राप्त किए गए किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटा कर समायोजित किया जाता है।

ख) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास ऋजु रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की उपयोगी–अवधि की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति तक किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी–अवधि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण समतुल्य ही निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को समय–समय पर क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, द्वारा कम किया जाता है और पट्टे की देयता के कुछ पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

ग) पट्टा देयता को शुरू में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो आरंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, पट्टा में निहित ब्याज दर या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। आम तौर पर, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करती है।

घ) पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- निश्चित भुगतान, जिसमें सारभूत निश्चित भुगतान भी शामिल है;
- परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, जिन्हें प्रारंभ तिथि के सूचकांक या दर का उपयोग करके मापा जाता है;
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के अंतर्गत देय होने वाली अपेक्षित राशियाँ; और
- क्रय विकल्प के तहत प्रयोग मूल्य, जिसका प्रयोग करने के लिए कंपनी यथोचित रूप से निश्चित है, वैकल्पिक नवीकरण अवधि में पट्टा भुगतान, यदि कंपनी विस्तार विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है, तथा पट्टे की समयपूर्व समाप्ति के लिए शास्ति, जब तक कि कंपनी समयपूर्व समाप्ति न करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित न हो।

ङ) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसके बाद इसे फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भावी पट्टा भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के कंपनी के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि वह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

च) जब पट्टा देयता को इस तरीके से पुनः मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में संगत समायोजन किया जाता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि शून्य हो गई है, तो उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी ने 12 माह तक की पट्टा अवधि वाली रियल एस्टेट संपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टे देयताओं को मान्य न करने का चयन किया है। कंपनी पट्टे की अवधि पर एक ऋजु–रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में इन पट्टों से जुड़े पट्टे भुगतान को मान्य करती देती है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टादाता है, उन्हें इंड एएस के अनुसार वित्त या प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टा के लिए, किराये की आय को पट्टा की सहमत शर्तों के अनुसार मान्य किया जाता है। एक पट्टादाता शुरू में भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य और पट्टादाता को मिलने वाले किसी भी अगारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य पर एक वित्त पट्टा प्राप्य को मापता है। पट्टादाता इन राशियों को पट्टा में निहित दर या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट देता है। आम तौर पर, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करती है।

1.12 कर्मचारी हितलाभ

- **अल्पकालिक दायित्व**

  वेतन और मजदूरी के लिए देयताएं, जिनमें गैर–मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं, जिनका भुगतान उस अवधि के अंत के बाद प्रचालन चक्र के भीतर किया जाना अपेक्षित है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तथा उनका भुगतान किए जाने की अपेक्षित छूट रहित राशि पर मापन किया जाता है।

- **परिभाषित अंशदान योजनाएँ**

  वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) कोष में कंपनी द्वारा भुगतान/देय अंशदान को 'ओ एंड एम व्यय' के अंतर्गत भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वसूली योग्य/वसूल किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के रूप में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्य किया गया है।

- **परिभाषित हितलाभ योजनाएँ**

  ग्रेच्युटी के संबंध में मान्य दायित्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना वार्षिक रूप से बीमांकिक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके की जाती है। बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (निवल ब्याज को छोड़कर) को शामिल करते हुए पुनर्मापन को 'ओ एंड एम व्यय' के तहत भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वसूली योग्य/वसूल किए गए संचालन और अनुरक्षण व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

- **छुट्टी नकदीकरण और क्षतिपूरित अनुपस्थिति**

  छुट्टी नकदीकरण और क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए देयताएं, जिन्हें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के अंत के बाद प्रचालन चक्र के भीतर पूरी तरह से निपटाने की उम्मीद न है, को वार्षिक रूप से एक्चुअरी द्वारा अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किए जाने की उम्मीद होती है। बीमांकिक लाभ और हानि को भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वसूली योग्य/वसूल किए गए संचालन और अनुरक्षण व्यय, जब भी किए जाते हैं, के रूप में मान्य किया जाता है।

1.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस–37)

कंपनी प्रावधान को तब मान्य करती है जब विगत घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और इस बात की अधिक संभावना होती है कि ऐसे दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह होगा और ऐसे दायित्व की राशि का विश्वसनीय

रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और वर्ष के अंत में दायित्व की राशि के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण उन संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है जो विगत घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल भावी घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसे वर्तमान दायित्वों के लिए भी किया जाता है जिनके संबंध में यह संभावना नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जहां संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रकटीकरण या प्रावधान नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है तथा उनका प्रकटीकरण तब किया जाता है, जहां आर्थिक लाभ के प्राप्त होने की संभावित होती है।

1.14 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के निवल लाभ या हानि को, उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के प्रयोजन के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या को सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाएगा।

1.15 भंडार

कच्चे तेल के भंडार का मूल्यांकन 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर निर्धारित लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में खरीद की सभी लागतें, संपरिवर्तन की लागत और भंडार को वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में वहन की जाने वाली अन्य लागतें शामिल हैं।

1.16 मुख्यालय व्यय आबंटन

मुख्यालय के व्यय को सभी चालू यूनिटों/साइटों के बीच समान रूप से आबंटित किया जाता है।

1ख: भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) में हालिया संशोधन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 242(ई) के 31 मार्च, 2023 को मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है जो 01 अप्रैल, 2023 से लागू होते हैं। इन अधिसूचित संशोधनों का वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी पर लागू कोई नया मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित नहीं किया है।

Board of Director

Shri Pankaj Jain	**Chairman**	**(w.e.f. 20.01.2022)**
Shri Praveen M. Khanooja	**Director**	**(w.e.f. 17.02.2023)**
Ms. Kamini Chauhan Ratan	**Director**	**(w.e.f. 21.12.2022)**
Ms. Esha Srivastava	**Director**	**(w.e.f. 22.12.2021)**
Ms. Varsha Sinha	**Director**	**(w.e.f. 15.12.2022)**
Shri L. R. Jain	**CEO&MD**	**(w.e.f. 31.10.2022)**

पंकज जैन
सचिव
Pankaj Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110 001
Government of India
Ministry of Petroleum and Natural Gas
Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001
Tel. : 011-23383501, 011-23383562
Fax : 011-23070723
E-mail : sec.png@nic.in

November 28, 2024

I present the Annual Report of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) for the financial year 2023-24 on behalf of the Board of Directors.

ISPRL was created with the mandate of safeguarding the nation's energy needs against unforeseen disruptions. With the Government of India's unwavering support and the trust of our stakeholders, ISPRL has consistently evolved into a dynamic organization.

The existing robust infrastructure under phase-I, comprising 5.33 MMT of crude oil storage capacity across three strategic locations: Visakhapatnam, Mangalore, and Padur has strengthened India's emergency response capability.

With the Cabinet's approval in 2021 for partial commercialization, ISPRL has entered a new era of transformation. I am delighted to announce a significant milestone in this journey—an agreement with HPCL for leasing 300 TMT of cavern capacity at Visakhapatnam. Revenue realization from this commercial endeavour commenced on January 19, 2024, marking a historic achievement for the organization.

Our international collaborations continue to reinforce ISPRL's stature as a trusted global partner. The agreement with ADNOC, signed in 2018 for filling Cavern-A at Mangalore, has been further strengthened by a notification from DGFT allowing the re-export of ADNOC crude stored at Mangalore. This development reflects the mutual confidence and shared vision between ISPRL and its international partners.

In pursuit of enhancing our strategic reserves under Phase-II, ISPRL issued a Request for Proposal (RFP) on February 21, 2024, for the development of 2.5 MMT capacity at Padur, Karnataka, on a DBFOT basis through the PPP model. Land acquisition for this project is in its advanced stages, while proactive engagement with the Government of Odisha is underway for land allocation at Chandikhol, where feasibility studies have already been completed. Additionally, to further expand the reserves, ISPRL has completed feasibility studies for developing 1.5 MMT capacity SPR at the recently acquired land in the MSEZL area of Mangalore.

-2_

Expanding our vision beyond national boundaries, ISPRL is exploring the establishment of strategic reserves in Oman, a location of immense geopolitical and operational significance. Following the signing of an MoU with OTTCO in June 2023, feasibility studies are now underway, reflecting our aspiration to integrate global strategic partnerships into our operations.

Operational excellence remains the hallmark of ISPRL. Our unwavering adherence to the highest Health, Safety, and Environment (HSE) standards has ensured zero Loss Time Accidents (LTA) across all our sites. This achievement is a testament to the dedication and vigilance of our exceptional teams spread across Noida, Visakhapatnam, Mangalore, Padur, and Bhubaneswar.

I extend my heartfelt gratitude to our esteemed shareholders, my colleagues on the Board, and all our stakeholders for their continued trust and support. I also express my deep appreciation to the Oil Industry Development Board (OIDB), the Ministry of Petroleum & Natural Gas, and other governmental and state authorities for their invaluable guidance and cooperation.

As ISPRL advances on its journey, we remain steadfast in our commitment to fortify India's energy independence and resilience, ensuring a secure and sustainable future for the nation.

[Pankaj Jain]

CHAIRMAN

SHRI PANKAJ JAIN

Shri Pankaj Jain, serves as Secretary to the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas. He has wide-ranging, extensive experience in governance as well as design and execution of policy across the National and State Governments. This has encompassed the domains of oil and natural gas, financial services (banking and institutional finance), industries, power, information technology, livelihoods and MSMEs.

He has extensive Board experience as Chairman / Director on the Board of companies in the Petroleum and Natural Gas Sector, Banks, Development Finance Institutions, Insurance Companies, Non-Banking Finance Companies, a Guarantee Company and Regulatory/Supervisory Bodies.

DIRECTOR

SHRI PRAVEEN M. KHANOOJA

Shri Praveen M. Khanooja is currently posted as Additional Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas. He is a B.Tech in Chemical Engineering and M. Tech in Management & Systems. He belongs to 1994 batch of Indian Audit & Accounts Service (IA&AS) and has worked in various capacities in Defence Audit, Railways Audit, State Government Accounts & Audit at many field and CAG Headquarters' postings.

He has also conducted Compliance and Performance Audits of FAO, Rome; WIPO, Geneva; WTO, Spain; GFMD, Geneva and UNITAID, Geneva. He has also been a mentor on IT Audit for SAI officers of various Asian countries in Japan, Thailand and Turkey during 2018-2019. He has represented the CAG of India/ Government of India at various bilateral meetings and international conferences in Nepal, Bangladesh, Austria, US, UAE, Poland, Switzerland and France.

He has also earlier served as Director (Finance) for the Department of Revenue and Central Board of Excise & Customs; Expert in the State Audit Institution, Sultanate of Oman, Muscat, Additional DG in the Central Economic Intelligence Bureau and DG of Petroleum Planning & Analysis Cell on various deputation and secondment assignments.

DIRECTOR

MS. KAMINI CHAUHAN RATAN

Ms. Kamini Chauhan Ratan, is an IAS Officer from 1997 batch U.P. Cadre. She is a Commerce Graduate from JDMC as Topper in Delhi University in B. Com (P) Course. She has also done her LLB from Chaudhary Charan Singh University, Meerut and LLM from Bhoj Open University, Bhopal.

She had been Sub Divisional/ Joint Magistrate in Agra, Ayodhya and Lucknow during initial years of service. She has worked as Chief Development Officer in Meerut & initiated several development activities in the District. On Inter-State Cadre deputation, she served MP Govt. and handled Mahila Vitt Evam Vikas Nigam, MP in the capacity of its Managing Director. She has served as Collector & District Magistrate in Sultanpur, Bulandshahr, Saharanpur, Baghpat and Meerut. She has received National Award for the best District Electoral Officer by the Election Commission of India.

She was the HoD in UP Govt. in the capacity of Commissioner, Food Safety & Drug Administration; Inspector General (Registration) & Commissioner of Stamps; Commissioner (Commercial Taxes) and Commissioner (Entertainment Tax).

She has served as Secretary, Department of Women & Child Development, Secretary (Finance) and Secretary (Rural Development) in the State of U.P. She has also assisted the Chief Secretary of U.P. as the Principal Staff Officer.

She has worked as Joint Secretary (Higher Education), Department of Higher Education, Ministry of Education, GoI and has played a key-role in the formulation of National Education Policy, 2020.

She is currently working as Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Petroleum & Natural Gas.

She is also serving as director on the Board of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL).

DIRECTOR

MS. ESHA SRIVASTAVA

Ms. Esha Srivastava, belongs to the Indian Foreign Service Officer of 2004 Batch. She is currently posted as the Joint Secretary of the International Cooperation Division of the Ministry of Petroleum & Natural Gas.

Apart from Ministry of External Affairs of India, she has served in Indian Embassies in Thimphu, Paris, Indian High Commission in Colombo, and Permanent Delegation of India to UNESCO.

Ms. Srivastava, an alumnus of Lady Shri Ram College, New Delhi. She is also a Gold Medalist from Delhi University.

She is married to Shri Kartik Pande, who is also an Indian Foreign Service Officer. She has two kids.

She is also serving as director on the Board of ONGC Videsh Limited (OVL). She is Chairperson in Project Appraisal Committee and member of Corporate Social Responsibility and Sustainability (CSR&S) Committee and Nomination & Remuneration Committee in OVL.

DIRECTOR

MS. VARSHA SINHA

Ms. Varsha Sinha is MA (Pol.Sc.) and also holds PG Diploma in Journalism & Mass Communication, PG Diploma in Public Administration and M. Phil (Social Science).

Before joining the Government of India, she worked as Announcer and Compere in Patna Doordarshan for a period of around four years. Ms. Sinha also holds Nritya Visharad and Nritya Shiromani in Odissi dance.

Ms. Varsha Sinha is an officer of the Central Secretariat Service. During her career of more than two and half decades, she has held various positions in Government of India. She has extensive experience of working in Govt. of India with various departments viz., Department of Health and Family Welfare, Ministry of Culture, Ministry of Commerce (Directorate General of Foreign Trade) and Delhi Development Authority. Before joining OIDB, she was working as Joint Secretary, Department of Personnel and Training, Govt. of India and was handling important work related to the Establishment Officers' Division, the Right to Information Act, the Central Secretariat Service, the Central Information Commission and the Central Administrative Tribunals.

She joined as Secretary, Oil Industry Development Board, Ministry of Petroleum and Natural Gas on 1st December, 2022 and is also serving as Director on the Board of ISPRL, Member of Administrative Council of DGH, Member of Governing Council/Body of PPAC, OISD, CHT and the Scientific Advisory Committee on Hydrocarbons of MoP&NG.

CEO & MD

SHRI L.R. JAIN

Shri L. R. Jain has been the CEO&MD of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) since 31st October, 2022. ISPRL is a special purpose vehicle created by Govt. of India and is wholly owned subsidiary of OIDB, under Ministry of Petroleum & Natural Gas, specially created for constructing and operating Strategic Petroleum Reserves for the country.

He is a Mechanical Engineer from BITS Pilani with MBA (PGEMP) from SPJIMR and is having more than four decades of vast experience in execution of projects, Procurement and Operations of Cross Country Pipelines and POL installations in BPCL, a flagship oil Marketing Company of India.

Prior to his posting as CEO&MD, ISPRL, he was heading the Engineering and Projects (E&P) entity of BPCL's Marketing Division as Executive Director I/C and was responsible for execution of projects including green field LPG bottling plants/ Aviation stations / POL terminals/ Coastal cryogenic facilities / 2G/1G Ethanol refinery across the country.

Mr. Jain also concurrently held the post of the Director of M/s IHB, a joint venture of IOCL, BPCL and HPCL for putting up Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline since 2019 and spearheaded the project, which is progressing well.

Other leadership positions, he held in BPCL include Heading Central Procurement Organizations of BPCL's Marketing Division as Executive Director (CPO), responsible for procurement of about Rs. 8000 Cr. worth Non-Hydrocarbon Goods and Services including Ethanol. He also headed Pipelines division of BPCL, responsible for operating about 3000 K.M. pipeline network of BPCL and execution of various greenfield cross country pipeline projects.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER & MANAGING DIRECTOR

Shri L. R. Jain

COMPANY SECRETARY

Ms. Shilpi Mohanty

STATUTORY AUDITORS

Parsad Azad & Co.
Chartered Accountants

SECRETARIAL AUDITORS

PG & ASSOCIATES,
Company Secretaries

BANKERS

Union Bank of India
M-41, Connaught Circus,
New Delhi-110 001

REGISTERED OFFICE

301, World Trade Centre, 3rd Floor, Babar Road, New Delhi-110 001
Phone No.: 011-23412278

ADMINISTRATIVE OFFICE

OIDB Bhawan, 3rd Floor, Plot No. 2, Sector-73, Noida-201 301, U.P.
Phone No.: 91-120-2594661, Fax No.: 91-120-2594643
Website: www.isprlindia.com
E-mail: isprl@isprlindia.com

Visakhapatnam Project Office
Lovagarden, Behind HSL Fabrication Yard,
Gandhigram Post, Visakhapatnam - 530 005

Mangalore Project Office
Chandrahas Nagar, Kalavar Post,
Bajpe via, Mangaluru-574 142

Padur Project Office
PO: Padur, Via Kaup, Distt. Udupi - 574 106
Karnataka

BOARD'S REPORT

To,
The Shareholders,
Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

The Board of Directors of your Company is pleased to present the 20th Annual Report on the working of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2024, together with the Audited Statement of Accounts and Auditor's Report thereon.

I. FINANCIAL RESULTS

The Highlights of the Financial Results of your Company for the Financial Year ended 31st March, 2024 are as under:

(₹ in lakh)

Sl. No.	Particulars	31st March, 2024	31st March, 2023
1	Gross Fixed Assets (Tangible & Intangible)	3,73,773.71	3,73,759.79
	Less: - Accumulated Depreciation	68,404.72	58,502.71
Net Fixed Assets		**3,05,368.99**	**3,15,257.08**
2	Total Non-Current Assets	27,007.06	29,892.89
3	Total Current Assets	34,798.82	5,113.85
Total Assets (1+2+3)		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**
4	Total Equities including accumulated losses	3,06,967.08	3,15,837.02
5	Total Non-Current Liabilities	582.04	572.08
6	Total Current Liabilities	59,625.75	33,854.72
Total Liabilities (4+5+6)		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**
Items of Profit and Loss Account			
Sl. No.	**Particulars**	**31st March, 2024**	**31st March, 2023**
1	Revenue from operations	1,047.74	205.81
2	Other Income	14,532.98	14,966.21
(A) Total Income (1+2)		**15,580.72**	**15,172.02**
3	Depreciation and Amortization	9,902.36	9,943.14
4	Expenses (excluding Depreciation)	14,548.30	14,930.26
(B) Total Expenses (1+2)		**24,450.66**	**24,873.40**
Net Loss for the period (A-B)		**-8,869.94**	**-9,701.38**
Phase II (Receipts and Expenditure)			
Sl. No.	**Particulars**	**31st March, 2024**	**31st March, 2023**
1	**For Pre-project Activity :-** Total Grant received during the year (on net basis)	298.81	NIL
2	Total Expenditure incurred during the year including provisions for payable	NIL	314.15

Sl. No.	Particulars	31st March, 2024	31st March, 2023
3	**For Purchase of Land :-** Total Grant received during the year (on net basis)	NIL	NIL
4	Total Expenditure incurred during the year including provisions for payable	7,821.29	4.17
Phase-I Extension at Mangalore MSEZ (Receipts and Expenditure)			
Sl. No.	**Particulars**	**31st March, 2024**	**31st March, 2023**
1	**For Purchase of Land:-** Total Grant received during the year (on net basis) including advance for land.	4,000.00	NIL
2	Total Expenditure incurred during the year	**2,069.39**	**200.00**

II. PERFORMANCE OVERVIEW

A. PREAMBLE

Government of India (GoI), in the interest of meeting the strategic objective of the country's energy security, decided on 7th January, 2004 to build Strategic Petroleum Reserves (SPRs) of 5 MMT at three locations and form a Special Purpose Vehicle (SPV) to build and operate the strategic crude oil reserves. As India is heavily dependent on import of crude oil, to support the economic activities for growth and to meet the energy needs of its citizens, these SPRs were envisaged to serve as buffer to deal with any situation of supply chain disruptions, especially due to external reasons. In exceptional circumstances, the buffer stock of crude oil could be used to partially absorb an abnormal spike in the global oil prices.

The SPV, Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) was formed initially as a subsidiary of Indian Oil Corporation Limited, which w.e.f. 09.05.2006, became a wholly owned subsidiary of Oil Industry Development Board (OIDB).

Underground Crude oil storage Rock Cavern view of Padur

The initial Cost of construction of SPR's of 5.03 MMT capacity was funded by OIDB and equivalent amount of equity of ISPRL was transferred to OIDB. Additional cavern of capacity of 0.3 MMT was constructed at Vishakhapatnam which was funded by HPCL. The construction of caverns at Vizag (1.03 + 0.03 MMT), Mangalore (1.5 MMT) and Padur (2.5 MMT) was completed during 2015- 2017. The facilities were commissioned during 2015 to 2018.

Funds for filling of crude (4.28 MMT) in the SPR's were provided by G.O.I. and also giving the grant for annual operations and maintenance (O&M) of the SPR's.

Hon'ble Prime Minister of India dedicated these SPR's to Nation on 10th February, 2019.

B. Agreement with ADNOC

In line with directions of Cabinet committee on Infrastructure (CCI) and CCEA, endeavours were made to explore alternative models for financing the part cost of crude oil to be filled in SPR's. On 25th January, 2017, a Definitive Agreement was signed on Oil storage and management between ISPRL and ADNOC. As per the agreement, ADNOC filled up cavern A of Mangalore with 5.86 million bbls of DAS grade crude oil. ADNOC is required to maintain minimum 50% of storage capacity for strategic use by ISPRL. Remaining 50% storage capacity will be available with ADNOC for commercial use.

DGFT notification has been issued on 23rd March, 2024 allowing re-export of Crude oil from ISPRL Mangalore Cavern-A. As per the notification AMI (ADNOC Marketing International (India) RSC Limited India) is exempted from STE conditions and is allowed to re-export crude oil from their Commercial Stockpile at Mangalore SPR, at their own cost. Subsequently, a side letter agreement was signed with M/S ADNOC to allow re-export to M/S ADNOC

C. Partial Commercialization

Union Cabinet approved the commercialization of ISPRL during a Cabinet meeting held on 8th July, 2021 by allowing ISPRL to undertake partial commercial activities with the crude stored in caverns under Phase-I of SPR program by allowing ISPRL to use 30% of SPR capacity for renting/leasing and 20% of SPR capacity for sale/purchase of crude oil .

As a first step towards partial commercialization, ISPRL has entered into an agreement with HPCL for renting 300 TMT (2.17 Million bbls) Cavern capacity to HPCL w.e.f.19th January, 2024 at Vishakhapatnam. A formal agreement was signed on 7th February, 2024 in the back drop of IEW 2024 at Goa by CEO & MD, ISPRL & ED (IT), HPCL in presence of Addl. Secy. MOPNG, Secy. OIDB, C&MD, HPCL and other seniors officials from ISPRL and HPCL. The leased capacity will be used by HPCL for storage of Basrah Medium Crude oil. In case of an emergency, GOI shall have first right of use of this crude. With this ISPRL has started generating revenue as a first step towards self-reliance.

Signing of Agreement for renting of Cavern A Vizag with HPCL on 07.02.2024 at IEW Goa

D. Operations of SPRs

Your company has taken various initiatives in furtherance of its objectives. The highlights with regards to O&M of SPR's at Vizag, Mangalore and Padur are given below:

i. Visakhapatnam (Storage Capacity: 1.33 MMT)

The Visakhapatnam Cavern was commissioned in 2015. The facility has two compartments Cavern A (1.03 MMT) and Cavern B (0.3 MMT). Cavern A is for Strategic crude oil and is filled by funds made available by the Government of India. HPCL has taken cavern B on proportionate cost sharing basis. This is being regularly used by HPCL for its refinery operations at Visakhapatnam.

No LTA (Loss time accident) was reported this year. 24/7 operations of SPR's were ensured by continuously monitoring and replenishing water curtain levels over the SPR's. Hydrogeological monitoring of boreholes logs across the station was carried to ensure integrity of SPR's. Preventive maintenance activities were conducted as per schedule. Mock drills were conducted by ISPRL with Mutual aid members and Statuatory authorities in order to keep preparedness to handle emergencies. Disaster Control Management Plan (DCMP) mock drill was organized on 2nd February, 2024 in coordination with District authorities and in presence of Deputy Fire Chief Inspector Vishakhapatnam.

ISPRL Vizag received the first consignment of Basrah Medium Crude on 19.01.2024 of HPCL for leasing/ renting of 300 TMT capacity in Cavern A.

Disaster Control Management Mock Drill at ISPRL Vizag

- Organized "Swachhta Pakhwada Special Campaign 3.0"/ Mega Beach Cleaning Activity at Yerada Beach
- Organized "Blood Donation Camp" in association with Indian Red Cross Society inside ISPRL, Vizag Premises.
- ITBP troops providing security at ISPRL Vizag were relocated to township quarters of RINL Vishakhapatnam Steel Plant for accommodation. Earlier they were being accommodation in old college building taken on lease rental basis. This relocation of accommodation has resulted in savings of approximately 50 lakhs in rental payment per year.

Parliamentary Standing Committee on Petroleum & Natural Gas visited on 16.01.2024 chaired by Hon'ble MP Shri Ramesh Bidhuri to ISPRL, Vizag Site. The Committee members visited the ISPRL plant facilities and appreciated the dedicated efforts of ISPRL team.

Parliamentary Standing Committee on Petroleum & Natural Gas visit on 16.01.2024

Parliamentary Standing Committee members at ISPRL Vishakhapatnam

Team ISPRL at Vishakhapatnam

ii. Mangalore (Storage Capacity: 1.5 MMT)

The Mangalore Cavern facility is located in the Mangalore SEZ area. The facility has two caverns of 0.75 MMT capacity each.

Mangalore Cavern B was commissioned in the month of October, 2016. For filling cavern A of Mangalore an Agreement was signed with ADNOC. First VLCC shipment of Crude oil for Mangalore was flagged off from Abu Dhabi on 12th May, 2018 by Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas and received at ISPRL Mangalore on 19th May, 2018.

No LTA (Loss time accident) was reported this year. 24/7 operations of SPR's were ensured by continuously monitoring and replenishing water curtain levels over the SPR's. For ensuring integrity of SPR's regular Hydrogeological monitoring and sampling of water from bore holes was carried. Preventive maintenance activities were conducted as per schedule.

ISPRL team completed restoration of approx. 90 Metre of ROU of 42" Crude pipeline, which was exposed due to heavy rainfall at Mangalore during the monsoon of 2023.

ISPRL Mangalore bagged 2nd place State Level Safety award in the small industries category.

- National safety week Campaign-2024 was conducted from 4th March to 10th March, 2024.
- National Road Safety campaign was observed from 11th to 17th January, 24.

- Awareness competitions like road safety quiz, poster making and defensive driving techniques training was conducted for all staff.

Tree plantation during Environment Day

DCMP Drill at ISPRL Mangalore

iii. Padur (Storage Capacity: 2.5 MMT)

For the Padur project, 179 acres of land was acquired through Karnataka Industrial Area Development Board (KIADB) in Padur village of Udupi District. This is the largest project executed by ISPRL and was commissioned in December, 2018.

During the current year:-

- Padur team successfully completed External Safety Audit (Plant Safety and Electrical Safety) in February, 2024.
- An Electrical Safety Awareness programs for all the plant staff during Electrical Safety Week (June, 26th to July, 2nd 2023) was conducted at ISPRL Padur site.
- Padur team completed the overhauling of two major dewatering motors that were submerged during flooding through in-house resources. The repairs were carried out by in-house O&M Electrical team saving on outsourcing costs.

No LTA (Loss time accident) was reported this year. 24/7 operations of SPR's were ensured by continuously monitoring and replenishing water curtain levels over the SPR's. Hydrogeological and bore holes monitoring was carried to ensure integrity of SPR's. Preventive maintenance activities were conducted as per schedule.

Nitrogen vessels used for maintaining inert atmosphere in Padur Caverns

E. India Energy Week (IEW) 2024, Goa

ISPRL participated in India Energy Week (IEW) held at Goa from 11th to 14th February, 2024. ISPRL for the first time had its own stall in IEW event. Many senior delegates and dignitaries from various Oil Companies and associated Vendors across India and Globe visited ISPRL stall and took interest in understanding the purpose and process of SPRs. A model of SPR was kept in display alongwith virtual three D walkthrough which was much appreciated by the visitors.

Shri Pankaj Jain Secretary MoPNG being received at ISPRL stall IEW 2024, Goa

Ms. Esha Srivastava JS(IC) MoPNG visted ISPRL stall at IEW 2024, Goa

Hon'ble Minister of State Shri Rameshwar Teli at ISPRL stall at IEW 2024 Goa

ISPRL Team at IEW 2024, Goa

F. Visit of Hon'ble Minister of State Shri Rameshwar Teli to ISPRL HO, NOIDA

Model of Crude Oil Cavern being explained to Hon'ble MoS Shri Rameshwar Teli

Yoga Day celebrations at OIDB Building

G. Status of ongoing projects of ISPRL

i. 2.5 MMT STRATEGIC PETROLEUM RESERVES UNDER PHASE II AT PADUR, DISTRICT UDUPI, KARNATAKA

For land acquisition for Padur project, ISPRL submitted requirement of acquiring land to KIADB in Nov 2020. KIADB has issued final gazette notification for 214.79 Acres Padur land on 22nd February, 2023 and the same has been published in press on 24th March, 2023. Total amount of Rs.176 crore has been paid by ISPRL to KIADB for land. KIADB in consultation with DC, Udupi is in the process of Finalization of R&R package and compensation to landowners.

Marine Survey, Modelling & offshore pipeline route survey has been completed for SPM at Padur. DFR job for the SPM at Padur has been completed.

M/s Deloitte Touche has been appointed as Transactional Advisor for RFP preparation and Legal Advisor M/s AZB Partner for preparing concessionaire agreement of Phase II required for PPP model. RFP for Padur Phase II on Public Private Partnership (PPP) mode DBFO basis was floated on 21st February, 2024.

ii. 4.0 MMT STRATEGIC PETROLEUM RESERVES UNDER PHASE II AT CHANDIKHOL, DISTRICT JAJPUR, ODISHA

After completion of DFR studies by EIL, an application by ISPRL for allocation of 400 acres of land at Chandikhol was submitted to Govt of Odisha on 30th September, 2019 for setting up SPR facilities of 4 MMT capacity. The Govt. of Odisha after evaluation of the land application, advised ISPRL to explore possibility of an alternative location near Chandikhol, Odisha.

A joint site visit of EIL & ISPRL senior officials was made on 23rd and 24th May, 2023 to evaluate alternate sites.

ISPRL through M/s Engineers India Limited carried out desktop studies and reviewed satellite images and identified location near Majhiphada Hills near Jajpur. ASI survey has been done for the above location and the report submitted to Govt of Odisha.

iii. Land acquisition at MSEZL for Phase I extension at Mangalore

Delegated Invested Board (DIB) on 17.02.2023 has approved proposal for Acquisition of land (154.9 Acres) by Indian Strategic Petroleum Reserve Limited (ISPRL) from Mangalore Special Economic Zone Limited (MSEZL) for construction of SPR and associated facilities at Mangalore MSEZL. ISPRL has signed an MoU with MSEZL on 17th March, 2023 for plot size of 154.90 Acres land at MSEZL area Mangalore.

EIL has been awarded the job to carry out detail feasibility report for the above site. Topography and Hydrogeological surveys have been completed and data have been collated for DFR for establishing 1.5 to 2 MMT capacity caverns Phase I extension in Mangalore.

iv. PFR/ DFR's for new projects

It is envisaged to carry out DFR studies for construction of Salt Caverns for crude oil storage at Bikaner, PFR for strategic reserves at Bina and PFR for above ground storage tank at Mangalore and Padur. A team of ISPRL and EIL officers visited site for prospective Salt Caverns in February, 2024 near Bikaner.

H. MoU with OTTCO

An MoU has been signed with OTTCO by ISPRL for carrying out Feasibility studies for construction of above ground storage tanks on 25th June, 2023.

III. DIVIDEND

Your Board of Directors does not recommend any Dividend for the Financial Year ended 31st March, 2024.

IV. TRANSFER TO RESERVES

The losses made during the financial year 2023-24 have been transferred to the reserves of the Company for the financial year ended 31st March, 2024.

V. PUBLIC DEPOSITS

The Company has not invited, accepted or renewed any fixed deposit from the public as on 31st March, 2024 and accordingly there is no principal or interest outstanding in respect thereof.

VI. AUDIT COMMITTEE

The Board has constituted the Audit Committee. The Audit Committee comprised of the following Directors as on 31st March, 2024:

1.	Shri Praveen M. Khanooja, AS, MoPNG / Director, ISPRL	:	Chairman
2.	Ms. Kamini Chauhan Ratan, AS&FA, MoPNG / Director, ISPRL	:	Member
3.	Ms. Esha Srivastava, JS (IC), MoPNG / Director, ISPRL	:	Member
4.	Ms. Varsha Sinha, Secretary, OIDB/ Director, ISPRL	:	Member
5.	Shri L. R. Jain, CEO & MD, ISPRL	:	Member

The number and dates of the meetings held during the financial year 2023-24 indicating the number of meetings attended by each director is given at **Annexure-A.**

VII. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) COMMITTEE

The company has a CSR Policy which is available on the website of the Company. The Company has not spent any money on CSR activities during the year as the company has not made any profit during the preceding three financial years. Hence, no CSR committee meeting was held in the FY 2023-24.

The CSR Committee comprised of the following Directors as on 31st March 2024:

1.	Ms. Esha Srivastava, JS (IC), MoP&NG/ Director, ISPRL	: Chairperson
2.	Shri L. R. Jain, CEO & MD, ISPRL	: Member

VIII. ANNUAL RETURN

As per provision of Section 92(3) read with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return of the Company as of March 31, 2024 is placed on its website at https://isprlindia.com/annual-report.asp.

IX. MEETINGS OF THE BOARD

The Board of Directors of the Company met five times in the financial year 2023-24 as per the following details:

1. 21st April, 2023
2. 08th May, 2023
3. 30th June, 2023
4. 26th September, 2023
5. 14th December, 2023

The number and dates of the meetings held during the financial year indicating the number of meetings attended by each director is given at **Annexure-A.**

X. CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS

During the year under review, there have been no changes in the nature of business.

XI. PARTICULARS OF EMPLOYEES

The Company has no employee in respect of whom the Statement under the provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014, is required to be furnished.

XII. DECLARATION BY THE INDEPENDENT DIRECTORS

According to Section 149 of the Companies Act, 2013 read in conjunction with Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014, the Company, being a wholly-owned subsidiary, is not required to appoint Independent Directors. Thus there is no Independent Directors on the Board of the Company during the financial year 2023-24.

XIII. RISK MANAGEMENT

Effective risk management is critical for the continued success of the Company. The Company has a risk management policy to identify risk associated with the Company operations and to take appropriate corrective steps to minimize the risks. The major risks associated with Company are related to crude oil receipt and storage and delivery. These risks are mitigated by adopting standard operating procedures and adequate insurance cover.

XIV. SHARE CAPITAL

During the year, the Company has not issued Equity Share Capital.

XV. KEY MANAGERIAL PERSONNEL

The following were the Whole-time Key Managerial Personnel during the year under review:

a)	CEO & Managing Director	Shri L. R. Jain
b)	Chief Financial Officer	Shri Gopeshwar Kumar Singh (till 14.05.2024)
c)	Chief Financial Officer	Shri Ajay Dashore (from 15.05.2024 till 09.06.2024)
d)	Chief Financial Officer	Shri Deepak Kumar (w.e.f. 10.06.2024)
e)	Company Secretary	Ms. Shilpi Mohanty (w.e.f. 06.06.2023)
f)	Company Secretary	Shri Arun Talwar (till 15.05.2023)

XVI. REMUNERATION

All Directors on the Board of ISPRL are non- executive directors nominated by Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) except for CEO & MD. No remuneration is paid to non-executive director nominated by MoP&NG.

The remuneration paid to CEO & MD is as per the terms & conditions of his employment approved by ISPRL Board and Shareholders in the AGM.

Key positions of the Company are manned by officers on deputation from Oil PSEs, who receive remuneration in line with the policies of their respective parent companies.

In addition, 12 no. Employees have been appointed at Mangalore, whose land was acquired by ISPRL for the project . These employees receive remuneration in line with OIDB policies.

XVII. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS AFFECTING FINANCIAL POSITION BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR AND DATE OF THE REPORT

There are no material changes which have occurred subsequent to the close of financial year of the Company to which the Balance Sheet relates and the date of the report.

XVIII. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

No significant and material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

XIX. SUBSIDIARY/JOINT VENTURES/ASSOCIATE COMPANIES

The Company is not having any Subsidiary/Joint Ventures/Associate Companies under the provisions of the Companies Act, 2013.

XX. AUDITORS

(i) Statutory Audit

The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) had appointed M/s Prasad Azad & Co. Chartered Accountants (DE0029), 1207, Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi- 110001 as Statutory Auditors of the Company, who have submitted their report on the accounts of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2024 **(Annexure-B)**. Following qualified opinion has been provided by statutory auditor in its report: -

"Out of grant received for phase-II, an amount of Rs. 2069.39 lac was paid and utilised during the year for extension of Phase-I towards lease premium for acquisition of land to Mangalore SEZ Limited without approval of competent authority / MoPNG. Due to which the 'Cash and Cash Equivalents' under Financial Assets are lower and 'Other Non- Current Assets' are higher to that extent."

The observations of Statutory Auditors in their report to the Shareholders and the Management's reply on the same is attached as **Annexure-C.**

(ii) Supplementary audit by CAG

Supplementary audit conducted by C&AG under Section 143 (6) (a) of the Companies Act, 2013 of the Financial Statements of the Company for the Financial Year 31st March, 2024. There are no significant observations of C&AG on the Financial Statements **(Annexure-D)**.

(iii) Secretarial Audit

During the year, the Board of the Company had appointed M/s PG & Associates, Company Secretaries, 106, Mahagun Morpheus, E-4, Sector–50, Noida-201301, Uttar Pradesh, as Secretarial Auditors of the Company to carry out Secretarial Audit under the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, for the financial year 2023-24. The Report given by Secretarial Auditors is annexed to this report as **(Annexure-E)**. The Auditors Report to the Shareholders does not contain any qualification.

(iv) Cost Audit

In terms of Section 148 of the Act, the Company is not required to have the audit of its cost records conducted by a Cost Accountant.

XXI. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, RESEARCH AND DEVELOPMENT AND EXPORTS AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The Company has commissioned Visakhapatnam, Mangalore and Padur caverns. As a part of Power Saving and Cost reduction, initiatives were taken for replacing the Plant's Existing CFL/Conventional Lighting with New LED Lighting System in all Building Facilities through in-house O&M Electrical Team (June, 2023-August, 2023).

The Company has foreign currency receipt of INR. 303.71 lakhs during the year. Also, it has NIL foreign exchange utilization for its business activities during the period under review.

XXII. INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements during the period under review.

XXIII. PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE

The Company has a zero-tolerance policy for sexual harassment of women in the workplace. The company has complied with the provisions of 'The Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013.' The Company has constituted the Internal Complaints Committee under this Act. During the year under review, no complaints were received under the said Act.

XXIV. BOARD EVALUATION

The formal annual evaluation of the performance of the Board, its Committees and of individual directors has been carried out as per the Board Performance Evaluation Policy approved by the Board of ISPRL.

XXV. REPORTING OF FRAUDS BY AUDITORS

During the year under review, there have been no instances of fraud reported by Auditors under Section 143 (12) of the Companies Act, 2013.

XXVI. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

There have been no loans/guarantees given or securities provided during FY 2023-24 under the provisions of section 185/186 of companies Act, 2013.

XXVII. RELATED PARTY TRANSACTIONS

During the financial year 2023-24, the related party transaction under the provisions of the Companies Act, 2013 was payment of managerial remuneration to CEO & MD, ISPRL. The transactions with the related party are in the ordinary course of business and are on Arm's Length basis.

XXVIII. COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF SECRETARIAL STANDARDS

The applicable Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India have been duly complied by the Company.

XXIX. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

As required under clause (c) of sub-section (3) Section 134 of the Companies Act, 2013, your Board of Directors of the Company hereby state and confirm:

(a) That in preparation of Annual Accounts for the financial year, the applicable Accounting Standards have been followed along with the proper explanations relating to material departures;

(b) That Directors have selected the accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as on 31st March, 2024 and of the Profit and Loss of the Company for that year;

(c) That Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) That the Directors have prepared the Accounts for the Financial Year ended 31st March, 2024 on a "going concern" basis.

(e) That the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

XXX. BOARD OF DIRECTORS

Your Board of Directors comprises of five part-time Non-Executive Directors and one full-time CEO & MD as on 31st March, 2024, details are given below:

1.	Shri Pankaj Jain (DIN - 00675922)	Secretary, MoPNG – Chairman (w.e.f. 20.01.2022);
2.	Shri Praveen M. Khanooja (DIN - 09746472)	Additional Secretary, MoPNG - Director (appointment w.e.f. 17.02.2023);
3.	Ms. Kamini Chauhan Ratan (DIN - 09831741)	Additional Secretary & Financial Adviser, MoPNG – Director (appointment w.e.f. 21.12.2022);
4.	Ms. Esha Srivastava (DIN - 08504560)	JS (IC), MoPNG – Director (w.e.f. 22.12.2021);
5.	Ms. Varsha Sinha (DIN - 09825811)	Secretary, OIDB - Director (appointment w.e.f. 15.12.2022);
6.	Shri L. R. Jain (DIN - 08505199)	CEO & MD (appointment w.e.f. 31.10.2022).

ACKNOWLEDGEMENT

Your Board of Directors gratefully acknowledges the valuable guidance and support received from the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas and Oil Industry Development Board.

For and on behalf of the Board.

Sd/-
(L. R. Jain)
CEO & MD
(DIN#08505199)

Sd/-
(Esha Srivastava)
Director
(DIN#08504560)

Date: 24.09.2024
Place: New Delhi

Annexure-A

Details of the meeting of the Board Committees and Board and number of meetings attended by the Directors:

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee held four meetings in the financial year 2023-24 as on 23.06.2023, 25.09.2023,14.12.2023 and 21.03.2024.

The Director's attendance at the Audit Committee meeting for the financial year 2023-2024 is as follows:

Sl. No.	Members	Designation	No. of meeting attended in FY 2023-24
1	Shri Praveen M. Khanooja	Chairman	4
2	Ms. Kamini Chauhan Ratan	Member	3
3	Ms. Esha Srivastava	Member	4
4	Ms. Varsha Sinha	Member	3
5	Shri L. R. Jain	Member	4

BOARD OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Company held five meetings in the financial year 2023-24 as per the following details:

1. 21st April, 2023
2. 08th May, 2023
3. 30th June, 2023
4. 26th September, 2023
5. 14th December, 2023

Details of Directors attendance for the Board meetings attended in the FY 2023-24 as follows:

Sl. No.	Name of Directors	Designation	No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2023-24
1.	Shri Pankaj Jain (w.e.f. 20.01.2022)	Chairman	5
2.	Shri Praveen M. Khanooja (w.e.f. 17.02.2023)	Director	5
3.	Ms. Kamini Chauhan Ratan (w.e.f. 21.12.2022)	Director	2
4.	Ms. Esha Srivastava (w.e.f. 22.12.2021)	Director	3
5.	Ms. Varsha Sinha (w.e.f. 15.12.2022)	Director	5
6.	Shri L. R. Jain (w.e.f. 31.10.2022)	CEO & MD	5

Annexure-B

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2024, the Statement of Profit and Loss, the statement of Changes in Equity and the statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards ("the IND AS") specified under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2024, its loss, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

Out of grant received for Phase-II, an amount of Rs. 2069.39 lac was paid and utilised during the year for extension of Phase-I towards lease premium for acquisition of land to Mangalore SEZ Limited without approval of competent authority / MoPNG. Due to which the 'Cash and Cash Equivalents' under Financial Assets are lower and 'Other Non-Current Assets' are higher to that extent.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report.* We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act, and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act, with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, including other comprehensive income, change in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act we are also responsible for expressing

our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the **Annexure - A,** a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

   (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

   (d) *Except for the matter stated in 'Basis for Qualified Opinion' section of our report above,* in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

   (e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2024 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2024 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **Annexure - B.**

(g) Based on the information and explanations provided by the Company, we state that the remuneration paid by the Company to its directors during the year under audit is in accordance with provisions of section 197(16) of the Act.

(h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer Note No. 31.2(A) to the financial statements;

ii. The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses - Refer Note No. 40(xxxix) to the financial statements;

iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company - Refer Note No. 40(xl) to the financial statements.

iv. (a) The Company's Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the Note No. 40(xxx)(A) to the financial statements, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(b) The Company's Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the Note No. 40(xxx)(B) to the financial statements, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(c) Based on the audit procedures performed that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material mis-statement.

v. To the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has not declared or paid any dividend during the year, accordingly the provisions of Rule 11(f) is not applicable.

vi. Based on our examination which included test checks, the Company has used an accounting software for maintaining its books of account [except for items reported in Para 3(i) below in response to directions issued by the Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Act] which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all

relevant transactions recorded in the accounting software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with.

3. As required by Section 143(5) of the Act and as per directions issued by Comptroller and Auditor General of India, we report that:

Sl. No.	Directions	Auditor's Replies
(i)	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	The Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system except Billing for sale of Crude Oil, Pumping charges, Operating Income from ADNOC & MRPL, Sharing of O&M Expenses with HPCL, Income from Leasing / Renting of Caverns and related income, Rock sale, Property Plant & Equipment Records, Leave Records, Payroll, Grant Records, for which there is no implication of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts and no financial implications observed.
(ii)	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts / loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (in case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	There is no case of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan.
(iii)	Whether funds (grant/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government of its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Funds (grant/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government of its agencies are properly accounted for/ utilized as per their terms and conditions, except, out of grant received for Phase-II, an amount of Rs. 2069.39 lac was utilised for extension of Phase-I towards lease premium for acquisition of land paid to Mangalore SEZ Limited without approval of competent authority / MoPNG.

for Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 001009N

Sd/-
(K. M. Azad)
Partner
Membership No. 005125
UDIN: 24005125BKMEVN7716

Place: New Delhi
Date: 16 July, 2024

"Annexure - A" to the Independent Auditors' Report

[Annexure-A referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the Members of **Indian Strategic Petroleum Reserves Limited,** on the financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2024]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us during the course of our audit, we report that:

i) (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.

(B) The Company has maintained proper records showing full particulars of Intangible Assets (ROU for Pipelines).

(b) According to the information and explanations given to us, the Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management in a phased manner through external agency at Mangalore Unit, Padur Unit and at Head Office and internally at Visakhapatnam Unit, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its Property, Plant and Equipment. As per information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.

(c) The title deeds of the immovable properties (Right of Use assets) disclosed in Note No. 2 to the Financial statements are held in the name of the Company ***except in case of below*** *[Refer Note No. 40(xix) to the financial statements]:*

Description of Property	Gross carrying value (Rs. In Lac)	Held in name of	Whether promoter, director or their relative or employee	Period held - indicate range, where appropriate	Reason for not being held in name of company
Right of Use - Land at Mangalore Special Economic Zone (104.73 acres)	8492.50	Lease Agreement entered into between Mangalore SEZ Limited and the Company dated 7th March, 2017 not registered in the name of the Company.	No	Lease from the date of possession of the land to 26th January, 2060. Date of Allotment available in record for 100.02 acres is 23.11.2009 and for 4.71 acres is 11.04.2018. However, document for date of taking of possession is not in Company record.	As informed to us, the Company is following with the Mangalore SEZ Limited for registration of lease deed.

(d) According to the information, explanations and management representations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) during the year.

(e) According to the information, explanations and management representations given to us, no proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at 31st March, 2024 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and Rules made thereunder.

ii) (a) According to the information and explanations given to us, the management has conducted physical verification of Crude Oil inventory held on behalf of Government of India at Cavern B and ADNOC at Cavern A at Mangalore and on behalf of Government of India at Visakhapatnam and Padur at reasonable intervals through independent surveyors. In our opinion, having regard to the nature and location of the Crude, the coverage and procedure of such verification is considered appropriate.

(b) According to the information and explanations given to us, the Company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, at any point of time of the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. Accordingly, the provisions of this clause of the Order are not applicable to the Company.

iii) (a) to (f) According to the information and explanations given to us, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Accordingly, provisions of this clause of the Order are not applicable to the Company.

iv) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, made investments or provided guarantees or security which required compliance of the provisions of section 185 and 186 of the Act. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

v) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits, during the year to which the directives issued by the Reserve Bank of India and provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provision of the Act are applicable.

vi) According to the information and explanations given to us, the Central Government of India has not specified the maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Act. Accordingly, provisions of this clause of the Order are not applicable to the Company.

vii) (a) According to the records of the Company examined and information, explanations and management representations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities. There are no arrears of undisputed outstanding

statutory dues as on the last day of the financial year for a period of more than six months from the date they became payable, ***except as stated below:***

Statement of Arrears of Statutory Dues Outstanding for More Than Six Months

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of the dues	Amount (Rs. In Lac)	Period to which the amount relates	Due Date	Date of Payment	Remarks, if any
1.	Income Tax Act, 1961	Demand on Assessment made U/s 143(3)	70.86	FY 2015-16 (AY 2016-17)	Company Remarks: Company has already paid the demand under Vivad se Vishwas Scheme during the FY 2020-2021, though adjustment is pending by the Tax Department since this amount is appearing as outstanding on the income tax portal.		
2.	Income Tax Act, 1961	Demand on Assessment made U/s 143(3)	31.78	FY 2016-17 (AY 2017-18)	Company Remarks: Company has already paid the demand under Vivad se Vishwas Scheme during the FY 2020-2021, though adjustment is pending by the Tax Department since this amount is appearing as outstanding on the income tax portal.		

(b) According to the information, explanations and management representations given to us, there were no statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income- tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues which have not been deposited on account of any disputes, ***except as stated below:***

Statement of Disputed Dues

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of dues	Amount (Rs. In Lac)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending	Remarks, if any
1.	Andhra Pradesh Minor Mineral Concession Rules 1996	Royalty	11,795.03	Upto 31.03.2018	Directorate of Mines and Geology, Andhra Pradesh	—
2.	Income Tax Act, 1961	Demand on Assessment made U/s 154	0.34	FY 2017-18 (AY 2018-19)	Under appeal with Commissioner of Income Tax (Appeals)	—
3.	Income Tax Act, 1961	Demand on Assessment made U/s 143(3)	257.81	FY 2021-22 (AY 2022-23)	Under appeal with Commissioner of Income Tax (Appeals)	—

4.	Goods and Services Tax Act, 2017	Demand of GST in Form DRC-01	13.90	FY 2017-18 to FY 2018-19	GST Authority	__
5.	Goods and Services Tax Act, 2017	Demand of GST in Form DRC-01	105.25	FY 2019-20 to FY 2022-23	GST Authority	__
6.	Entry Tax in State of Karnataka	Entry Tax in State of Karnataka	74.64	FY 2010-11 and 2011-12	Honb'le High Court of Karnataka	__

viii) As per the information, explanations and management representations given to us, there were no transactions, not recorded in the books of account which have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

ix) (a) According to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loan or other borrowings during the year, as such the Company has not defaulted in the repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our audit procedures, the Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or any other lender.

(c) According to the records of the Company examined and information, explanations and management representations given to us, the Company has not taken any term loans during the year. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(d) According to the information and explanations given to us and the procedures performed by us and on an overall examination of the financial statements of the company, we report that no funds have been raised on short-term basis during the year by the Company. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(e) According to the information and explanations given to us, the Company does not have any subsidiaries, associate or joint ventures. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(f) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised any loans during the year. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

x) (a) According to the information and explanations given to us and as per records examined, the Company has not raised moneys by way of Initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanations given to us and as per records examined, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

xi) (a) During the course of our audit, examination of the books and records of the Company carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India and to the best of our knowledge

& belief and according to the information, explanation and management representations given to us, no fraud by the Company or any fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

(b) No report under sub section (12) of section 143 of the Act in Form ADT-4 has been filed with the Central Government by us.

(c) According to the information, explanations and management representations given to us, there are no whistle blower complaints received during the year by the Company.

xii) (a), (b) & (c). According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

xiii) According to the information, explanations and management representations given to us, transactions with related parties are in compliance with Section 177 and 188 of the Act, where applicable. Details of all related party transactions have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable Indian Accounting Standards [refer Note No. 32 to the financial statements].

xiv) (a) According to the records of the Company examined and information, explanations and management representations given to us, the Company has an internal audit system, *however, its scope needs to be enlarged to make it commensurate with the size and nature of Company's business. Further, we have noted the below noncompliance / discrepancies reported in the Internal Audit Reports:*

(a) No penalty clause in Lease agreement between ISPRL and HPCL for delay in payment of Rental charges resulting impact on cash inflow and loss of potential remedies;

(b) Employee salary for each month are processed based on their attendance for the preceding month;

(c) No HR policy formulated covering (a) Recruitment policy, (b) Attendance policy, (c) Appraisal policy, (d) Separation / Exit policy, (e) Conflict of Interest undertakings;

(d) No entity level controls in respect to (a) Anti-Fraud Policy, (b) Whistle blower policy, (c) Code of ethics, resulting poor tone at the top, management override of controls, poor segregation of duties and overreliance on detective controls than preventive;

(e) Non-compliance of information and Security Policy at Head Office due to use of pen drives for storing, transferring, or accessing company data leads to risk of data loss, theft and malware infections;

(f) No mechanism to restrict tally user to modify, add & delete any accounting entries in any period in tally software;

(g) There is no lock in period in tally which allows employees to modify and delete entries on backdate.

(b) We have considered the internal audit reports of the Company issued till date and made available to us, for the year under audit.

xv) According to the records of the Company examined and information, explanations and management representations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected with its directors and hence provisions of section 192 of the Act are not applicable to the Company.

xvi) (a) According to the information and explanations given to us, the Company is not required to be

registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act,1934. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the records of the Company examined and information, explanations and management representations given to us, the Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(c)&(d) According to the records of the Company examined and information, explanations and management representations given to us, the Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India nor the Group has any CIC as part of the Group. Accordingly, the provisions of these clauses of the Order is not applicable to the Company.

xvii) The Company has not incurred cash losses during the financial year and the immediately preceding financial year.

xviii) There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that the Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts upto the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

xx) (a) & (b) According to the information and explanations given to us, the provisions of Section 135 of the Act for Corporate Social Responsibility are not applicable to the Company during the year. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

xxi) Reporting under this clause of the Order is not applicable to the Company.

for Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 001009N

Sd/-
(K. M. Azad)
Partner
Membership No. 005125
UDIN: 24005125BKMEVN7716

Place: New Delhi
Date: 16 July, 2024

"Annexure - B" to the Independent Auditors' Report of even date on the Financial Statements of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited for the year ended 31st March, 2024

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited ("the Company") as of 31st March, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India" ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143 (10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following control weaknesses have been identified as at 31st March, 2024:

(i) The Company has not raised Tax Invoices within the time prescribed by the statutory authorities;

(ii) There is no policy for sale of assets, granting advances to employees, for employee re-imbursements, write off / write back of old balances;

(iii) Accounting vouchers are signed by the employees of third party payroll (contractor) for which no approval given by the Competent authority;

(iv) MCA/ ROC form DPT-3 for F.Y. 2022-23 not yet filed by the Company;

(v) The Company has more than 10 employees during the year but the Company has not obtained registration under ESIC Act,1948 and not complied with its provisions. Further, the Company has more than 20 employees (including employees through third party contractors) during the year but the Company has not obtained registration under EPF and MP Act,1952 and not complied with its provisions.

(vi) Certain control weaknesses are being reported repeatedly over the years in testing carried out by the Company (through a consultant) which need to be addressed by the Company.

A “material weakness” is a deficiency or a combination of deficiencies in the internal control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of a company’s annual financial statements will not be prevented or detected on timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting with reference to these financial statements and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing and extent of audit test applied in our audit of the 31st March, 2024 financial statements of the Company and these material weaknesses do not affect our opinion on the financial statements of the Company.

for Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm’s Registration Number: 001009N

Sd/-
(K. M. Azad)
Partner
Membership No. 005125
UDIN: 24005125BKMEVN7716

Place: New Delhi
Date: 16 July, 2024

Annexure-C

Management reply to Audit Observations of Statutory Auditor for Financial Year 2023-24

<table>
<tr><th>Auditor Observation No.</th><th>Audit observation</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Out of grant received for Phase-II, an amount of Rs. 2069.39 lac was paid and utilised during the year for extension of Phase-I towards lease premium for acquisition of land to Mangalore SEZ Limited without approval of competent authority / MoP&NG. Due to which the ‘Cash and Cash Equivalents’ under Financial Assets are lower and ‘Other Non-Current Assets’ are higher to that extent.</td></tr>
<tr><td>Management Reply</td><td>Reallocation of funds from the scheme (Construction of caverns under Phase II) to the new scheme “Payment to ISPRL for Land” is in progress at MoP&NG.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>The title deeds of the immovable properties (Right of Use assets) disclosed in Note No. 2 to the Financial statements are held in the name of the Company except in case of below [Refer Note No. 40(xix) to the financial statements]
<table>
<tr><th>Description of Property</th><th>Gross carrying value (Rs. In Lac)</th><th>Held in name of</th><th>Whether promoter, director or their relative or employee</th><th>Period held - indicate range, where appropriate</th><th>Reason for not being held in name of company</th></tr>
<tr><td>Right of Use - Land at Mangalore Special Economic Zone (104.73 acres)</td><td>8492.50</td><td>Lease Agreement entered into between Mangalore SEZ Limited and the Company dated 7th March, 2017 not registered in the name of the Company.</td><td>No</td><td>Lease from the date of possession of the land to 26th January, 2060. Date of Allotment available in record for 100.02 acres is 23.11.2009 and for 4.71 acres is 11.04.2018. However, document for date of taking of possession is not in Company record.</td><td>As informed to us, the Company is following with the Mangalore SEZ Limited for registration of lease deed.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Management Reply</td><td>Vide letter date 06th April, 2023 from Directorate of Industries and Commerce, ISPRL has obtained 100% stamp duty exemption certificate for lease deed registration with MSEZL.

ISPRL has obtained Khata certificate from Bajpe town panchayat. Form 9 and 11 has been obtained from Permude and Bala panchayath, however pending from Jokatte grama panchayat. Same is being expedited.

After receipt of all the documents, lease deed will be registered.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>No penalty clause in Lease agreement between ISPRL and HPCL for delay in payment of Rental charges resulting impact on cash inflow and loss of potential remedies;</td></tr>
</table>

Management Reply	No penalty clause was envisaged in the EOI. Further, delay in payment on account of HPCL is due to their transition to SAP platform. Discussions are in progress with HPCL senior management for ensuring timely payments in future.
4.	**Employee salary for each month are processed based on their attendance for the preceding month;**
Management Reply	ISPRL pays the salary to their employee on last day of the month. Hence, previous months attendance records are considered for payment of salaries. The practice is in line with the industry practice.
5.	**No HR policy formulated covering (a) Recruitment policy, (b) Attendance policy, (c) Appraisal policy, (d) Separation / Exit policy, (e) Conflict of Interest undertakings;**
Management Reply	Draft HR policy of ISPRL is being put up for necessary approvals.
6.	**No entity level controls in respect to (a) Anti-Fraud Policy, (b) Whistle blower policy, (c) Code of ethics, resulting poor tone at the top, management override of controls, poor segregation of duties and overreliance on detective controls than preventive;**
Management Reply	ISPRL, a SPV under OIDB is committed to formulate Governance policies as applicable. We are reviewing in totality the need of various policies and shall be implemented in the current financial year.
7.	**Non-compliance of information and Security Policy at Head Office due to use of pen drives for storing, transferring, or accessing company data leads to risk of data loss, theft and malware infections;**
Management Reply	Company has its IT policy in place. IT policy restricts use of pen drives for storing, transferring, or accessing company data without any proper approval. Steps have been initiated to stop use of pen drive at Head office.
8.	**No mechanism to restrict tally user to modify, add & delete any accounting entries in any period in tally software;**
Management Reply	Company has implemented necessary security feature in tally, where in no user (except with the approval of Admin) can make any modification, deletion in accounting entries.
9.	**There is no lock in period in tally which allows employees to modify and delete entries on backdate.**
Management Reply	Company has implemented necessary security feature in tally, where in back dated entry for only specified period will be allowed to be posted in tally software.
10.	**The Company has not raised Tax Invoices within the time prescribed by the statutory authorities;**
Management Reply	Most of the invoices were raised within prescribed time limits. In future, necessary compliance will be ensured.

11.	**There is no policy for sale of assets, granting advances to employees, for employee re-imbursements, write off / write back of old balances;**
Management Reply	Revise LAM is under finalization which will include these observations. Policy for granting advances to employees has been covered under draft HR policy.
12.	**Accounting vouchers are signed by the employees of third-party payroll (contractor) for which no approval given by the Competent authority;**
Management Reply	Necessary approvals authorizing contract employees to sign accounting voucher, BRS, etc has been obtained.
13.	**MCA/ ROC form DPT-3 for F.Y. 2022-23 not yet filed by the Company;**
Management Reply	DPT-3 is not required to be filed by Government Company. Technically, we are not a Govt Company, so as per good governance practice & compliance, DPT-3 form has been filed upto FY 2021-22 wherein the category of the Company was selected as non-government company and the same was successfully filed. However, for FY 2022-23, the MCA V3 portal reflected an error message that, "category of the Company selected – "Company other than the Government Company in this Form, however, the Company is a Government Company as per MCA records". Two opinions emerged - one opinion was to fill the form as Government Company with a clarification note attached to the form. The other opinion which emerged was to first update the status on MCA portal and thereafter file Form DPT-3 with category of company in consensus with MCA database to avoid non-compliance in any manner that may arise in future. It was thought prudent and as a matter of abundant precaution that ISPRL shall first amend its MOA & AOA and align the Status on the MCA portal and thereafter file the form DPT-3 for the FY 2022-23.
14	**The Company has more than 10 employees during the year but the Company has not obtained registration under ESIC Act, 1948 and not complied with its provisions. Further, the Company has more than 20 employees (including employees through third party contractors) during the year but the Company has not obtained registration under EPF and MP Act, 1952 and not complied with its provisions.**
Management Reply	**ESI:-** Since, the salaries of ISPRL employees are more than threshold limit prescribed in the act, the registration with ESI was not done. Clarification was obtained from Deputy Director ESI on this matter. However, as opined by statutory auditors, steps have been initiated for registering with ESI authority. **PF:-** Since company has less than 20 employees on its roll, provision of PF are not applicable. However, as opined by statutory auditors, steps have been initiated for registering with PF authority.
15	**Certain control weaknesses are being reported repeatedly over the years in testing carried out by the Company (through a consultant) which need to be addressed by the Company.**
Management Reply	Recommendations of IFCOR auditor are being reviewed and shall be implemented as required in current financial year.

Annexure-D

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

The preparation of financial statements of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 16 July 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Sd/-
Biren Dineshchandra Parmar
Director General of Commercial Audit, Mumbai

Place: Mumbai
Date: 20 September 2024

Annexure-E

FORM MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2024

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Indian Strategic Petroleum Reserves Limited
301 World Trade Centre
3rd Floor, Babar Road
New Delhi-110001.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Indian Strategic Petroleum Reserves Limited** (hereinafter called "the Company") bearing **CIN U63023DL2004GOI126973.** Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March, 2024,** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2024 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings: **Not Applicable**

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: **Not Applicable**

(b) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011: **Not Applicable**

(c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992: **Not Applicable**

(d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018: **Not Applicable**

(e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021: **Not Applicable**

(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;

(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021: **Not Applicable**

(h) The Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018: **Not Applicable**

(vi) We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

(vi) Other applicable laws:

i) The Petroleum Act, 1934;

ii) Indian Explosives Act, 1884

iii) Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

(vii) Environmental Laws:

i) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

ii) The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

iii) The Environment (Protection) Act, 1986

iv) Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016

We have relied on the representations made by the Company and its officers for systems and mechanism formed by the Company for compliances under other applicable laws and Regulations to the Company.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

During the year under review, some Board Meetings and Committee Meetings were called at shorter notice, agenda along with detailed notes on agenda were sent at shorter notice and consent was taken from the directors. A system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

As per the minutes maintained by the Company for the Board /Committee meetings all the decisions have been carried out unanimously. The members of the Board have not expressed any dissenting views on any of the agenda items during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the company has not undertaken events/action having a major bearing on the company 's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

For PG & ASSOCIATES
(Company Secretaries)
Unique Code No.: S2004UP073600

Sd/-
CS PREETI GROVER
(Proprietor)
FCS: 5862, CP No.: 6065
Peer Review No.: 772/2020

Place: New Delhi
Date: 22.05.2024

UDIN: F005862F000418868

Annexure-A

To,

The Members,
Indian Strategic Petroleum Reserves Limited
301, World Trade Centre
3rd Floor, Babar Road
New Delhi-110001

Auditor's Responsibility

Based on the audit, our responsibility is to express an opinion on the compliance with the applicable laws and maintenance of records by the Company. We conducted our audit in accordance with the auditing standards CSAS 1 to CSAS 4 ("CSAS") prescribed by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"). These standards require that the auditor complies with statutory and regulatory requirements and plans and performs the audit to obtain reasonable assurance about compliance with applicable laws and maintenance of records.

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the CSAS. Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on the secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company and for which we relied on the report of statutory auditor.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For PG & ASSOCIATES
(Company Secretaries)
Unique Code No.: S2004UP073600

Sd/-
CS PREETI GROVER
(Proprietor)
FCS: 5862, CP No.: 6065
Peer Review No.: 772/2020

Place: New Delhi
Date: 22.05.2024
UDIN: F005862F000418868

ANNUAL ACCOUNTS
2023-24

BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2024

CIN:-U63023DL2004GOI126973

	Particulars	Note No.	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
(I)	**ASSETS**			
	Non-Current Assets			
	(A) Property, Plant and Equipment	2	2,98,218.63	3,08,106.69
	(B) Capital Work in Progress	2.1	-	-
	(C) Other Intangible Assets	3	7,150.36	7,150.39
	(D) Financial Assets			
	(i) Loans	4	-	-
	(ii) Other Financial Assets	5	5,778.69	18,611.77
	(E) Income tax Assets	6	1,161.77	986.50
	(F) Other Non Current Assets	7	20,066.60	10,294.62
	Sub Total		**3,32,376.05**	**3,45,149.97**
(II)	**Current Assets**			
	(A) Financial Assets			
	(i) Trade Receivables	8	69.59	-
	(ii) Cash and cash equivalents	9	10,287.90	1,883.76
	(iii) Bank Balances other than above	10	-	-
	(iv) Other Financial Assets	11	22,255.72	1,432.48
	(B) Other Current Assets	12	2,185.61	1,797.61
	Sub Total		**34,798.82**	**5,113.85**
	Total Assets		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**
(I)	**EQUITY AND LIABILITIES**			
	Equity			
	(A) Equity Share Capital	13	3,79,005.47	3,79,005.47
	(B) Other Equity	14	(72,038.39)	(63,168.45)
	Sub Total		**3,06,967.08**	**3,15,837.02**
(II)	**LIABILITIES**			
	Non Current Liabilities			
	(A) Financial Liabilities			
	(i) Borrowings	-	-	-
	(ia) Lease Liabilities	15	552.31	554.71
	(ii) Other Financial Liabilities	16	22.28	17.37
	(B) Provisions	17	7.45	-
	Sub Total		**582.04**	**572.08**
(III)	**Current Liabilities**			
	(A) Financial Liabilities			
	(i) Borrowings	18	-	-
	(ia) Lease Liabilities	19	4.15	3.77
	(ii) Trade Payables			
	(a) Total outstanding dues to Micro Enterprises and Small Enterprises	20	346.95	204.41
	(b) Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises	20	1,812.49	1,687.20
	(iii) Other Financial Liabilities	21	27,141.04	22,092.40
	(B) Provisions	22	0.87	-
	(C) Other Current Liabilities	23	30,320.25	9,866.94
	Sub Total		**59,625.75**	**33,854.72**
	Total Equity and Liabilities		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**

Material Accounting Policy Information 1
Notes on Accounts 2- 40(liii)
Notes referred above form an integral part of the Financial Statements
As per our report of even date attached

For and on behalf of Board of Directors

For Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 001009N

Sd/-
(K M Azad)
Partner
Membership No. 005125

Place: New Delhi
Date: 16 July, 2024

Sd/-
(Esha Srivastava)
Director
DIN : 08504560

Sd/-
(Deepak Kumar)
CFO

Place: Delhi
Date: 16 July, 2024

Sd/-
(Lakhpat Rai Jain)
CEO & MD
DIN : 08505199

Sd/-
(Shilpi Mohanty)
Company Secretary
ACS-19333

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2024

CIN:-U63023DL2004GOI126973

Particulars	Note No.	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Revenue			
Revenue from Operations	24	1,047.74	205.81
Other Income (Including O&M Grant)	25	14,532.98	14,966.21
Total Income		**15,580.72**	**15,172.02**
Expenses			
Employee Benefits Expense	26	1,254.51	1,230.74
Finance Costs	27	344.93	885.43
Depreciation and Amortization Expenses	28	9,902.36	9,943.14
Other Expenses			
- - Operation & Maintenance (O&M) Expenses	29.1	12,948.46	12,497.86
- - Expenses for Phase II Project	29.2	-	314.15
- - Miscellaneous Expenses	29.3	0.40	2.08
Total Expenses		**24,450.66**	**24,873.40**
Profit / (Loss) Before Tax		**(8,869.94)**	**(9,701.38)**
Tax Expense:			
Current Tax		-	-
Deferred Tax		-	-
Total Tax Expenses		-	-
Profit / (Loss) for the year		**(8,869.94)**	**(9,701.38)**
Other Comprehensive Income		-	-
Total Comprehensive Income for the year (Comprising Profit/ (Loss) and Other Comprehensive Income for the year)		**(8,869.94)**	**(9,701.38)**
Earnings per Equity Share (Par Value of Rs. 10/- each)	30		
(i) Basic		(0.23)	(0.26)
(ii) Diluted		(0.23)	(0.26)

Material Accounting Policy Information 1
Notes on Accounts 2-40(liii)
Notes referred above form an integral part of the Financial Statements
As per our report of even date attached

For and on behalf of Board of Directors

For Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 001009N

Sd/-
(Esha Srivastava)
Director
DIN : 08504560

Sd/-
(Lakhpat Rai Jain)
CEO & MD
DIN : 08505199

Sd/-
(K M Azad)
Partner
Membership No. 005125

Sd/-
(Deepak Kumar)
CFO

Sd/-
(Shilpi Mohanty)
Company Secretary
ACS-19333

Place: New Delhi
Date: 16 July, 2024

Place: Delhi
Date: 16 July, 2024

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2024

CIN:-U63023DL2004GOI126973

Sr. No.	Particulars	₹ in lakhs For the Year Ended 31st March, 2024	₹ in lakhs For the Year Ended 31st March, 2023
(A)	**CASH FLOW STATEMENT FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit / (Loss) Before Taxation	(8,869.94)	(9,701.38)
	Adjustments for :-		
	Depreciation and Amortization Expenses	9,902.36	9,943.14
	Loss on Write Off of Property, Plant & Equipment	0.35	2.08
	Property, Plant & Equipment charged to expense / Decap	-	21.00
	Property, Plant & Equipment charged to Adjustment / Cap	(2.38)	
	Profit on Sale of Property, Plant & Equipment	-	(0.01)
	Finance Cost	344.93	885.43
	Interest Income	(401.36)	(907.86)
	Operating Profit Before Working Capital Changes	**973.96**	**242.40**
	Adjustments for :-		
	(Increase)/ Decrease in Financial & Other Assets	(30,650.36)	3,647.82
	Increase/(Decrease) in Liabilities & Provisions	21,484.20	(12,232.34)
	Net Increase/(Decrease) in Working Capital	**(9,166.16)**	**(8,584.52)**
	Cash Generated from Operations	**(8,192.20)**	**(8,342.12)**
	Direct Taxes Paid (Net of Refunds)	(175.28)	(86.11)
	Total Cash Flow from Operation (A)	**(8,367.48)**	**(8,428.23)**
(B)	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Purchase of Property, Plant and Equipment	(12.28)	(127.86)
	Consideration on sale of Property, Plant & Equipment	-	1.74
	Investment in Fixed Deposits (More than 3 months)	10,248.99	6,844.17
	Interest Received	401.36	907.86
	Net Cash Used in Investing Activities (B)	**10,638.07**	**7,625.91**
(C)	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Proceeds from Grants (Net of Refund) for Phase II from OIDB	298.82	-
	Amortization of Grant from OIDB	-	(314.15)
	Proceeds from Grants from GOI for Land	4,000.00	-
	Finance Cost (Ind AS 116)	(344.93)	(885.43)
	Lease Liabilities (Ind AS 116)	(2.03)	(3.73)
	Net Cash Flow From Financing Activities (C)	**3,951.86**	**(1,203.31)**
(D)	**Net Increase/ (Decrease) in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)**	**6,222.45**	**(2,005.63)**
	Opening Balance of Cash & Cash Equivalents	**248.76**	**2,254.39**
	Closing Balance of Cash & Cash Equivalents	**6,471.21**	**248.76**
	Components of Cash & Cash Equivalents		
	Balance with Banks		
	--In Saving Accounts	5,455.44	197.66
	--In Current Accounts	54.74	51.10
	--In Deposit Accounts		
	-- Fixed Deposits (With Original Maturity upto 3 months)	961.03	-
	--Cash on Hand	-	-
	TOTAL	**6,471.21**	**248.76**

Note:

1. The above Statement of Cash Flows has been prepared under the "Indirect Method" as set out in IND AS 7 on Statement of Cash Flows.

Material Accounting Policy Information 1
Notes on Accounts 2- 40(liii)
Notes referred above form an integral part of the Financial Statements
As per our report of even date attached

For and on behalf of Board of Directors

For Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 001009N

Sd/-
(K M Azad)
Partner
Membership No. 005125

Place: New Delhi
Date: 16 July, 2024

Sd/-
(Esha Srivastava)
Director
DIN : 08504560

Sd/-
(Deepak Kumar)
CFO

Place: Delhi
Date: 16 July, 2024

Sd/-
(Lakhpat Rai Jain)
CEO & MD
DIN : 08505199

Sd/-
(Shilpi Mohanty)
Company Secretary
ACS-19333

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2024

a. Equity share capital

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Balance at the beginning of the reporting period (A) Changes in Equity Share Capital due to prior period errors (B)	3,79,005.47 -	3,79,005.47 -
Reinstated Balance at the Beginning of the reporting period (C) = (A) + (B)	**3,79,005.47**	**3,79,005.47**
Changes in equity share capital during the year (D)	-	-
Balance at the end of the reporting period (E) = (C) + (D)	**3,79,005.47**	**3,79,005.47**

b. Other Equity

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
	Retained earnings	
Balance at the beginning of the reporting period (A) Changes in accounting policy or prior period errors (B)	(63,168.45) -	(53,467.07) -
Reinstated balance at the beginning of the reporting period (C) = (A) + (B)	**(63,168.45)**	**(53,467.07)**
Transferred to Retained Earnings (D) Other comprehensive income for the year (E)	(8,869.94) -	(9,701.38) -
Balance at the end of the reporting period (G) = (C) + (D) + (E)	**(72,038.39)**	**(63,168.45)**

For Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 001009N

Sd/-
(K M Azad)
Partner
Membership No. 005125

Place: New Delhi
Date: 16 July, 2024

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Esha Srivastava)
Director
DIN : 08504560

Sd/-
(Lakhpat Rai Jain)
CEO & MD
DIN : 08505199

Sd/-
(Deepak Kumar)
CFO

Sd/-
(Shilpi Mohanty)
Company Secretary
ACS-19333

Place: Delhi
Date: 16 July, 2024

Notes Forming Part of the Financial Statements

Note No. 2 : Property, Plant and Equipment

₹ in lakhs

Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION / AMORTIZATION				NET BLOCK	
	As at 1st April, 2023	Additions during the year	Disposals/ Deductions/ Transfers / Reclassifications/ Reestimation of Life	As at 31st March 2024	Depreciation upto 31st March, 2023	Depreciation for the year	Disposals/ Deductions/ Transfers / Reclassifications/ Reestimation of Life	Total Depreciation upto 31st March 2024	As at 31st March, 2024	As at 31st March, 2023
(a) Buildings	18,447.51	-	-	18,447.51	2,972.06	511.92	-	3,483.98	14,963.53	15,475.45
(b) Roads & culverts	3,165.30	-	-	3,165.30	2,079.91	178.68	-	2,258.59	906.71	1,085.39
(c) Plant & Machinery	1,26,738.73	1.90	-	1,26,740.63	30,264.74	5,176.87	-	35,441.61	91,299.02	96,473.99
(d) Caverns	2,02,939.31	-	-	2,02,939.31	19,466.32	3,391.59	-	22,857.91	1,80,081.40	1,83,472.99
(e) Furniture and Fixtures	169.23	-	-	169.23	97.78	15.02	-	112.80	56.43	71.45
(f) Transport Vehicles	151.23	-	-	151.23	89.55	13.96	-	103.51	47.72	61.68
(g) Office equipment	474.43	7.06	-	481.49	415.00	13.63	-	428.63	52.86	59.43
(h) Computer	1,253.56	3.32	(0.71)	1,256.17	1,085.80	60.84	(0.35)	1,146.29	109.88	167.76
(i) Right of Use (Ind AS 116)*	13,270.10	2.38	-	13,272.48	2,031.55	539.85	-	2,571.40	10,701.08	11,238.55
Total	**3,66,609.40**	**14.66**	**(0.71)**	**3,66,623.35**	**58,502.71**	**9,902.36**	**(0.35)**	**68,404.72**	**2,98,218.63**	**3,08,106.69**

Previous Year

₹ in lakhs

Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION / AMORTIZATION				NET BLOCK	
	As at 1st April, 2022	Additions during the year	Disposals/ Deductions/ Transfers / Reclassifications/ Reestimation of Life	As at 31st March, 2023	Depreciation upto 31st March, 2022	Depreciation for the year	Disposals/ Deductions/ Transfers / Reclassifications/ Reestimation of Life	Total Depreciation upto 31st March, 2023	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
(a) Buildings	18,447.51	-	-	18,447.51	2,460.10	511.96	-	2,972.06	15,475.45	15,987.41
(b) Roads & culverts	3,165.30	-	-	3,165.30	1,855.40	224.51	-	2,079.91	1,085.39	1,309.90
(c) Plant & Machinery	1,26,754.35	-	(15.62)	1,26,738.73	24,999.61	5,275.03	(9.90)	30,264.74	96,473.99	1,01,754.74
(d) Caverns	2,02,919.61	19.70	-	2,02,939.31	16,087.84	3,378.48	-	19,466.32	1,83,472.99	1,86,831.77
(e) Furniture and Fixtures	167.80	1.43	-	169.23	81.82	15.96	-	97.78	71.45	85.98
(f) Transport Vehicles	131.41	19.82	-	151.23	73.29	16.26	-	89.55	61.68	58.12
(g) Office equipment	456.78	26.09	(8.44)	474.43	402.67	9.03	3.30	415.00	59.43	54.11
(h) Computer	1,255.65	11.38	(13.47)	1,253.56	1,012.35	79.53	(6.08)	1,085.80	167.76	243.30
(i) Right of Use (Ind AS 116)*	13,270.10	-	-	13,270.10	1,599.17	432.38	-	2,031.55	11,238.55	11,670.93
Total	**3,66,568.51**	**78.42**	**(37.53)**	**3,66,609.40**	**48,572.25**	**9,943.14**	**(12.68)**	**58,502.71**	**3,08,106.69**	**3,17,996.26**

*Refer Note No. 31.1 and Accounting Policy No. 1.11

Notes Forming Part of the Financial Statements

Note No. 2.1: Capital Work in Progress

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
	-	-
TOTAL	-	-

Note No. 3: Other Intangible assets

Intangible Assets (ROU for Pipeline)

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Gross Block as on beginning of the year	7,150.39	7,100.95
Addition/Transfer from other assets during the year	(0.03)	49.44
Disposal/Deductions/Transfer/Reclassification	-	-
Gross Block as at end of the year	**7,150.36**	**7,150.39**
Amortization as at beginning of the year	-	-
Amortization during the year	-	-
Disposal/Deductions/Transfer/Reclassification	-	-
Amortization as at end of the year	**-**	**-**
Net Block	**7,150.36**	**7,150.39**
Note: ROU for pipeline are acquired on perpetual basis, hence no amortization is being done.		

Note No. 4: Loans

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
	-	-
TOTAL	-	-

Note No. 5: Other Financial Assets

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Security Deposits	701.30	689.80
Recoverable from Entry Tax, Karnataka (against BG Encashment)	74.64	74.64
Fixed Deposits (With Original Maturity more than one year)*		
[Includes accrued interest of ₹ 0.34 Lakhs (Previous Year ₹ 422.45 Lakhs)]	2.29	12,432.97
***Refer Note No. 40 (xvi) for details of pledged deposits**		
Deposit with High Court Delhi for Arbitration Case of HCC [Refer Note No. 40 (xlii)]	5,000.46	5,000.46
Deposit with Chief Executive Officer, Udupi	-	410.84
Advance to Employees	-	3.06
TOTAL	**5,778.69**	**18,611.77**

Note No. 6: Income Tax Assets

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Income Tax Assets (A.Y. 2018-19)	14.16	14.16
Income Tax Assets (A.Y. 2019-20)	15.71	15.71
Income Tax Assets (A.Y. 2020-21)	38.13	38.13
Income Tax Assets (A.Y. 2021-22)	104.01	104.01
Income Tax Assets (A.Y. 2022-23)	728.39	728.39
Income Tax Assets (A.Y. 2023-24)	86.96	86.10
Income Tax Assets (A.Y. 2024-25)	174.41	-
TOTAL	**1,161.77**	**986.50**

Note No. 7: Other Non Current Assets

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
(Unsecured considered good at amortized cost)		
Capital Advance to KIADB for Land Acquisition of Phase II project	17,644.84	9,823.55
Capital Advance to MSEZL for Land Acquisition Phase I Extension Land	2,269.39	200.00
Prepaid Expenses	152.37	271.07
TOTAL	**20,066.60**	**10,294.62**

Note No. 8: Trade Receiviables

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
From Related party		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
From Other		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	69.59	-
Doubtful	-	-
TOTAL	**69.59**	**-**

Trade Receiviables ageing schedule

Outstanding for following periods from due date of payment - FY 2023-24

₹ in lakhs

Particulars	Less than 6 Months	6 Month - 1 Year	1-2 Year	2-3 year	More than 3 Years	Total
(i) Undisputed Trade Receivables – considered good	69.59	-	-	-	-	**69.59**
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	-

Trade Receiables ageing schedule
Outstanding for following periods from due date of payment - FY 2022-23

₹ in lakhs

Particulars	Less than 6 Months	6 Month - 1 Year	1-2 Year	2-3 year	More than 3 Years	Total
(i) Undisputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	-

Note No. 9: Cash & Cash Equivalents

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Balances with Banks		
In Saving Accounts	5,455.44	197.66
In Current Accounts	54.74	51.10
In Bank Deposits		
Fixed Deposits (With Original Maturity upto three months)	961.03	-
Fixed Deposits (With Original Maturity more than three months but upto one year)	3,816.69	1,635.00
Cash Balances:		
Cash on Hand	-	-
TOTAL	**10,287.90**	**1,883.76**

Note No. 10: Bank Balances other than above

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note No. 11: Other Financial Assets

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
(Unsecured considered good at amortized cost)		
Receivable From HPCL (O&M Expenses)	631.13	746.46
Receivable From HPCL (Other than O&M)	7.08	1.40
Operating and Other Expenses recoverable from ADNOC	63.41	170.91
Accrued Interest on Security Deposit with electricity companies	28.31	19.35
Travel Advance to employees	-	4.02
Advance to Employees	3.06	5.95
Accrued Income	84.76	170.24
Amount Receivable From OIDB(Pre-Project Expense Phase II)	15.34	314.15
Amount Receivable From GOI (For Phase 1 Extension land)	9,700.95	-
Receivable From GOI/ MoPNG for SKEC-KCT JV Case	11,721.68	-
TOTAL	**22,255.72**	**1,432.48**

Note No. 12: Other Current Assets

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
(Unsecured considered good)		
Expenses Recoverable from OIDB	0.12	0.01
Other receiviables	22.28	-
Advances to Supplier	384.58	227.42
Capital Advance to Suppliers	10.97	4.61
Prepaid Expenses	1,144.87	1,197.36
GST Credit Receivable	622.79	368.21
TOTAL	**2,185.61**	**1,797.61**

Note No. 13: Share Capital

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024		₹ in lakhs As at 31st March, 2023	
	Number of shares	Amount	Number of shares	Amount
Equity Share Capital **(a) Authorized** Equity shares of Rs. 10/- each.	3,832,560,000	3,83,256.00	3,832,560,000	3,83,256.00
(b) Issued, Subscribed and Fully Paid up Equity shares of Rs. 10/- each.	3,790,054,670	3,79,005.47	3,790,054,670	3,79,005.47

Notes:

(i) Reconciliation of the number of equity shares:

Particulars	As at 31st March, 2024	As at 31st March, 2023
Equity shares of Rs. 10/- each		
Opening Balance	3,790,054,670	3,790,054,670
Equity Shares Issued	-	-
Equity Shares bought back	-	-
Closing Balance	3,790,054,670	3,790,054,670

(ii) Shares held by holding company:

Name of shareholders	As at 31st March, 2024		As at 31st March, 2023	
	Number of shares held	% holding in that class of shares	Number of shares held	% holding in that class of shares
Equity shares of Rs. 10/- each				
Oil Industry Development Board, New Delhi and its nominees	3,790,054,670	100%	3,790,054,670	100%
TOTAL	**3,790,054,670**	**100%**	**3,790,054,670**	**100%**

(iii) Details of shareholders holding more than 5% shares:

Name of shareholders	As at 31st March, 2024		As at 31st March, 2023	
	Number of shares held	% holding in that class of shares	Number of shares held	% holding in that class of shares
Equity shares of Rs. 10/- each				
Oil Industry Development Board, New Delhi and its nominees	3,790,054,670	100%	3,790,054,670	100%
TOTAL	**3,790,054,670**	**100%**	**3,790,054,670**	**100%**

(iv) Promoter Shareholding Pattern

Shares held by promoters at the end of the year 2023-24

Promoter Name	No. of shares	% of total shares	% Change during the year
Oil Industry Development Board	3,790,054,670	100%	NIL

Shares held by promoters at the end of the year 2022-23

Promoter Name	No. of shares	% of total shares	% Change during the year
Oil Industry Development Board	3,790,054,670	100%	NIL

(v) Rights, preferences and restrictions attached to equity shares

The company has only one class of equity shares having par value of Rs. 10 each and is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the company, the holders of equity shares will be entitled to receive the remaining assets of the company in proportion to the number of equity shares held.

(vi) For the period of preceding five years as on the Balance Sheet date, the :

(a) Number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract (s) without payment being received in cash	NIL
(b) Aggregate numbers of class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares; and	NIL
(c) Aggregate number and class of shares and class of shares bought back	NIL

NOTE NO. 14: Other Equity

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Balance of Retained Earnings:		
Balance Loss brought forward from Last Year's Accounts	(63,168.45)	(53,467.07)
Changes in Accounting Policy or Prior Period Errors	-	-
Stamp Duty on Equity Share Issued	-	-
Profit/(Loss) for the year	(8,869.94)	(9,701.38)
TOTAL	**(72,038.39)**	**(63,168.45)**

NOTE NO. 15: Lease Liabilities

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Lease Liabilities	552.31	554.71
TOTAL	**552.31**	**554.71**

NOTE NO. 16: Other Financial Liabilities

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Deposits/ Retention from Suppliers/ Contractors	22.28	17.37
TOTAL	**22.28**	**17.37**

NOTE NO. 17: Provisions

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Provisions for Employee Benefits		
(a) Leave Encashment	2.23	-
(b) Gratuity	5.22	-
TOTAL	**7.45**	**-**

NOTE NO. 18: Borrowings

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
	-	-
TOTAL	**-**	**-**

NOTE NO. 19: Lease Liabilities

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Lease Liabilities	4.15	3.77
TOTAL	**4.15**	**3.77**

NOTE NO. 20: Trade Payables

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
i) Total Outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	346.95	204.41
ii) Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises	1,812.49	1,687.20
TOTAL	**2,159.44**	**1,891.61**

Trade Payables ageing schedule
Outstanding for following periods from due date of payment - FY 2023-24

₹ in lakhs

Particulars	Less than 1 Year	1-2 Years	2-3 Years	More than 3 Years	Total
(i) MSME	346.95	-	-	-	346.95
(ii) Others	1,779.38	33.04	0.07	-	1,812.49
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-

Trade Payables ageing schedule
Outstanding for following periods from due date of payment - FY 2023-24

₹ in lakhs

Particulars	Less than 1 Year	1-2 Years	2-3 Years	More than 3 Years	Total
(i) MSME	204.41	-	-	-	204.41
(ii) Others	1,687.06	-	0.14	-	1,687.20
(iii) Disputed dues – MSME		-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-

	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Details relating to Micro, Small and Medium Enterprises	**2023-24**	**2022-23**
(a) Amount due remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year;		
Principal	346.95	203.96
Interest	-	0.45
(b) the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;	-	-
(c) the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-
(d) the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and	-	0.45
(e) the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	-	-

NOTE NO. 21: Other Financial Liabilities

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Others		
Funds From MOPNG for Purchse of MSEZL Land	4,000.00	-
Funds From GOI / MoPNG Phase II	21,000.00	21,000.00
Advance Received from GOI / MoPNG against O&M Expenses for Phase I	1,058.19	106.14
Deposits from Suppliers/ Contractors	1,082.85	986.26
TOTAL	**27,141.04**	**22,092.40**

NOTE NO. 22: Provisions

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Provisions for Employee Benefits		
(a) Leave Encashment	0.79	-
(b) Gratuity	0.08	-
TOTAL	**0.87**	**-**

NOTE NO. 23: Other Current Liabilities

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2024	₹ in lakhs As at 31st March, 2023
Statutory Dues	131.25	119.09
Fund from GOI / MoPNG for deposit with High Court Delhi for Arbitration Case of HCC [Refer Note No. 40(xlii)]	5,000.46	5,000.46
Payable to GOI / MoPNG (AP GST)	406.25	150.58
Payable to GOI / MoPNG (Padur GST)	199.19	140.68
Payable to GOI / MoPNG (Interest on Grant/Other Fund and TDS thereon)	2,261.76	2,013.55
Payable to HPCL Vizag	97.28	97.28
Fund from GOI / MoPNG for deposit with Udupi Zilla Panchayat for legal case	-	410.84
Amount Payable to MSEZL for Phase-1 Ext Land	9,700.95	-
Amount payable to SLAO Mangalore for Pipeline compensation of ROU	49.41	49.44
Amount payable to GOI / MoPNG against O&M Expense for Phase I	651.22	1,701.50
O&M Expenses Payable to GOI (ADNOC Expense)	63.41	170.91
O&M Expenses Payable to GOI (SD/ADVANCE)	11.50	-
Amount payable to Contract / MSEZL for TCS on rock sale	13.28	-
Payable to SKEC-KCTJV Against Legal Award	11,721.68	-
Others	12.61	12.61
TOTAL	**30,320.25**	**9,866.94**

NOTE NO. 24: Revenue from Operation

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2024	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023
Export of Service		
Operating income from ADNOC - unbilled Income	-	170.24
Domestic Revenue		
Leasing / Renting of Caverns	893.54	-
Pumping Charges for Leasing / Renting (including unbilled Income of Rs.25.68 Lakhs (Previous year: NIL))	96.15	-
Operating income from MRPL (including unbilled Income of Rs.57.84 Lakhs (Previous year: NIL))	58.05	35.57
TOTAL	**1,047.74**	**205.81**

NOTE NO. 25: Other Income (Including O&M Grant)

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2024	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023
O&M Grant from GOI	13,076.14	12,914.20
Reimburesment of Expenses	945.90	823.68
Interest on Security Deposits with Electricity Companies	31.46	21.51
Interest on Bank Deposits	369.04	886.34
Amortization of Grant from OIDB (Phase II)	-	314.15
Profit on Sale of Property, Plant & Equipment	-	0.01
Income from Rock sale	108.36	6.31
Interest on Income Tax Refund	0.86	0.01
Exchange Fluctuations	1.22	-
TOTAL	**14,532.98**	**14,966.21**

NOTE NO. 26: Employee Benefit Expenses

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2024	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023
Salaries & Wages	1,229.95	1,180.53
Contribution to Provident and other funds	24.56	50.21
Staff Welfare Expenses*	-	-
TOTAL	**1,254.51**	**1,230.74**

*Staff welfare expenses are included in O&M expenses under note no. 29.1

Note No. 27: Finance Cost

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2024	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023
Interest on Lease Liabilities (Ind AS 116)	41.59	41.12
Other Interest Expense	303.34	844.31
TOTAL	**344.93**	**885.43**

Note No. 28: Depreciation and Amortization Expenses

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2024	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023
Depreciation	9,362.51	9,510.76
Amortization of Lease Rental (Leasehold Land)	539.85	432.38
TOTAL	**9,902.36**	**9,943.14**

NOTE NO. 29.1: Operation & Maintenance (O&M) Expenses

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2024	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023
O & M Expenses		
Consumable Expense	277.75	167.08
Insurance Premium	3,832.50	3,890.66
Lease Rent Charges	242.17	282.80
Operating Cost	211.72	216.47
Repairs & Maintanance	982.43	565.54
Bank Charges	0.16	-
Festivals Expenses	5.99	6.10
Legal expenses	214.30	753.29
Office expenses	87.25	67.03
Expense for HCC Arbitration case Vizag (Refer Note No. 40(xliii)	-	22.96
Stationery expenses	5.22	3.23
Telephone Expenses	23.02	24.53
Tours & Training	12.24	23.20
Vehicle hire exp.	137.25	138.40
Electricity Charges	1,629.17	1,394.54
House Keeping Charges	105.63	103.52
Manpower Contractual & Other	2,063.36	1,992.73
MSEZL O&M Expense	202.51	237.87
Periodical Statutory Expense	218.10	152.52
Security Charges	1,962.44	1,911.41
Wharfage/ Surveyor Charges	27.20	210.28
Green Belt Development	49.16	42.70
HO Expenses	293.70	291.00
Pre Projects Expenses (PFR/DFR)-New Projects	365.19	-
TOTAL	**12,948.46**	**12,497.86**

NOTE NO. 29.2: Expenses for Phase II Project

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2024	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023
Detailed Feasibility Report (DFR) Expenses for Phase II	-	314.15
TOTAL	-	**314.15**

NOTE NO. 29.3: MISCELLANEOUS EXPENSES

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2024	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023
Bank Charges	0.05	-
Loss on Write Off of Property, Plant & Equipment	0.35	2.08
TOTAL	**0.40**	**2.08**

NOTE 30: Disclosure of EPS under Indian Accounting Standard - 33

Note	Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023
	Earnings per share		
(i)	**Basic**		
	Profit/ (Loss) for the year attributable to the equity shareholders	(8,869.94)	(9,701.38)
	Weighted Average number of equity shares Outstanding	3,790,054,670	3,790,054,670
	Par value per share	10.00	10.00
	Loss per share from continuing operations - Basic	(0.23)	(0.26)
(ii)	**Diluted**		
	Profit/ (Loss) for the year attributable to the equity shareholders	(8,869.94)	(9,701.38)
	Weighted Average number of equity shares Outstanding- For Diluted	3,790,054,670	3,790,054,670
	Par value per share	10.00	10.00
	Loss per share, from continuing operations - Diluted	(0.23)	(0.26)

NOTE NO. 31: LEASES, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

31.1 Leases

(A) As Lessee

(i) Ministry of Corporate Affairs (MCA) through Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rule, 2019 and Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rule, 2019 has notified IND AS 116 Leases which replaces the existing lease IND AS 17 Lease and other interpretations. IND AS 116 introduces a balance sheet lease accounting module for Leases.

Effective 1st April, 2019, the Company has adopted IND AS 116 to its leases using modified retrospective transitions method. The lease liability is measured at the present value of remaining lease payments discounted using incremental borrowing rate at the date of initial application and right of use asset has been recognized at an amount equal to the lease liability plus prepaid rentals recognized in the balance sheet before the date of initial application, if any. The company has adopted OIDB's (being 100% shareholder) interest rate for April 2019. Further, the Company has exercised the following expedient:-

i. Company has not reassessed whether a contract is, or contains, a lease at the date of initial application i.e. the contracts classified as leases on 31st March, 2019 as per IND AS 17.

ii. Treated as leases under IND AS 116 and not applying the standard to contracts that were not previously identified as containing a lease applying IND AS 17.

iii. Leases for which the lease terms ends within 12 months of the date of initial application have been accounted as short time leases.

The Company has entered into lease arrangements related to land. There is no sale and lease back transactions arrangement under the reporting period.

Details of significant leases for Leasehold Lands are as under:-

(a) Arrangement with Vishakhapatnam Port Trust for a period of 30 Years (upto 14.05.2038) for 37 acres of land at Vishakhapatnam (also Refer Note No. 40(xvii)).

(b) Arrangement with Mangalore Special Economic Zone for a period of 50 Years (upto 26.01.2060) for 104.73 acres of land at Mangalore including green belt area of 33.0066 acre (Refer Note No. 40(xvii)).

(c) Arrangement with Karnataka Industrial Areas Development Board (KIADB) for a period of 20 years (101.815 acre upto 28.05.2030 & 36.775 acre upto 18.12.2031) towards 138.57 acres of land at Padur.

(d) Arrangement with Karnataka Industrial Areas Development Board (KIADB) for a period of 15 years (upto 14.11.2032) towards 37.35 acres of land at Padur.

(ii) **Amount recognized in the statement of Profit and Loss Account or Carrying Amount of Right of Use:**

		₹ in lakhs
	2023-24	**2022-23**
-Prepaid Lease Rental capitalised as Right of Use	NA	NA
- Increase of Right of Use and Lease Obligation	2.38	NIL
- Depreciation Recognized on increased Right of Use	15.74	15.11
- Depreciation Recognized on Prepaid Lease Rental	524.11	417.27
- Interest on Lease Obligation	41.59	41.08
- Incremental Borrowing Rate	7.94%	7.94%
- Lease Rental Payment	45.08	44.85

The Details of Right of Use included in PPE held as leases by class of underlying assets is presented below:

			₹ in lakhs
Asset Class	**Gross Block as on 31st March, 2024**	**Accumulated Depreciation Upto 31st March, 2024**	**Net Carrying Value as on 31st March, 2024**
Right of Use	13272.48	2571.40	10701.08

Gross Block as on 31st March, 2024 includes operating leases entered before 01st April, 2019 on net carrying value of ₹ 12698.11 Lakhs which had been reclassified to Right to Use as on 01st April, 2019 (on implementation of Ind AS 116).

Details of item of future cash outflows which the company is exposed as lease but are not reflected in the measurements of lease liabilities are as under:

(a) Variable Lease Payments

Variable lease payments that depends on an index or a rate to be included in the measurement of lease liability although not paid at the commencement date . As per general industry practice, the company incurs various variable lease payment which are not based any index or rate (variable based on KMS covered or % of sales etc.) and are recognized in profit or loss and not included in the measurement of lease liability.

(b) Extension and Termination Options

The company lease arrangement includes extension option only to provide operational flexibility. Company assesses at every lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options and further reassesses whether it is reasonably certain to exercise the option if there is a significant change in circumstances within its control. However, where company has the sole discretion to extend the contract such lease term is included for the purpose of calculation of lease liabilities.

(iii) **Residual value Guarantees**

There are no Residual value guarantees.

(iv) **Committed lease which are yet to commence**

There is MOU signed with MSEZL for acquisition of 154.90 acre of land (28.11 Acre for Green Belt and 126.79 Acre leasable area) for phase 1 extension at Mangalore. After making required payment and possession of land, lease will commence.

(v) The difference between the future minimum lease rental commitment towards non-cancellable operating lease reported as at 31st March, 2019 compared to the lease liability as accounted as at 1st April, 2019 is primarily due to inclusion of present value of the lease payment for the cancellable term of the leases. Reduction due to discounting of the lease liabilities as per the requirement of IND AS 116 and exclusion of the commitments for the leases to which the company has chosen to apply the practical expedient as per the standard.

(vi) Application of this standard has resulted a net increase in loss before Tax for the year by ₹ 11.33 Lakhs (Previous Year :- ₹ 11.38 Lakhs) i.e. increase in Depreciation & Amortization expenses and Finance cost by ₹ 57.33 Lakhs (Previous Year ₹ 56.19 Lakhs) respectively and Increase in Other Income by ₹ 46.00 Lakhs (Previous Year ₹ 44.85 Lakhs).

(B) As Lessor

Operating Lease

The lease rentals recognized as income in these statements as per the rentals stated in the respective agreements:

		₹ in lakhs
Particular	**2023-24**	**2022-23**
Lease rentals recognized as income during the year		
- Variable lease	893.54	-
- Others	-	-

These relate to 0.30 MMT capacity of Cavern A at Vishakhapatnam Location to HPCL for storage of their crude oil with first right of withdrawal with GOI in case of oil shortage event.

Maturity Analysis of Undiscounted Lease Payments to be received after the reporting date

		₹ in lakhs
Particular	**2023-24**	**2022-23**
Less than one year	4,450.67	-
One to two years	4,450.67	-
Two to Three years	3,553.35	-
Three to Four years	-	-
Four to Five years	-	-
More than Five years	-	-
Total	**12,454.68**	**-**

31.2 Contingent Liabilities, Contingent Assets and Commitments (to the extent not provided for)

Particulars

(A) Contingent Liabilities

Claims against the company not acknowledged as debts amounting to ₹ 60,833.70 lakhs (Previous Year : ₹ 93,414.56 lakhs) comprising of -

a) Disputed Demand of Royalty by Department Of Mines and Geology at Vizag ₹ 11,795.03 Lakhs (Previous Year : ₹ 11,795.03 Lakhs)

b) Disputed claims by the contractors for ₹ 48,564.00 Lakhs (Previous Year : ₹ 80,752.13 Lakhs) rejected by EIL on account of projects undertaken on various sites for which cases are pending before the Arbitral Tribunal/ High Court.

c) Disputed demands of Entry Tax ₹74.64 Lakhs (Previous Year : ₹ 74.64 Lakhs). The Company has availed Kar Samadhan Scheme promulgated by Government of Karnataka for resolution of dispute of Entry Tax. As per Company there is no liability and the Company has filed writ petition against the coercive recovery of ₹74.64 lakhs toward entry tax and the matter is pending before Honorable Karnataka High Court.

d) Disputed demands by Panchayat Development Officer (Padur) ₹ NIL (Previous Year : ₹410.84 Lakhs) on account of building, land and misc taxes for which the case is pending before appellate authority.

e) Disputed demands with respect to pipeline ROU at Mangalore ₹22.73 Lakhs (Previous Year : 381.58 Lakhs) for which the cases are pending before District Court, Mangalore.

f) Notices / intimations provided by GST authority amounting to ₹ 119.15 Lakhs (Previous Year : NIL) for liability on RCM basis for amount of royalty deposited by contractor with Department of Mines and Geology on behalf of ISPRL for the period from FY 2017-18 to FY 2022-23. ISPRL has filed a writ petition before Honorable High Court of Karnataka on 06.11.2023 for quashing the erronous demand riased by GST authority for FY 2017-18 and FY 2018-19. The Honourable High Court has given stay for adjudication of demand vide order dated 27.11.2023. For FY 2019-20 to 2022-23, reply has been filed to Department that since High Court has accepted writ petition filed by ISPRL and has ordered stay for adjudication for similar SCNs issued for FY 2017-18 and 2018-19, adjudication of show cause notices issued for FY 2019-20 to 2022-23 may kept in abeyance till the disposal of Writ Petition by Honorable High Court for FY 2017-18 and 2018-19.

g) Appeal filed before CIT(Appeal) for demand raised by Assessing officer u/s 143(3) / 154 of the Income tax Act, 1961 for A.Y. 2018-19 & 2022-23 ₹ 258.15 Lakhs (Previous Year : ₹0.34 Lakhs)

(B) Contingent Assets -

₹ 126.79 Lakhs (Previous Year : ₹ NIL) towards arbitration award in favor of ISPRL in case of IL & FS Engineering & Construction Company Limited with regard to Contract of Pipeline Laying from LFP to Mangalore / PadurCavern via Intermediate Valve Station (IVS). Arbitration award has not been challenged by other party till date.

(C) Capital Commitments

1. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for Phase 1 extension land at Mangalore ₹ 11,803.41 lakhs (Previous Year : 22,950.38 lakhs)

2. Final gazette notification for land acquisition for 214.79 acre land at Padur has been issued by Government of Karnataka on 22nd Feb., 2023. Amount of ₹ 17,644.84 Lakhs has been incurred toward acquisition of land from KIADB till 31st March, 2024. Capital Commitment on account of payment for rehabilitation to land owners and any other amount will arise after decison of Rehabilitation committee.

3. Other capital commitment for purchase of capital items (net of advances) ₹ 0.03 Lakhs (Previous Year: 0.01 Lakhs)

(D) Other Commitments: Details complied by the company of its contractual obligations towards material contracts for ₹ 3,710.69 Lakhs (Previous Year : ₹ 544.21 Lakhs).

NOTE NO. 32: Related Party Transactions:-

Related party disclosure, as required by Ind AS 24, is as below:

Particulars

Details of related parties:

Description of relationship	Names of related parties
Holding company	Oil Industry Development Board (OIDB) holding 100% equity in the Company
Key Management Personnel (KMP)	1. Shri L. R. Jain, CEO & MD, ISPRL 2. Shri HPS Ahuja, CEO & MD, ISPRL (till 01.06.2022) 3. Shri G. K. Singh, CFO, ISPRL (till 04.05.2024) 4. Shri Ajay Dashore, Dy CEO / CFO [(Add. Charge) (from 15.05.2024 to 09.06.2024)] and CEO & MD [(Add. Charge) (from 17.06.2022 to 30.10.2022)] 5. Shri Deepak Kumar, CFO, ISPRL (from 10.06.2024) 6. Shri Arun Talwar, Company Secretary, ISPRL (till 15.05.2023) 7. Ms. Shilpi Mohanty, Company Secretary, ISPRL (from 06.06.2023)
	Board of Directors (Ex-Officio) 1. Shri Pankaj Jain, Chairman 2. Shri Praveen M. Khanooja, Director 3. Ms. Kamini Chauhan Ratan, Director 4. Ms. Esha Srivastava, Director 5. Ms. Varsha Sinha, Director 6. Ms. Yatinder Prasad, Director (from 11.10.2022 till 21.11.2022) 7. Shri Gudey Srinivas, Director (till 26.09.2022) 8. Dr. Navneet Mohan Kothari, Director (till 30.11.2022)

(i) Key Management Personnel

₹ in lakhs

Remunerations	For the year ending on 31st March, 2024	For the year ending on 31st March, 2023
CEO & MD*#	82.18	83.98
CFO *	91.32	84.77
Company Secretary *	82.25	85.56
Total	**255.75**	**254.31**

*As per debit notes received from respective parent company.

The above amount doesn't include perquisite value of NIL (Previous Year :Rs. 0.86 Lakhs) as per Income tax act with respect to Property, Plant & Equipment transferred during the year.

Sale consideration from Property, Plant & Equipment	For the year ending on 31st March, 2024	For the year ending on 31st March, 2023
Shri HPS Ahuja	NA	2.04
Total	**NA**	**2.04**

Transfer of Property, Plant & Equipment	For the year ending on 31st March, 2024	For the year ending on 31st March, 2023**
Shri HPS Ahuja	NA	0.79
Ms. Yatinder Prasad	NA	0.66
Total	**NA**	**1.45**

**Amount of WDV as per books on the date of transfer of asset.

(ii) Holding company (OIDB)

₹ in lakhs

	For the year ending on 31st March, 2024	For the year ending on 31st March, 2023
Reimbursement of expenses	18.20	25.20
Grant for Phase II expenditures (Received during the year)	350.00	NIL
Grant for Phase II expenditures (Receivable)	15.34	314.15
Expenditure incurred on behalf of OIDB	0.12	0.25
Return of unutilized grant for Phase II	51.19	NIL

Balances outstanding with related parties:

₹ in lakhs

		For the year ending on 31st March, 2024	For the year ending on 31st March, 2023
(i)	**Key Management Personnel** TDS on Salary recoverable from Shri L. R. Jain, CEO & MD, ISPRL	NIL	0.63
(ii)	**Holding company (OIDB)**		
	Recoverable from OIDB for expenditure incurred on their behalf	0.12	0.01
	Payable to OIDB for Reimbursement of expenses	18.20	25.20
	Grant receivable for Phase II	15.34	314.15

Note: As per legal opinion obtained by the Company, Oil Industry Development Board (OIDB) and Government of India / MoPNG are not 'Related Party' covered under Section 2(76) of the Companies Act, 2013. Accordingly, related compliances, if any, are not required to be done by the Company for transactions undertaken with them.

NOTE NO. 33: Segment Reporting

1. Company is creating storage assets for sovereign reserves of crude oil for the Government of India and is also maintaining such assets. This is considered to constitute one single primary segment.

2. Geographical information is not applicable as all operations of the Company are within India.

NOTE NO. 34: Financial Instruments

Financial instruments by category

1. The management assessed that Fair Value of Cash & Cash Equivalents, Other Current Financial Assets, Trade Payables, Short Term Borrowings and Other Current Financial Liabilities approximate their carrying amounts.

2. The fair value of the financial assets and liabilities is included at the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

3. Considering above disclosure with regard to the Fair Value Hierarchy is not applicable.

NOTE NO. 35: Financial Risk Management Objectives and Policies

1) Financial risk factors

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's primary focus is to foresee the unpredictability of financial markets and seek to minimize

potential adverse effects on its financial performance. The primary market risk to the Company is Interest Rate risk. O&M expenses of the company are met with GBS hence it is not exposed to any material Interest rate risk.

The Company's principal financial liabilities comprise trade and other payables & security deposits. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Company's operations. The Company's principal financial assets include other receivables, Other Financial Assets and cash / cash equivalents that derive directly from its operations.

Presently Company is not exposed to a number of any financial risks arising from natural business exposures as well as its use of financial instruments including market risk relating to interest rate, foreign currency exchange rates. Senior management oversees the management of these risks with appropriate financial risk governance framework for the Company.

2) Market risk

Market risk is the risk where the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market prices comprise three types of risk: currency rate risk, interest rate risk and other price risks. Financial instruments affected by market risk include loans and borrowings, deposits, investments, and derivative financial instruments. Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Presently company's financial instrument is not exposed to any material market risk.

3) Credit risk

Customer credit risk is managed by each business unit subject to the Company's established policy, procedures and control relating to customer credit risk management. Credit quality of a customer is assessed based on an extensive analysis and outstanding customer receivables are regularly monitored. Presently there are no trade receivables.

4) Liquidity risk

Company monitors its risk of a shortage of funds diligently. The Company seeks to manage its liquidity requirement by maintaining access to short term borrowings from holding Company.

The table below provides details regarding the contractual maturities of significant financial liabilities as of 31st March. 2024.

₹ in lakhs

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-4 years	More than 4 Years	Total
Borrowings	-	-	-	-	-
Trade payables	2,159.44	-	-	-	2,159.44
Other financial liabilities	27,141.04	17.45	4.83	-	27,163.32
TOTAL	**29,300.48**	**17.45**	**4.83**	**-**	**29,322.76**

The table below provides details regarding the contractual maturities of significant financial liabilities as of 31st March, 2023:

₹ in lakhs

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-4 years	More than 4 Years	Total
Borrowings	-	-	-	-	-
Trade payables	1,891.61	-	-	-	1,891.61
Other financial liabilities	22,092.40	17.10	0.27	-	22,109.77
TOTAL	**23,984.01**	**17.10**	**0.27**	**-**	**24,001.38**

NOTE NO. 36: Capital Management

For the purpose of the Company's capital management.

Under Phase I: Capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders. The primary objective of the Company's capital management is to maximize the shareholder value.

Under Phase I extension: Capital for Land Acquisition for Phase 1 extension at Mangalore will be managed through GBS from GOI / MoPNG.

Under Phase II Project: Capital for Land Acquisition are being managed through GBS from GOI / MoPNG.

NOTE NO. 37: Payment in Foreign Currency (Equivalent INR)

₹ in lakhs

Particulars	For the year ending 31st March, 2024	For the year ending 31st March, 2023
Travelling	NIL	6.72
Payment for Goods and Services	NIL	4,775.67
TOTAL	**0.00**	**4782.39**

NOTE NO. 38: Receipts in foreign currency (Equivalent INR)

₹ in lakhs

Particulars	For the year ending 31st March, 2024	For the year ending 31st March, 2023
Receipt from ADNOC	302.85	1,454.56
Refund of Travelling Advance	0.86	NIL
TOTAL	**303.71**	**1454.56**

NOTE NO. 39: Employee Benefits Disclosure

(i) Gratuity Disclosure Statement as per Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)

A. Actuarial assumptions provided by the company and employed for the calculations are tabulated:

Period	As on: 31-03-2024	As on: 31-03-2023
Discount rate	7.25 % per annum	7.50 % per annum
Salary Growth Rate	12.00 % per annum	10.00 % per annum
Mortality	IALM 2012-14	IALM 2012-14
Expected rate of return	7.25% per annum	0
Withdrawal rate (Per Annum)	5.00% p.a.	5.00% p.a.

B. Benefits valued:

Period	As on: 31.03.2024	As on: 31.03.2023
Normal Retirement Age	60 Years	60 Years
Salary	Last drawn qualifying salary	Last drawn qualifying salary
Vesting Period	5 Years of service	5 Years of service
Benefits on Normal Retirement	15/26 * Salary * Past Service (yr).	15/26 * Salary * Past Service (yr).
Benefit on early exit due to death and disability	As above except that no vesting conditions apply	As above except that no vesting conditions apply
Limit	₹ 25,00,000	₹20,00,000

C. Key results

Period	As on: 31.03.2024	As on: 31.03.2023
Present value of obligation at the end of the period	₹ 21,12,602	₹ 9,24,256
Fair value of plan assets at the end of period	₹ 15,82,938	₹ 12,14,340
Net liability/ (asset) recognized in Balance sheet and related analysis	₹ 5,29,664	(₹ 2,90,084)
Funded Status - Surplus / (Deficit)	(₹ 5,29,664)	₹ 2,90,084

D. Bifurcation of net Liability

Period	As on: 31.03.2024	As on: 31.03.2023
Current Liability (Short Term)	₹ 7,948	0
Non Current Liability (Long Term)	₹ 5,21,716	0
Total Liability	₹ 5,29,664	0

(ii) Leave Disclosure Statement as per Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)

A. Actuarial assumptions provided by the company and employed for the calculations are tabulated:

Period	As on: 31.03.2024	As on: 31.03.2023
Discount rate	7.25 % per annum	7.50 % per annum
Salary Growth Rate	12.00 % per annum	10.00 % per annum
Mortality	IALM 2012-14	IALM 2012-14
Expected rate of return	7.25% per annum	0
Withdrawal rate (Per Annum)	5.00% p.a.	5.00% p.a.

B. Benefits valued:

Period	As on: 31.03.2024	As on: 31.03.2023
Normal Retirement Age	60 Years	60 Years
Salary	As per rules of the company	As per rules of the company
Benefits on Normal Retirement	1/30 * Salary * Number of leaves.	1/30 * Salary * Number of leaves.
Benefit on early exit	As above, subject to rules of the company.	As above, subject to rules of the company.
Benefit on death	As above, subject to rules of the company.	As above, subject to rules of the company.

C. Key results

Period	As on: 31.03.2024	As on: 31.03.2023
Present value of obligation at the end of the period	₹ 31,90,374	₹ 14,96,467
Fair value of plan assets at the end of period	₹ 28,88,017	₹ 21,34,663
Net liability/ (asset) recognized in Balance sheet and related analysis	₹ 3,02,357	(₹ 6,38,196)
Funded Status - Surplus / (Deficit)	(₹ 3,02,357)	₹ 6,38,196

D. Bifurcation of net Liability

Period	As on: 31.03.2024	As on: 31.03.2023
Current Liability (Short Term)	₹ 79,498	0
Non Current Liability (Long Term)	₹ 2,22,859	0
Total Liability	₹ 3,02,357	0

NOTE NO. 40: Other Notes

40. Others Notes

i) **Cases settled under Vivad se Vishwas:-**

The company had availed the benefit under Vivad se Vishwas Act, 2020 for financial year 2012-13 to 2016-17 and tax of ₹ 663.47 lakhs has been paid in earlier years. The demand has been settled and Form-5 has been issued by department, consequently all the cases have been closed. Letter giving effect of Form 5 is awaited from competent authority.

For AY 2016-17 and AY 2017-18, aggregate demand of Rs. 1.03 crore is reflecting on Income Tax Site which is neither enforceable nor correct in light of Form 5 issued by department which in itself concludes the matter and no further action or demand can be held by the department.

ii) The Sovereign Crude Oil Reserves have been kept at three sites Padur, Mangalore and Visakhapatnam of the company as a custodian on behalf of Government of India. Cavern B at Visakhapatnam is used by HPCL for its operation and property in crude oil is purely owned by HPCL. Cavern A at Mangalore is used by ADNOC for storage of its own Crude Oil under agreement with ISPRL and property in crude oil is purely owned by ADNOC (except dead stock which is owned by GOI).

Company has entered into agreement with HPCL for renting / leasing of 0.30 MMT capacity of Cavern A at Vishakhapatnam Location to HPCL and crude oil stored by HPCL is the property of HPCL with first right of withdrawal with GOI in case of oil shortage event.

Company has obtained Expert Advisory Opinion from ICAI regarding accounting of Sovereign Crude oil. In line with opinion received from ICAI and as intimated to Audit committee & Board, accounting of sovereign crude oil is not being done in financial statements of the company and only disclosure of the Sovereign Crude Oil Inventory is being done in Notes to Accounts (Refer Note No. 1.1).

GOVERNMENT OF INDIA- CRUDE OIL

Particulars	31st March, 2024 (Qty. in MT)	31st March, 2023 (Qty. in MT)
Opening Stock of Crude Oil (As per Surveyor Report) (a)	30,16,903.67	30,10,938.75
Add:- Procured during the year :		
As per Bill of lading (b)	-	-
Actual as per Surveyor Report (c)	-	-
Add:- Dead Stock in Carvern A at Mangalore (d)	-	3,394.63
Less:- Sale/Transferred during the year (e)	98,795.44	-
Net Quantity as per actual as on close of the year (a+c+d)-(e)	29,18,108.23	30,14,333.38
Total quantity under Custody as at close of the year (As per Surveyor Report) (including deadstock of 3,394.63 MT in Cavern A at Mangalore)	29,20,002.98	30,16,903.67

ADNOC- CRUDE OIL

Particulars	31st March, 2024 (Qty. in MT)	31st March, 2023 (Qty. in MT)
Opening Stock of Crude Oil (As per Surveyor Report) (a)	4,21,775.48	3,512.61
Add:- Procured during the year		
As per Bill of lading (b)	-	4,33,099.00
Actual as per Surveyor Report (c)	-	4,22,602.24
Less:- Dead Stock in Carvern A at Mangalore (d)	-	3,394.63
Less:- Transfer by ADNOC during the year (e)	-	-
Net Quantity as per actual as on close of the year (a+c)-(d+e)	4,21,775.48	4,22,720.22
Total quantity under Custody as at close of the year (As per Surveyor Report) (Excluding dead stock of 3,394.63 MT)	4,21,588.49	4,21,775.48

Note : Losses are within the acceptable industry norms.

₹ in lakhs

Particulars	2023-24	2022-23
PAYABLE TO GOI / MOPNG (CRUDE OIL GRANT)		
Payable/Refundable to GOI / MoPNG as at beginning of the period	84.61	84.61
Add:- Amount received for Crude Oil during the year	-	-
Add:- Interest, other receipts and adjustments	-	-
Less:- Crude Oil Procured (Net of Transfer) (Including Clearing and Other Expenses) during the year	-	-
Less:- Amount refunded to GOI / MoPNG	-	-
Payable/Refundable to GOI / MoPNG as at end of the period	84.61	84.61
Note : The amount of Payable/Refundable to GOI / MoPNG as at 31st March, 2023 & 31st March, 2024 represents TDS receivable from Income Tax Department.		

iii) Till FY 2022-23, Company was presenting O&M grant and its related expenses on netting off basis on the face of Statement of Profit and Loss of the Company. Company has obtained Expert Advisory Opinion from ICAI regarding accounting / presentation of O&M grant. In line with opinion received from ICAI and approval from Audit committee & Board, the Company is showing O&M grant and related expense / utilization as Income and expenses of the Company from FY 2023-24 onwards (with corresponding amounts re-grouped for the FY 2022-23).

iv) **(A) Phase II:**

On 8th July, 2021, the GOI had approved development of Commercial cum Strategic Petroleum Reserves under Phase II at Chandikhol, Odisha (4 MMT) and Padur II, Karnataka (2.5 MMT) and dedicated SPMs and associated pipelines on Design, Built, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis under PPP mode. Land acquisition process is in progress and is given below:-

Status of land acquisition:

Padur:

- ISPRL submitted applications to KIADB for acquisition / allocation of land at Padur in Nov 2020. Final gazette notification for 214.79 Acres Padur land was issued by KIADB on 22nd Feb., 2023. Total payment of INR 176.44 Crore has been made to KIADB till 31.03.2024 based on demand notes after fixing of the land rate (including other incidental charges) and compensation towards forest, horticulture and permanent structure on land.
- KIADB in consultation with DC, Udupi is in the process of finalization of R&R package to land owners.

Chandikhol:

- Application for 400 Acres of land at Chandikhol, District Jajpur, Odisha was submitted to Govt. of Odisha in September 2019. Govt of Odisha while considering our application for land allotment for the Chandikhol Project has advised ISPRL in December 2022 to explore alternate sites for construction of SPR's.

- ISPRL engaged EIL to identify alternate site in Odisha. Subsequently after desktop studies by EIL, a joint visit was carried out to evaluate the alternate sites. EIL has submitted their report on 6th July, 2023 to ISPRL recommending an alternate site for carrying out feasibility studies. Further a team from ASI Puri circle is in the process of carrying out archological survey at the alternate site near Majhi Pada.
- After clearance from the Archaeological department, ISPRL shall submit a request to Govt. of Odisha for their in-principle approval for the project before commencing geotechnical survey, etc.

(B) Phase I Extension:-

1. In an endeavor to explore additional capacity, ISPRL discussed with MSEZL and MSEZL offered 154.90 acre of land (126.79 acre is leasable land and remaining 28.11 acre is to be maintained as green belt) to ISPRL on payment of one time non-refundable lease premium of Rs. 226.94 crores and annual lease rental premium of Rs 60,000/- per acre per year.
2. The Delegated Investment Board (DIB) approval dated 17th February, 2023 has been conveyed to ISPRL vide OM number IC22011/6/2017-IC-2 dated 22nd February, 2023. Communication for approval of approving authority has been received on 26th June, 2023.
3. ISPRL has signed MOU with MSEZL on 17.03.2023 for allotment of 154.90 acre of land on lease basis at Mangalore and has paid ₹ 22.69 crore to MSEZL (being 10% of one time non-refundable lease premium) till 31.03.2024.
4. ISPRL has appointed EIL as project consultant for pre project studies for Mangalore project under Phase-I extension. The DFR is under preparation by M/S EIL. Based on DFR, proposal for construction of additional caverns at Mangalore will be put up to Cabinet for necessary approvals.
5. The work of Geotechnical investigation and contour surveys has been awarded to M/s Soiltech (India) Pvt. Ltd and M/s Xplorer Consultancy Services Pvt. Ltd respectively.

v) At Mangalore site of ISPRL, there are 2 caverns namely cavern A & B. For Cavern "A", a tripartite agreement for Oil storage and management was signed on 10.02.2018 with Abu Dhabi National Oil Company and ADNOC Marketing International (India) RSC Limited (AMI India). As per the agreement, value of 1,20,000 US barrels (15831 MT) was to be paid to AMI India(ADNOC) towards dead stock loss/commissioning loss and the GOI / MoPNG had allocated ₹ 7,000 lakhs for reimbursement of dead stock. On an actual evacuation of product, the dead stock/commissioning loss is determined to be 75,923 barrels against estimated 1,20,000 barrels due to operational efficiency and a side letter to the original agreement to this effect has been signed on dated 18.04.2022. Payment for 75,923 barrels amounting to ₹ 4,776.01 lakhs has been made on 15.06.2022 by the company to ADNOC and remaining balance of ₹ 2,223.99 lakhs has been returned to MoPNG during FY 2022-23.

The Parties acknowledge and agree that ISPRL, will, at all times, continue to retain an ownership interest in the AMI India (ADNOC) oil equal to the Dead Stock quantity of 3,394.63 MT(25,781 barrels). Ownership of dead stock rests with Government of India.

Provision for liability, if any, towards the storage loss and operational loss relating to agreement with AMI India (ADNOC) will be made after quantification by parties to the agreement. No loss has been quantified during the year.

vi) As on 31st March, 2024, the Company's day to day work is handled by 16 personnel on deputation from various oil companies and CEO&MD appointed by the Board. In addition, the company has 12 employees on regular rolls of ISPRL on OIDB Pay scales. The process of formulation of Employee Policies for regular employees of ISPRL is under finalization.

vii) Advance recoverable in cash or kind for value to be received including amount due from other companies in which any Director is a Director or Member is NIL (Previous Year-Rs. NIL).

viii) During FY 2021-22, cabinet has allowed ISPRL for commercialization of facilities and crude oil in following manner:-

a. Leasing / Renting of 30% of overall storage capacity to Indian or foreign companies. and

b. Sale / Purchase of 20% of overall storage capacity of crude oil to Indian companies.

c. Remaining 50% of overall storage capacity will remain straetgic .

As per cabinet approval release of commercial stock through leasing renting upto 30% and sale purchase of crude oil upto 20% would be handled by a Management committee as determined by ISPRL's Board from time to time. The authority for release of stock in the strategic portion of 50% of crude oil will continue to vest with the inter-ministerial Empowered committee.

The proceeds from sale of crude oil for 30 % storage capacity which is to be leased out shall be returned to Government of India. Also, Sale / Purchase of sovereign crude oil is not recognized in Statement of Profit and Loss account of the

Company (Refer Note No. 1.1). The revenue from sale of 20% crude oil would form part of income of ISPRL.

Company has entered into agreement with HPCL for renting / leasing of 0.30 MMT capacity of Cavern A at Vishakapatnam Location to HPCL w.e.f 19th January, 2024.

ISPRL has sold 1.298 MMT Sovereign crude oil till 31st March, 2024 from 30% capacity and returned the proceeds to GOI / MoPNG. Out of Sovereign crude oil sold, 0.099 MMT of Sovereign Crude oil is sold during the current year.

Details of Sovereign Crude oil Sales and Payments	₹ in lakhs
Amount payable to GOI / MoPNG as on 31st March, 2023 (TDS deducted by oil companies on crude sales)	491.72
Add: Realization received during the year out of sale made during the year	46,091.07
Less: Amount Adjusted for custom duty paid by HPCL on bonded stock of ISPRL	15.44
Less : Amount refunded to the GOI / MoPNG during the year	46,029.54
Amount payable to GOI / MoPNG as on 31st March, 2024 (TDS deducted by oil companies on crude sales)	537.81
"Note : Amount of Rs. 3.76 Lakhs on account of TDS deducted by oil company on pumping charges till 31st March, 2023. No pumping charge on crude oil sale is received / reciviable during the current year and accordingly amount of Rs. 3.76 lakhs is payable to GOI / MoPNG as on 31st March, 2024.	

ix) Rocks excavated from Mangalore and Padur are lying at sites. E-auction for Rock Debris at Padur was conducted through Mineral State Trading Corporation (MSTC). The successful bidder has quoted price of ₹ 106 /MT for lifting 2 lakh MT and ₹ 108/MT for 10 lakh MT of Rock debris from Padur. Out of these tenders, 85,582.67 MT quantity of Rock has been sold till 31.03.2024 (i.e. 5,882.22 MT till 31.03.2023 and 79,700.45 MT during the current year).

As per Minutes of Meeting dated 22.03.2012 with MSEZL, value generated from sale of rock debries will be shared by ISPRL and MSEZL in ratio of 50:50. During the year, MSEZL informed that 37,449.95 MT quantity of Rock has been sold by them at Managlore location and 50% of sale proceed of Rs. 22,28,272/- has been shared with ISPRL.

x) **Reconciliation of Expenses (as per Note No. 26 & 29.1)**

	₹ in lakhs	
	2023-24	**2022-23**
O&M Expenditure Claimed from GOI / MoPNG during the year (as per UC)	14,341.38	15,667.90
Less:- O& M Expenditure booked in previous year but claimed during the year	1,770.06	3,413.65
Add:- O&M Expenditure for the period not claimed during the year, to be claimed	2,139.35	1,791.10
Less:- O&M Expenditure Extra Claimed/ Prepaid Expenses (Net of Previous Year)	461.70	271.89
Less:- Lease charges account as per IndAS 116	46.00	44.85
Expenditure debited to Statement of Profit and Loss during the year (Note No. 26 & 29.1)	14,202.97	13,728.60

xi) **Deferred Tax**

In the absence of Taxable Income, no provision for income tax has been considered necessary. Further, Deferred Tax Asset has also not been recognized as there is no reasonable certainty with convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Asset can be adjusted.

xii) Dues to Micro Enterprises and Small Enterprises have been determined as ₹ 346.95 lakhs as on 31st March, 2024 (Previous year ₹ 204.41 Lakhs) to the extent such parties have been identified on the basis of information available on records in terms of 'The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006'.

xiii) Amount payable / recoverable from Vendors/Contractors/service providers are subject to confirmation, reconciliation and consequential adjustments thereof, if any.

xiv) All consumables/stores/spares parts are booked in O&M expenses at the time of purchases.

xv) a) Royalty payment on rock removal from Mangalore SEZ/Padur is to be borne by MSEZL/Contractor appointed by MSEZL or ISPRL.

b) Tax collected at source (TCS) appearing in Form 26AS of the company is being paid by contractor i.e. Purchaser of Rock (using PAN number of ISPRL) at Mangalore and Padur to the Income Tax Authorities on the Royalty amount paid to Department of Mines and Geology. Credit of TCS is taken by ISPRL basis 26AS and corresponding payable is created in the name of MSEZL/Contractor. The amount will be refunded to MSEZL/Contractor on claim by them, if any, only on receipt of refund of TCS from Income Tax Authorities.

c) As per MSEZL contract with Contractor, any statutory payment on account of rock removal is to be borne by Contractor. Further, in case contractor fails to deposit any statutory payment, the liability of same would arise on MSEZL as per section 30 of SEZ Act, 2005 and there will be no liability on ISPRL on account of any default on payment of custom duty by Contractor / MSEZL. Matter for payment of custom duty on removal of Rock from Mangalore SEZ area to Domestic Tariff Area (DTA) is under litigation.

xvi) a. The company has given BG of ₹ 50,000/- (Previous year : ₹ 50,000/-) in favor of ACCT, LGSTO-260 (GST Authorities) for obtaining KST/CST Registration Certificate from Commercial Tax Office. The BG was given against FD pledged by company amounting to ₹ 50,000/-.

b. The company has pledged FD of ₹ 1,45,000/- (Previous year : ₹ 1,45,000/-) in favor of Deputy Director, DMG, Mangalore towards financial assurance related to stone mines contract.

c. Bond Cum Legal undertaking has been given by ISPRL to Development Commissioner, MSEZ Mangalore amounting to ₹ 100.80 crore (Previous year : ₹ 100.80 crore) with respect to benefits of exemptions, drawback, cess and concessions availed on account of goods and services in terms of provisions of rule 25 of Special Economic Zones Rules 2006.

xvii) (A) Total land of 104.73 acre was allocated by MSEZL to ISPRL consist of following:-

(i) 67.0134 acre land for proceesing area with in SEZ.

(ii) 33.0066 acre land for green belt development with in SEZ.

(iii) 4.71 acre of land for setting up Booster pumping station outside SEZ.

Out of total land as mentioned above, 33.0066 acre was handed over by MSEZL free of cost for development of green belt. However, Annual rent is payable for total land handed over to ISPRL (i.e. 104.73 acre)

(B) License/ permission to Build and maintain Underground rock Cavern (URC) oil storage facility under the surface of 30 acre land situated at Dolphin Hill area at or near Vishakhapatnam was provided by Eastern Naval Command (ENC) at token amount of Rs. 1.00 per annum for a period of 99 years vide MOU dated 01st May, 2007 between ENC and ISPRL.

The ownership and possession of the land and its surface and aerial right of land remains with ENC. No right, title or interest in land is conveyed to ISPRL.

xviii) As required under additional information pertaining to general instructions for preparation of statement of Profit & loss (Given in the schedule III of companies Act, 2013) related to expenditure incurred for audit and other items are as follows:

	₹ in lakhs	
	2023-24	**2022-23**
Payment to Statutory Auditor		
Audit Fees (Incl. GST)	2.09	2.09
Certification (Incl. GST)	NIL	0.59
Out of Pocket Expenses	0.21	0.20
Payment to Internal Auditor		
Audit Fees (Incl. GST)	0.23	0.23
Other Services	1.07	2.24
Payment to Secretarial Auditor		
Audit Fees	0.10	0.10

xix) Title deeds of Immovable Property not held in name of the Company -

Relevant line item in the Balance sheet	Description of item of property	Gross carrying value (₹ In Lakhs)	Title/Lease deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Right of Use (Ind AS 116)	Leasehold Land at Mangalore Special Economic Zone (104.73 Acres)	8492.5	Indian Strategic Petroleum Reserves Limited	No	Date of allotment letter are as follows : a. for 100.02 acres date is 23.11.2009 b. for 4.71 acres date is 11.04.2018 Possession till date is 26th January, 2060.	Lease Deed is in the name of company but not yet registered. Vide letter date 06th April, 2023 from Directorate of Industries and Commerce, ISPRL has obtained 100% stamp duty exemption certificate for lease deed registration with MSEZL. ISPRL has obtained form 9 and 11 from Permude and Bala panchayath by paying fees to panchayaths. The Khata certificate has been obtained from Bajpe town panchayat by paying property tax and Khata Fees. MSEZL has applied to Jokatte grama panchayat for Form 9 and 11 and waiting for panchayat demand note for the payment of the 9 and 11 fees from the panchayat office.

xx) Valuation of PP&E, intangible asset and investment property -

The company has not revalued its Property, Plant and Equipment during the year.

xxi) Loans from Banks or Financial Institutions -

The company has not received any borrowings from banks or financial institutions during the year.

xxii) Capital-Work-in Progress (CWIP) -

There is no capital work in progress as on 31.03.2024

xxiii) Intangible assets under development -

There are no intangible assets under development as on 31.03.2024

xxiv) Details of Benami Property held -

No proceedings have been initiated on or are pending against the company for holding benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and Rules made thereunder.

xxv) Loans and advance on security of current assets -

There are no loans and advances on security of current assets as on 31.03.2024.

xxvi) Willful Defaulter -

Company has not been declared Willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.

xxvii) Registration of charges or satisfaction with Registrar of Companies -

There are no charges or satisfaction which are yet to be registered with the Registrar of Companies beyond the statutory period.

xxviii) Compliance with number of layers of companies -

The company is 100% subsidiary of OIDB and further company doesn't have any subsidiary hence compliance prescribed under the Companies Act, 2013 is not applicable on the company.

xxix) Compliance with approved scheme(s) of arrangements -

The company has not entered into any scheme of arrangement which has an accounting impact on current or previous financial year.

xxx) Utilization of borrowed funds and share premium -

A. The company has not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall:

a. directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or

b. provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the ultimate beneficiaries.

B. The company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall:

a. directly or indirectly lends or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or

b. provides any guarantee, security or the like on behalf of the ultimate beneficiaries.

xxxi) Undisclosed income -

There is no income surrendered or disclosed as income during the current or previous year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961, that has not been recorded in the books of account.

xxxii) Corporate Social Responsibility (CSR) -

The company has not incurred any CSR Expenditure during the year, since was not required as per rules.

xxxiii) Details of Crypto currency or Virtual currency -

The company has not traded or invested in crypto currency or virtual currency during the year.

xxxiv) Loans or Advances in the nature of loans are granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under Companies Act, 2013,) either severally or jointly with any other person, that are:

Repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment

Type of Borrower	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans
Promoters	NIL	NIL
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Related Parties	NIL	NIL

xxxv) Details of transactions with Companies Struck off u/s 248 of the Companies Act 2013 or Section 560 of the Companies Act 1956 –

₹ in Lakhs

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Balance outstanding as on 31.03.2024	Balance outstanding as on 31.3.2023	Relationship with the Struck off company if any, to be disclosed
	Investments in securities	NIL	NIL	NA
	Receivables	NIL	NIL	NA
	Payables	NIL	NIL	NA
	Shares held by stuck off company	NIL	NIL	NA
	Other outstanding balances (to be specified)	NIL	NIL	NA

xxxvi) FINANCIAL RATIOS

S. No.	Ratio	Numerator	Denominator	31st March, 2024	31st March, 2023	% Variance	Reasons
a)	Current Ratio (in times)	Current Assets	Current Liabilities	0.58	0.15	286.37%	1. Due to receipt of Capital grant of Rs. 40 crore from GOI on 31.03.2024, it has resulted in increase in bank balance which has further resulted in increase in Current assets. 2. There is increase in short term FD (till 1 year) amounting to Rs. 31.43 crores during the current year as compared to Last year.
(b)	Debt-Equity Ratio (in times)	Total Debts	Shareholder's Equity	NIL	NIL	NIL	
(c)	Debt Service Coverage Ratio (in times)	Earnings available for Debt Service	Debt Service	NIL	NIL	NIL	
(d)	Return on Equity Ratio (ROE) (in %)	Net Profit after Tax	Average Shareholders' Equity	-2.85%	-3.03%	-5.84%	
(e)	Inventory turnover ratio (in times)	Cost of Goods Sold	Average Inventory	NIL	NIL	NIL	
(f)	Trade Receivables turnover ratio (in times)	Net Credit Sales	Average Accounts Receivables	3,011.26	NIL	100.00%	Renting / Leasing Income started from Current year.
(g)	Trade payables turnover ratio (in times)	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	7.01	8.22	-14.70%	
(h)	Net capital turnover ratio (in times)	Net Sales	Working Capital	-0.04	-0.01	489.34%	Renting / Leasing Income started from Current year resulted in increase in Net sales.
(i)	Net profit ratio (in %)	Net Profit after Tax	Net Sales	-846.58%	-4713.80%	-82.04%	Renting / Leasing Income started from Current year resulted in increase in Net sales.
(j)	Return on Capital employed (in %)	Earnings before Interest and Taxes	Capital Employed	-3.07%	-3.26%	-5.94%	
(k)	Return on investment (in %)	Income generated from Investments	Average Invested Funds	3.92%	5.07%	-22.73%	
Note 1. Above ratios have been disclosed to the extent applicable to the company since operating on behalf of Government of India to enhance energy security operations.							

xxxvii) **Impairment of Asset -**

In compliance of IND AS 36 "Impairment of Asset", the company has reviewed the assets at year end for indication of impairment loss, if any, as per accounting policy of the company. As there is no indication of impairment, no impairment loss has been recognized during the year.

xxxviii) In the opinion of the management, the value of assets other than Property, Plant and Equipment and Other Intangible assets, on realization in ordinary course of Business, will not be less than the value at which these are stated in the Balance Sheet.

xxxix) The company does not have any long term contracts including derivative contracts for which there could be any material foreseeable losses.

xl) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the company.

xli) Company has obtained Expert Advisory Opinion from ICAI regarding accounting / presentation of O&M grant. In line with opinion received from ICAI, during the year Company has changed the method of presentation of O&M grant received from GOI, reimbursement of expenses and Interest income on bank deposits on behalf of GOI by showing the same as Income and Expenses on the face of Statement of Profit and Loss of the company for the year instead of showing net-off from O&M expenses till last year. This change in presentation has resulted in increase in "Other Income" by ₹ 14,325.39 Lakhs (Previous Year: ₹ 14,582.19 Lakhs), increase in "Expenses" by ₹ 14,325.39 Lakhs (Previous year: ₹ 14,582.19 Lakhs) with net impact on the Statement of Profit and Loss of the Company during being ₹ NIL (Previous Year: ₹ NIL) due to change in presentation method.

xlii) The company has deposited out of funds provided by MoPNG amounting to ₹ 5000.46 Lakhs as pre-deposit with Registrar General, High Court, New Delhi for appeal filed against arbitration award in case of HCC Arbitration Case, Padur. The amount is returnable to MoPNG from earnings of ISPRL from commercialization of Phase I.

xliii) The Arbitration award in case of Hindustan Construction Co. (HCC) V/s ISPRL has been awarded by Arbitrator on 26th April, 2022 at New Delhi. The company has accepted the arbitration award and deposited the amount of ₹ 1887.04 lakhs with High Court on 11th October, 2022 after receipt of O&M Grant from MoPNG.

xliv) Company has acquired 179.2 acre of land at Padur out of which 175.92 acre of land at Padur has been registered in the name of ISPRL. Company is unable to register the remaining land being a forest land and transfer is not allowed by Government of Karnataka.

xlv) Manpower expenses for phase II has been charged to O&M grant with the approval of competent authority.

xlvi) The company has fixed a limit of ₹15 Crores on aggregate basis for adjustment/rectification of prior period items of the previous years for preparation of INDAS compliant financial statements.

xlvii) The amendment in Article of Association (AoA) of the Company to change the status of the Company from Public Limited and Government Company to a Public Limited Company and wholly owned subsidiary of Oil Industry Development Board have been consented by the Board subject to approval of the Shareholders. Necessary amendment will be done in AoA after approval of Shareholders.

xlviii) The O&M expenditure incurred in Note No. 29.1 of the Statement of Profit & Loss is shown inclusive of Goods & Services Tax (GST) thereon of ₹ 5.32 Crore (Previous year: ₹ 2.03 Crore), for which ITC has been availed for the States of Andhra Pradesh (Vizag) and Karnataka (Padur). Further, since out of O&M grant received, amount equivalent to O&M expenditure incurred (in Note 29.1) is taken to Other Income in the Statement of Profit & Loss under Note No. 25 is inclusive of amount of ITC availed of ₹ 5.32 Crore during the year (Previous year: ₹ 2.03 Crore) with a corresponding credit as Payable to GOI under head Other Current Liabilities in Note No. 23, its net impact on the Statement of Profit & Loss is NIL (Previous year: NIL).

xlix) Liability of Goods and Services Tax (GST) is not required to be provided on un-billed revenue at the year end, since as per provisions of the CGST/SGST/IGST Act 2017, liability of GST on this accrued un-billed revenue becomes due at the time of billing only (i.e. in the next Financial Year). Moreover, in opinion of the management this non provision of GST does not have any impact on the profit/loss for the year, as such accrued un-billed revenue has duly been accounted in the year itself.

l) a. During the year due to heavy rainfall and land slide near village Bala (chainage ~2 KM) there was a exposure of 42" crude pipeline in the ROU area of ISPRL for almost 100 meters length for which necessary precautionary actions were taken to address the emergency situation. Intimation for the incident has been made to New India Insurance company limited on 07th July 2023. Expenses incurred amounting to Rs. 6.45 crore (approx.) for the emergency precautionary actions has been intimated to Insurance sureyor vide e-mail dated 27th June, 2024. Final claim is yet to be submitted to the surveyor.

b. The above restored ROU (42"pipeline) area near Bala (chainage 2) is damaged again due to heavy rains in the early hours of 27th June, 2024. Intimation for the incident has been made to New India Insurance company limited on 01st July, 2024."

li) Company has received the judgment of High Court of Delhi dated 22.05.2024 in OMP No-217 of 2022 and 238 of 2022 filed by Company against arbitrational award cases of M/s SKEC-KCT Joint Venture for Contract of Civil underground rock cavern for storage of crude oil at Mangalore and Padur, Karnataka. As per the order Hon'ble Delhi High Court preferred not to interfere with the Awards passed by Ld Arbitrator. Accordingly, amount of ₹ 117.22 crores payable to M/s SKEC-KCT JV (including interest upto 31.03.2024) has been shown as 'Payable to SKEC-KCTJV Against Legal Award' in Note No. 23 (Other Current Liability), with corresponding amount as 'Receivable From GOI/ MoPNG for SKEC-KCT JV Case' in Note No. 11 (Other Financial Assets).

lii) Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification/disclosure and figures have been rounded off nearest to lakhs.

liii) The financial statements have been approved by the Board of Directors on 16th July, 2024.

For Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 001009N

Sd/-
(K M Azad)
Partner
Membership No. 005125

Place: New Delhi
Date: 16 July, 2024

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Esha Srivastava)
Director
DIN : 08504560

Sd/-
(Lakhpat Rai Jain)
CEO & MD
DIN : 08505199

Sd/-
(Deepak Kumar)
CFO

Sd/-
(Shilpi Mohanty)
Company Secretary
ACS-19333

Place: Delhi
Date: 16 July, 2024

Note No. 1: Material Accounting Policy Information

Corporate Information and Material Accounting Policy Information

1. CORPORATE INFORMATION

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited was incorporated on 16th June, 2004 by IOCL as its subsidiary. The entire shareholding of the Company was taken over by Oil Industry Development Board ("OIDB") and its nominees on 9th May, 2006.

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (the Company), an unlisted wholly owned subsidiary of OIDB is a Public Limited Company and incorporated in India having its registered office at 301, World Trade Centre, 3rd Floor, Babar Road, New Delhi -110001 and operational/ functional office is at OIDB Bhawan, 3rd Floor, Plot No. 2, Sector - 73, Noida - 201301, Uttar Pradesh.

The main objects of the Company are:-

1. To store core critical sovereign reserve of crude oil of the Government of India or crude oil of such other entity as Government of India may decide, subject to and in compliance of the following:

   The release of core critical sovereign reserves of crude oil from caverns and its replenishment will be done through an Empowered Committee constituted by the Government. Provided that the core critical sovereign reserves of crude oil of Government of India may also drawn for crude circulation on account of quality requirement or repair and maintenance.

2. To lease/rent of 30% overall oil storage capacity of caverns to Indian or foreign companies with the condition that in case of any exigency, the GOI will have the first right on the entire crude oil stored in the caverns.

3. To sale/purchase of 20% overall oil storage capacity of caverns to Indian companies.

4. To carry on the business of storage, handling, treatment, carriage, transport, dispatch, supply, market, research, advise, consultancy, service providers, brokers and agents, engineering and civil designers, contracts wharfingers, warehouseman, producers, dealers of Oil and Oil products, gas and gas products, petroleum and petroleum products, fuels, spirits, chemicals, liquid of all types and kinds and the compounds, derivatives, mixtures, preparations and products thereof.

1A: MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

1.1 Basis of Preparation of Financial Statements

The Financial statements are prepared in accordance with Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as amended and comply in all material aspects with the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

The Financial Statements have been prepared on a going concern basis following accrual system of accounting. The company has adopted the historical cost basis for assets and liabilities. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services at the date of respective transactions.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The financial statements are presented in Indian Rupees ('INR') which is the presentation and functional currency of the Company and all values are rounded to the nearest lakhs (up to two decimals) except otherwise indicated.

Judgment made by the management in process of applying the company's accounting policies with regard to application of IndAS 115 for Sovereign Crude oil;

Company is purchasing, storing and selling Sovereign Crude oil on behalf of Government of India. The Company does not have ownership and control over the crude oil before it is transferred to buyer and Company is acting only as an agent and not as principal in respect of sovereign crude oil for the purpose of accounting under Ind AS 115 and performance obligation of the company is to manage the procurement, storage and sale of sovereign crude oil on behalf of Government of India rather than purchasing, storing and selling sovereign crude oil on its own behalf.

Accordingly, sovereign crude oil is not recognized as "inventory" by the company in its books of account and Sale of Sovereign crude oil is not presented as revenue in its Statement of Profit and Loss of the Company. Correspondingly, Company is not recognizing Sovereign Crude oil's purchases/ cost of goods sold in its Statement of Profit and Loss and only disclosure of Quantity of sovereign crude oil purchased, sold and stored in Company's caverns is given in Notes to Accounts in Note no. 40(ii).

1.2 Current and non-current classification –

The Company presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:-

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle
- Held primarily for the purpose of trading
- Expected to be realized within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

The Company classifies all other assets as non-current.

A liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle.
- It is held primarily for the purpose of trading.
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period. The Company classifies all other liabilities as non current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents.

The Company has ascertained its normal operating cycle as twelve months for the purpose of current and non-current classification of assets and liabilities.

1.3 Revenue Recognition

Measurement of Revenue

Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods are transferred or services are rendered to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods or services.

Revenue is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for discounts, incentive schemes, if any, as per contracts with customers. Taxes collected from customers on behalf of Government are not treated as Revenue.

Sale of Products

Revenue from sale of products is recognized at the point of time when control of the products is transferred to the customer, generally on delivery of the products. The Company considers whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated (e.g., Freight and Incentive schemes). In determining the transaction price for the sale of products, the Company considers the effects of variable consideration and consideration payable to the customer (if any).

For contracts that are CIF (Cost Insurance Freight) contracts, the revenue is recognized when the goods reached at final destination. For contracts that are FOB (Free on Board) contracts, revenue is recognized when company delivers the goods to an independent carrier.

Revenue from operating services

Revenue from operating services is recognized on satisfaction of performance obligation upon transfer of control of promised services to customers in an amount that reflects the consideration the company expects to receive in exchange for those services, excluding amounts collected on behalf of third parties (for example taxes and duties collected on behalf of the government). Consideration is generally due upon satisfaction of performance obligations and a receivable is recognized when it becomes unconditional.

Leasing/Rental income from cavern is recognized as income on accrual basis.

Other Income

Dividend, Other income and Other claims including Insurance Claims are accounted for when there is virtual certainty of ultimate collection.

Interest Income

Interest income is recognized on accrual basis using the Effective Interest Rate (EIR) method

1.4 Property, Plant and Equipment & Intangible Assets:

i) Properties, Plant & Equipment are carried at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. The cost of Property, Plant and Equipment includes cost of acquisition and directly attributable cost for bringing the Property, Plant and Equipment in an operational condition for their intended use.

ii) An intangible asset is recognized where it is probable that the future economic benefit attributable to the asset will flow to the Company and the cost of the asset can be measured reliably. Such assets are stated at cost less accumulated amortization.

iii) **Capital work- in-progress:**

Capital work- in-progress is carried at cost. Revenue expenses exclusively attributable to projects & incurred during construction period are capitalized.

1.5 Depreciation / Amortization

i) Depreciation is provided on Straight Line Method as per the useful life specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 except for, underground cavern the useful life of which is considered as 60 years based on certification by independent expert.

ii) Property, Plant and Equipment individually costing up to Rs. 5,000/- are not being capitalized and directly forms part of revenue expense / O&M expense in the year of acquisition.

iii) Right of use (ROU) with indefinite useful lives are not amortized but are tested for impairment annually at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

iv) Right of use (ROU) with definite useful lives is amortized over the period of lease.

1.6 Impairment of Assets

Management periodically assesses using external and internal sources whether there is an indication that an asset may be impaired. Impairment occurs where the carrying value exceeds the present value of the future cash flows expected to arise from the continuing use of the asset and its eventual disposal. An impairment loss is recognized in the statement of profit and loss to the extent, asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. Value in use is based on the estimated future cash flows, discounted to their present value using pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of the money and risk specific to the assets.

1.7 Foreign Currency Transactions

i) The Company's financial statements are presented in Indian Rupee (INR) which is also functional currency of the Company.

ii) Transactions in foreign currencies are initially recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

iii) Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at functional currencies closing rate of exchange at the reporting date.

iv) Non-Monetary items that are measured in terms of historical cost in foreign currency are recorded at the exchange rates at the date of transactions.

v) Any gains or losses arising due to differences in exchange rates at the time of translation or settlement are accounted for in the Statement of Profit and Loss.

1.8 Financial instruments

i) Financial assets

All financial assets are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost.

ii) Financial Liabilities

All financial liabilities are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost.

iii) De-recognition

Financial asset is derecognized when right to receive cash flow from the asset expires, or at transfer of the financial asset and such transfers qualify for de-recognition. Financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or expires.

1.9 Taxes on Income

Income tax comprises current tax and deferred tax. Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences of timing differences, subject to the consideration of prudence. Deferred tax

assets and liabilities are measured using the tax rates enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences can be utilized.

1.10 Grants

Government grants are recognized where there is reasonable assurance that the grant will be received and all conditions will be complied with.

Grant relating to Income (Revenue Grants)

Revenue grants are recognized in Statement of Profit and Loss as “Other Income” on a systematic basis over the periods in which the Company recognizes as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate.

Grant relating to Assets (Capital Grants)

In case of grants relating to depreciable assets and land on lease, the cost of the assets is shown at gross value and grant thereon is treated as Deferred Income which are recognized as “Other Income” usually in the statement of Profit or loss over the period and in the proportion in which depreciation/ amortization is charged.

In case of grants relating to non-depreciable assets, the cost of assets is shown at gross value and grant thereon is treated as Deferred Income which are recognized as “Other Income” usually in the statement of Profit or loss over the period that bear the cost of meeting the obligations under the terms of the grant such as over the life of the caverns created on the land acquired out of capital grant.

Grant from Shareholders

Revenue grants received from Shareholder are recognized in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognizes as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

In case of grants relating to depreciable assets and land on lease, the cost of the assets is shown at gross value and grant thereon is treated as Deferred Income which are recognized as “Other Income” usually in the statement of Profit or loss over the period and in the proportion in which depreciation/ amortization is charged.

In case of grants relating to non-depreciable assets, the cost of assets is shown at gross value and grant thereon is treated as Deferred Income which are recognized as “Other Income” usually in the statement of Profit or loss over the period that bear the cost of meeting the obligations under the terms of the grant.

Other Grants

Financial Support for Viability Gap Funding (VGF) can be either in the form of Capital Grant or Operational Revenue Grant depending upon the scheme for financial support of the project. VGF is recognized in the books of accounts as per the scheme either as Revenue or Capital as described above.

Benefit on account of any Interest Subvention scheme can be either loan for capital expenditure or Revenue expenditure. The same will be recognized in the books of accounts as per the use of fund either as Revenue or Capital.

1.11 Leases

Ind AS 116 requires lessees to determine the lease term as the non-cancellable period of a lease adjusted with any option to extend or terminate the lease, if the use of such option is reasonably certain. The

Company makes an assessment on the expected lease term on a lease-by-lease basis and thereby assesses whether it is reasonably certain that any options to extend or terminate the contract will be exercised. The lease term in future periods is reassessed to ensure that the lease term reflects the current economic circumstances.

Company as a Lessee

a) The company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

b) The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use assets are determined on the same basis as those of property, plant and equipment. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain re-measurements of the lease liability.

c) The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, holding company's incremental borrowing rate. Generally, the company uses its holding company's incremental borrowing rate as the discount rate.

d) Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- Fixed payments, including in-substance fixed payments;
- Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and
- The exercise price under a purchase option that the company is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the company is reasonably certain not to terminate early.

e) The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

f) When the lease liability is re-measured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset or is recorded in Statement of Profit and Loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Short Term Leases and Leases of Low Value Assets

The company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short- term leases of real estate properties that have a lease term upto 12 months. The company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Company as a Lessor

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease as per IND AS. For

operating leases, rental income is recognized as per agreed terms of the lease. A lessor initially measures a finance lease receivable at the present value of the future lease payments plus any unguaranteed residual value accruing to the lessor. The lessor discounts these amounts using the rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, holding company's incremental borrowing rate. Generally, the company uses its holding company's incremental borrowing rate as the discount rate.

1.12 Employee benefits

- **Short-term obligations**

  Liabilities for wages and salaries including non-monetary benefits that are expected to be settled within the operating cycle after the end of the period in which the employees render the related services are recognised in the period in which the related services are rendered and are measured at the undiscounted amount expected to be paid.

- **Defined Contribution Plans**

  Company's contribution paid/payable during the year to national pension scheme (NPS) fund are recognized as an employee benefit expense as operation and maintenance expense recoverable / recovered from GOI / MoP&NG under 'O & M Expense'.

- **Defined benefit plans**

  The liability recognized in respect of gratuity is the present value of defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuary using the Projected Unit Credit Method. Re-measurement comprising actuarial gains and losses and return on plan assets (excluding net interest) are recognized as operation and maintenance expense recoverable / recovered from GOI / MoP&NG under 'O & M Expense'.

- **Leave Encashment & Compensated absences**

  Liabilities for leave encashment and compensated absences which are not expected to be settled wholly within the operating cycle after the end of the period in which the employees render the related service are measured annually by the actuary at the present value of the estimated future cash outflows which is expected to be paid using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognised as operation and maintenance expense recoverable / recovered from GOI / MoP&NG under 'O & M Expense' when they occur.

1.13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Ind AS-37)

The Company recognizes a provision when there is present obligation as a result of past event and it is more likely than not that there will be an outflow of resources to settle such obligation and the amount of such obligation can be reliably estimated. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the management's best estimate of the amount of obligation at the year-end. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect management's best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have arisen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company. Contingent liabilities are also disclosed for present obligations in respect of which it is not probable that there will be an outflow of resources or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

When there is a possible obligation or a present obligation where the likelihood of an outflow of resources is remote, no disclosure or provision is made.

Contingent Assets are not recognized and is disclosed, where an inflow of economic benefit is probable.

1.14 Earnings per Share

Basic Earnings per Share is calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equities share outstanding during the period.

For the purpose of calculating Diluted Earnings per Share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the number of shares outstanding during the period will be adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

1.15 Inventory

Inventory of crude oil is valued at cost determined on 'First in First Out' basis or net realizable value, whichever is lower. Cost comprises all costs of purchases, cost of conversion and other costs incurred in bringing the inventory to the present location and condition.

1.16 Head Office Expenses Allocation

The head office expenses are allocated equally among all commissioned units/sites.

1B: Recent Amendments in Indian Accounting Standards (Ind AS)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) notifies new standard or amendment to the existing standards. On 31st March, 2023, vide Notification G.S.R 242(E) dated 31st March, 2023, modifications in existing standards have been notified which are applicable from 01st April, 2023. These notified amendments don't have any significant impact on the financial statements of the Company for the year 2023-24.

Further, during the year ended 31st March, 2024, MCA has not notified any new standards or amendments to the existing standards applicable to the company.

Shri Pankaj Jain, Chairman, ISPRL visit to ISPRL, Mangalore

Audit Committee Meeting of ISPRL

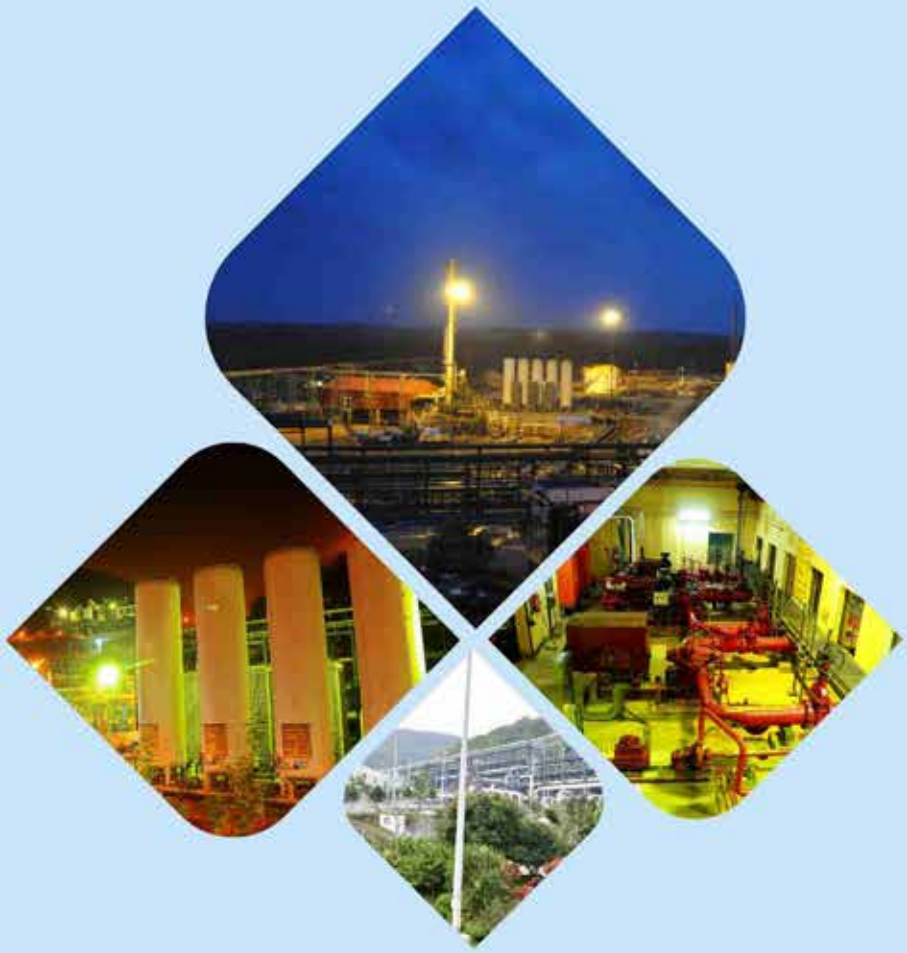

आईएसपीआरएल
ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार
प्रधान कार्यालय : ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2, सैक्टर–73, नौएडा–201 301, उ. प्र.
पंजीकृति कार्यालय : 301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India
Head Office: OIDB Bhawan, 3rd Floor, Plot No.2, Sector-73, Noida, Uttar Pradesh-201301
Registered Office: 301, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi-110001